विवरणिका

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1	प्राक्कथन	1–2
2	अध्यायः 1 आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन(2005–2006) पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही.	3
3	अध्यायः 2 सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गई परिभाषायें	4–6
4	अध्यायः 3 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं	7–8
5	अध्यायः 4 लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन	9–11
6	अध्यायः 5 सूचना के अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही	12–16
7	अध्यायः 6 सूचना के प्रकट किये जाने से छूट	17–21
8	अध्यायः 7 राज्य सूचना आयोग	22–23
10	अध्यायः 8 आयोग स्तर पर प्राप्त शिकायत एवं अपील	24–25
11	अध्यायः 9 अनुश्रवण, प्रगति रिपोर्ट एवं प्रशासनिक सुधार	26–28
12	परिशिष्ट : I	29–31
13	परिशिष्ट : II	32–52
14	परिशिष्ट : III	53–54
15	परिशिष्ट : IV	55–56
16	परिशिष्ट : V	57
17	परिशिष्ट : VI	58
18	परिशिष्ट : VII	59
19	परिशिष्ट : VIII	60
20	परिशिष्ट : IX	61
21	परिशिष्ट : X	62
22	परिशिष्ट : XI	63–71
23	परिशिष्ट : XII	72–74
24	परिशिष्ट : XIII	75–80
25	परिशिष्ट : XIV	81–86
26	परिशिष्ट : XV	87–88
27	परिशिष्ट : XVI	89
28	परिशिष्ट : XVII	90
29	परिशिष्ट : XVIII	91
30	परिशिष्ट : XIX	92
31	परिशिष्ट : XX	93
32	परिशिष्ट : XXI	94–99
33	परिशिष्ट : XXII	100
34	परिशिष्ट : XXIII	100
35	परिशिष्ट : XXIV	101
36	परिशिष्ट : XXV	101
37	परिशिष्ट : XXVI	102
38	परिशिष्ट : XXVII	103

39	परिशिष्ट : XXVIII	104
40	परिशिष्ट : XXIX	105
41	परिशिष्ट : XXX	106
42	परिशिष्ट : XXXI	107
43	परिशिष्ट : XXXII	108
44	परिशिष्ट : XXXIII	109–110
45	परिशिष्ट : XXXIV	111–112
46	परिशिष्ट : XXXV	113–114
47	परिशिष्ट : XXXVI	115
48	परिशिष्ट : XXXVII	116–117

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2005–2006) राज्य सरकार को ऐसे समय पर प्रस्तुत किया गया जब पूरा देश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बंध में एक नवीन अनुभव से गुजर रहा था. प्रथम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भेजते समय राज्य सूचना आयोग द्वारा जिस प्रारूप पर अपना प्रतिवेदन भेजा था, वह अधिनियम के लागू होने के प्रारम्भिक माहों के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया था. इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप आयोग द्वारा विगत 18 माहों में प्राप्त अनुभव के आधार पर विकसित किया गया है. आयोग का यह द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2006– 2007) अधिनियम की धारा 25 (1) से 25 (3) में दिये गये प्राविधानों तक ही सीमित हो सकता था, परन्तु आयोग का यह सुनिश्चित अभिमत है कि मात्र इतनी सीमित सूचना से, सूचना के अधिकार अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के वास्तविक उद्देश्यों में अर्न्तनिहित भावना की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि अधिनियम मे निहित प्रत्येक प्राविधान पर समीक्षात्मक प्रकाश न डाला जाय.

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 (3) (क) से 25 (3) (ङ) केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है. परन्तु धारा 25 (3) (च) व 25 (3) (छं) अपेक्षा करती है कि सूचना आयोग, सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में लोक प्राधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास, एवं आयोग द्वारा समय–समय पर दी गई संस्तुतियों, पर भी वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाश डाले.

राज्य सूचना आयोग स्वयं में भी एक लोक प्राधिकारी है. अतः राज्य सूचना आयोग का भी अन्य लोक प्राधिकारियों की भांति उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने प्रयासों से अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को प्रभावशाली रूप से लोक प्राधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वयन हेतु पहल करे. आयोग को यह उत्तरदायित्व, अधिकार एवं शक्ति के रूप में, अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत दिया गया है.

उत्तराखण्ड सरकार भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं में एक लोक प्राधिकारी है. राज्य सूचना आयोग अपना द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा है कि राज्य सरकार, सूचना के अधिकार अधिनियम का समग्र रूप से पुनरावलोकन (revisit) कर अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कर सके. इसी भावना को दृष्टिगोचर रखते हुए आयोग द्वारा अपने इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन के प्रत्येक अध्याय के अंत में राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही संबंधी बिन्दुओं पर अपनी संस्तुतियां दी हैं. कहीं–कहीं इन संस्तुतियों का आधार, सूचना आयोग द्वारा उसको अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों तथा धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों के निस्तारण में उनकी सुनवाई के दौरान पारित आदेश भी हैं.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग अपना द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन इस आशा एवं विश्वास के साथ पस्तुत कर रहा है कि इसमें सम्मिलित संस्तुतियां राज्य सरकार को अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को प्रभावशाली रूप से लागू करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगी.

आयोग यह भी अपेक्षा करता है कि अधिनियम की धारा 25 (4) के अन्तर्गत इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसमें दी गयी संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही को राज्य सरकार विधान सभा के पटल में शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करेगी. प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखने में जो परिहार्य विलम्ब हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति न होगी.

मै इस अवसर पर श्री सुरजीत, कुमार दास मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं उनके सहयोगियों को सूचना के अधिकार अधिनियम में दिये गये विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उनके द्वारा आयोग को समय–समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ.

इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के सचिव श्री तारकेन्द्र वैष्णव, उप सचिव डा0 (श्रीमती) शुचिस्मितासेन गुप्ता पाण्डेय, विधि परामर्शदाता श्री बी.डी. जोशी, मैनुअल समीक्षक श्री जे.पी. त्रिपाठी, निजी सचिव एवं जन संपर्क अधिकारी श्री राजेश नैथानी, सहायक समीक्षा अधिकारी श्री भूपेन्द्र पपनै द्वारा जो विशेष प्रयास किये गये हैं, उसके लिये में उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ.

मै आशा करता हूँ कि उत्तराखण्ड सरकार शीघ्रताशीघ्र इस वार्षिक प्रतिवेदन में अर्न्तनिहित संस्तुतियों को परीक्षणोपरान्त राज्य विधान मण्डल के सदन पर पूर्व में प्रेषित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन में की गई कार्यवाहियों के साथ प्रस्तुत करेगी. यह भी आशा की जाती है कि आयोग द्वारा इस प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव, सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावशाली एवं दूरगामी परिणाम के साथ उत्तराखण्ड राज्य में और अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन तन्त्र की स्थापना की दिशा में सहायक तथा उपयोगी सिद्व होंगे.

(आर.एस.टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अध्याय : 1

आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (2005–2006) पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन उत्तरांचल शासन के सूचना विभाग की अधिसूचना संख्याः 253/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया (राज्य का नाम भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 612 दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 से उत्तराचंल के स्थान पर उत्तराखण्ड किया गया).

1.2 वर्ष 2005–2006 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट केवल 5 माहों (अक्टूबर से मार्च 2006 तक) के संबंध मे थी. इस बीच सूचना आयोग द्वारा अपने कार्यालय की स्थापना, आयोग के कार्यो के निष्पादन के लिये अधिकारियों / कर्मचारियों की स्वीकृति एवं उनकी नियुक्ति की औपचारिकतायें पूर्ण की गईं. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) में राज्य सूचना आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य सरकार के माध्यम से विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की व्यवस्था है. राज्य सूचना आयोग द्वारा पत्रांक 2463/56–वा.प्र./उ.सू.आ./2006 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि इसे यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय.

1.3 राज्य सरकार से सूचना आयोग द्वारा प्रेषित अपने प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को विधान मण्डल के सदन में रखने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई. आयोग ने अपने पत्र 1018/56/उ.सू.आ./2007 दिनांक 5 मार्च, 2007 द्वारा राज्य सरकार का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करते हुए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही एवं आयोग के प्रतिवेदन को विधान मण्डल सदन पर रखने की कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का अनुरोध किया. यद्यपि राज्य सरकार से आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को विधान मण्डल के सदन में जाने की पुष्टि प्राप्त नही हुई, तथापि आयोग द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर हुई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया है. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही **परिशिष्टः I** पर है. जिन 9 बिन्दुओं पर आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रेषित संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया है, उनमें बिन्दु संख्या 3, बिन्दु संख्या 5 , बिन्दु संख्या 6, बिन्दु संख्या 7 एवं बिन्दु संख्या 8 तथा 9 में राज्य स्तर से अभी कार्यवाही होना शेष है.

संस्तुति : I

राज्य सरकार आयोग द्वारा गत वर्ष भेजे गये वार्षिक प्रतिवेदन पर अधिनियम की धारा 25 (4) का अनुपालन शीघ्र करें. आयोग द्वारा प्रेषित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को 7 माह से भी अधिक समय हो गया है. इसके साथ ही इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सस्तुतियों का परीक्षण कर सम्यक कार्यवाही सम्पन्न करें.

अध्याय : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गई परिभाषायें

2.1 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 (क) से 2 (ढ) तक कुल चौदह परिभाषाओं को और उनके तात्पर्य को परिभाषित किया गया है. इन परिभाषाओं में से निम्न तीन परिभाषाओं के विषय में लोक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन राज्य सरकार के स्तर से किया जाना आवश्यक है, ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम का उसमें निहित भावना के अनुसार क्रियान्वयन किया जा सके.

क " लोक प्राधिकारी", धारा 2 (ज) :
ख " अभिलेख", धारा 2 (झ) :
ग " सूचना का अधिकार", धारा (ञ) के अन्तर्गत (iii) "सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना".

2.2 **"लोक प्राधिकारी":**

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (ज) में "लोक प्राधिकारी" से निम्न तात्पर्य है:
(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्दीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है.

2.3 राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई, 2005 के द्वारा उक्त परिभाषा के अनुसार ऐसे लोक प्राधिकारी इकाईयों का चिन्हीकरण विभिन्न स्तरों पर मुख्यालय स्तर से विकासखण्ड स्तर तक किया गया है. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 में जिस प्रकार से लोक प्राधिकारी इकाईयों को चिन्हित किया गया है, उसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जा रही है. शासनादेश के माध्यम से प्रत्येक संस्था को यह स्पष्ट होना चाहिये कि वह उक्त परिभाषा के अनुसार लोक प्राधिकारी की श्रेणी रखती हैं अथवा नहीं. एक शैक्षिक संस्थान, जिसे आयोग प्रथम दृष्टयाः परिभाषा के अनुसार लोक प्राधिकारी की श्रेणी में पाता है, वही संस्था अपने को लोक प्राधिकारी न मानते हुए माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संस्था को आच्छादित नहीं मानता. आयोग अनुभव करता है कि उपरोक्त संशय को दूर करने के लिये समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के प्रस्तर 2 में "लोक प्राधिकारी" के संबंध में स्थिति और स्पष्ट की जानी आवश्यक है.

सूचना आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रेल, 2007 के संकल्प द्वारा लोक प्राधिकारियों से सम्बंधित उक्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2005 में संशोधन किये जाने हेतु संशोधित शासनादेश का आलेख दिनांक 20 अप्रेल, 2007 को शासन के नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) को सम्प्रेषित किया है. आयोग स्तर से अधिनियम की धारा 2 (ज) में यथा परिभाषित "लोक प्राधिकारी" को श्रेणीवार 19 श्रेणियों में सभी स्तरो पर सूचीबद्व किया गया है. आयोग द्वारा राज्य सरकार को सम्प्रेषित उक्त प्रस्ताव परीक्षण एवं कार्यवाही हेतु **परिशिष्ट : II** पर है.

2.4 अभिलेखः

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 (झ) में "अभिलेख" मे निम्नलिखित भी सम्मिलित हैंः

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि व फाईलः

सचिवालय मैनुअल सहित राज्य सरकार के विद्यमान किसी अन्य मैनुअल में "अभिलेख" को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है. सूचना आयोग द्वारा राज्य के विभागाध्यक्षों की "सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में सूचना का प्रबंधन " (Record Management in the Context of RTI Act) विषय पर एक कार्यशाला दिनांक 28.10.2006 को आयोजित की गई. उक्त कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में अभिलेखों के समुचित रख–रखाव एवं उनके विनिष्टीकरण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाना था. आयोग का सुझाव था कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की भांति अपना "आफिस मैनुअल" शीघ्र तैयार करे. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये "आफिस मैनुअल" में अभिलेख से सबंधित फाइल तथा अन्य दस्तावेज जो अभिलेख की परिभाषा में आयेंगे को स्पष्ट किया गया है. दस्तावेज, पाण्डुलिपि, फाइल आदि शब्द का सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व विधिक रूप से विशेष महत्व एवं प्रभाव नहीं रखते थे. परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त इन परिभाषाओं का महत्व स्वतः प्रकट है. अतः यह आवश्यक हो गया है कि "अभिलेख" के अन्तर्गत इन परिभाषाओं को सरकारी मैनुअल में भी सम्मिलित किया जाय. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपना "आफिस मैनुअल" अभी तैयार नहीं किया है जबकि राज्य स्थापना के छः वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. सचिवालय मैनुअल को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है. अतः उक्त मैनुअल को तद्नुसार संशोधन कर उक्त परिभाषाओं को मैनुअल में भी सम्मिलित कर स्पष्ट किया जाय.

2.5 आयोग में शिकायतों एवं द्वितीय अपील में उभय पक्षों की सुनवाई के समय यह प्रकाश में आया है कि विभिन्न सरकारी विभाग अभिलेखों के विनिष्टीकरण के लिये भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपना रहे हैं. आयोग लोक प्राधिकारियों से बराबर आग्रह कर उन्हें निर्देशित कर रहा है कि एकरूपता के उद्देश्य से अभिलेखों के विनिष्टीकरण का कार्य डिस्ट्रक्शन आफ रिकार्ड्स एक्ट 1917 (Destruction of Records Act, 1917) के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार ही किया जाय. यदि किसी विभाग में शासनादेश अथवा सर्कुलर के माध्यम से अभिलेखों के विनिष्टीकरण के सम्बंध में आदेश विद्यमान हैं तो भी ऐसे आदेशों को डिस्ट्रक्शन आफ रिकार्ड्स एक्ट 1917 के अन्तर्गत प्रख्यापित किया जाये. डिस्ट्रक्शन आफ रिकार्ड्स एक्ट 1917 की धारा 3 की विभिन्न उपधाराओं में सक्षम प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं. इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 (2) (च) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार इस सम्बंध में प्रथक से नियम बनाकर उन्हें प्रख्यापित करे.

2.6 धारा 2 (ञ) (iii) "सामग्री के प्रमाणित नमूने"

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, के अन्तर्गत नागरिकों को सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का भी अधिकार है. अभी तक इस संबंध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया अथवा व्यवस्था के सम्बंध में कोई शासनादेश अथवा नियम उपलब्ध नहीं हैं. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने पत्र 4287/73 B/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2006 दिनांक

15/12/2006 के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर नियम प्रख्यापित किये जाने हेतु संदर्भ भेजा है. संदर्भ की एक प्रति **परिशिष्ट : III** पर है.

संस्तुति : II

राज्य सरकार लोक प्राधिकारियों के सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई 2005 में आयोग द्वारा संकल्प संख्या 8 के माध्यम से भेजे गये प्रस्तावित संशोधन का परीक्षण कर नवीन शासनादेश यथाशीघ्र जारी करने की दिशा में कार्यवाही करे.

संस्तुतिः III

राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार की भांति 'आफिस मैनुअल' बनाने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करे. इस 'मैनुअल' में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, में प्रयुक्त शब्दों यथा फाइल, दस्तावेज, आदि को भी स्पष्ट किया जाये. इसके साथ ही सचिवालय मैनुअल जिसके संशोधन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, में भी इन शब्दों के तात्पर्य को स्पष्ट किया जाये.

संस्तुतिः IV

उत्तराखण्ड सरकार अभिलेखों के विनिष्टीकरण के संबंध में विभिन्न विभागों में विद्यमान एवं प्रचलित नियमों का परीक्षण कर उनके विनिष्टीकरण के सम्बंध में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उन्हें डिस्ट्रक्शन आफ रिकार्ड्स एक्ट 1917 के अन्तर्गत नियम बनाकर प्रख्यापित करे अथवा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 27 (2) (च) में दी गई शक्तियों के अधीन नये नियमों को प्रख्यापित करे.

संस्तुति : V

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने के विषय में शासनादेश के माध्यम से अथवा नियम बनाकर नमूने लेने की प्रक्रिया, वास्तविक लागत, फीस एवं अन्य व्यय की भुगतान व्यवस्था का निर्धारण करें ताकि लोक प्राधिकारियों एवं जन सामान्य को अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ज्ञान हो सके.

अध्याय : 3

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

अधिनियम की धारा 4

3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (क) में प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संगठन की सूचनाओं एवं अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व रीति से रखेगा. ऐसी सूचनाओं एवं अभिलेखों को अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में दिये गये 17 विषयों पर क्रमबद्व रूप से रखा जाना है. यही नहीं, लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होना चाहिये कि वह अपने संगठन की इस प्रकार संकलित सूचनाओं को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट (Internet) भी है, स्वप्रेरणा से जनता को उपलब्ध करायेगा.

3.2 सूचना आयोग द्वारा अपनी पहल पर इन 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स तैयार करने के सम्बंध में राज्य स्तरीय / निदेशालय स्तरीय लोक प्राधिकारियों का समय–समय पर मार्गदर्शन किया. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा स्वयं विभिन्न विभागों के मैनुअल्स की तैयारी के सम्बंध में समीक्षात्मक बैठकें आयोजित कर उन्हें इस सम्बंध में मैनुअल्स में सम्मिलित की जाने वाली आधारभूत सामग्री एवं विद्यमान विभागीय मैनुअल्स, नियम संग्रह एवं अभिलेखों आदि सामग्री की उपलब्धता के विषय में भी विस्तृत जानकारियां प्रदान की.

3.3 सूचना के अधिकार अधिनियम के लागू होने के 120 दिन की अवधि अन्तर्गत अर्थात (दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 तक) उक्त 17 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों के स्तर से मैनुअल्स पूर्ण करा लिये जाने चाहिये थे. कुछ लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अवधि के अन्तर्गत मैनुअल्स तैयार किये गये परन्तु उनके परीक्षणोपरान्त आयोग द्वारा पाया गया कि उक्त प्रकार से तैयार मैनुअल्स उपयोगी नहीं हैं तथा उनमें विभाग की सम्पूर्ण जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं. सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 25 (5) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार एवं शक्तियों के अधीन लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की गई वह उक्त मैनुअल्स का आयोग से लिखित अनुमोदन मिलने के पश्चात ही उन्हें जनसामान्य हेतु इन्टरनेट (Internet) पर उपलब्ध करायें.

3.4 लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअल्स की सामग्री का निरन्तर गुणात्मक परीक्षण करते हुए एवं मार्गदर्शन देते हुए, सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रथम वर्षगांठ (12 अक्टूबर, 2006) तक प्रस्तुत 25 विभागों के मैनुअल्स का आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया एवं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में उन लोक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किये गये.

3.5 इस द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुत करते समय तक आयोग द्वारा विभिन्न 50 विभागों के निदेशालय स्तरीय मैनुअल्स को अनुमोदित किया जा चुका है. इन लोक प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह इन मैनुअल्स की अतिरिक्त प्रतियों की उपलब्धता अपने मुख्यालय के अतिरिक्त, मण्डल, जिला, उपजिला, विकासखण्ड कार्यालयों और यदि आवश्यकता हो तो ग्राम स्तर तक सुनिश्वित करें. इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि लोक प्राधिकारी इन मैनुअल्स को इलेक्ट्रौनिक रूप में डिजिटाईज करते हुए सी.डी. भी तैयार करें एवं उसकी उपलब्धता राज्य सूचना आयोग तथा एन. आईसी. की वैबसाईट पर भी सुनिश्चित करायें. जिन निदेशालय स्तरीय लोक प्राधिकारियो के मैनुअल्स को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है उनकी सूची **परिशिष्ट : IV** पर है एवं जिन लोक प्राधिकरियों के मैनुअल्स आयोग द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित किये जाने हैं उनकी सूची **परिशिष्ट : V** पर है.

3.6 परिशिष्ट **IV** एवं **V** में उल्लिखित समस्त लोक प्राधिकारी स्तर से मैनुअल्स बन जाने के उपरान्त, सबसे बड़ी चुनौती इन मैनुअल्स की ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर के कार्यालयों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, ताकि इन मैनुअल्स मे दी गई सूचनाओं का उपयोग जन सामान्य जब भी आवश्यकता हो कर

सकें. प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है. अतः ग्राम पंचायत के इन भवनों को अवस्थापना सुविधा केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है. इन सुविधा केन्द्रों में ग्राम पंचायत से सम्बधित मैनुअल्स जन सामान्य के उपयोगार्थ रखे जा सकते हैं. यही व्यवस्था विकासखण्ड, तहसील एवं जिला मुख्यालय पर भी की जानी होगी. जिला स्तर पर विकास भवन एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सभी विभागों के मैनुअल्स रखने हेतु एक सुविधा कक्ष जिसमे दूरभाष, फोटोकापियर एवं कम्प्यूटर उपलब्ध हो की, स्थापना जनसुविधा की दृष्टि से किया जाना नितान्त आवश्यक है. मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त कार्यालय पर भी इसी प्रकार की सुविधा सुनिश्चित की जानी होगी. राज्य स्तर पर सभी विभागाध्यक्ष के मुख्यालयों एवं सचिवालय में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष को विशेष रूचि इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु लेनी होगी. आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई के दौरान एवं विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों के माध्यम से इन सुविधा केन्द्रों को विकसित किये जाने हेतु बराबर निर्देश दे रहा है.

3.7 राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के अतिरिक्त वृहत्तर रूप से लोक सेवायें प्रदान करने वाले विभाग यथा देहरादून नगर निगम, मसूरी देरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराचंल पावर कार्पोरेशन, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम के स्तर पर भी जन सामान्य के उपयोगार्थ संगठन की समस्त सूचनाओं को प्रदर्शित करते हुए सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जानी आवश्यक होगी. उक्त सुविधा केन्द्र दूरभाष, फोटोकापियर एवं कम्प्यूटर से सुसज्जित हों ताकि आम नागरिक इन सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध सूचना का तुरन्त लाभ उठा सकें.

संस्तुति : VI

जिन लोक प्राधिकारियें द्वारा अभी तक अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स नहीं बनाये हैं, राज्य सरकार ऐसे लोक प्राधिकरियों की स्वयं समीक्षा कर उन्हें शीघ्र बनाये जाने की दिशा में अपने स्तर से ठोस कार्यवाही करें. जिन लोक प्राधिकारियों के अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स तैयार हो गये हैं तथा जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वे समय–समय पर इन मैनुअल्स को अद्यतन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि जन सामान्य को संगठन की नवीनतम सूचनायें उपलब्ध हो सके.

संस्तुति : VII

राज्य सरकार जन सामान्य की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये.

अध्याय : 4

लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकरियों का नामांकन

अधिनियम की धारा 5

4.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) में कमशः लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामित किये जाने की व्यवस्था दी गई है. यद्यपि लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जा चुके हैं परन्तु कतिपय विभागों में जिस स्तर के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना चाहिये था, नहीं किया गया. आयोग में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई के दौरान निम्न विभागों में वर्तमान में नामित लोक सूचना अधिकरियों के नामांकन पर पुनर्विचार करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये.

राजस्व विभागः

राजस्व विभाग एवं राजस्व पुलिस संगठन के अन्तर्गत तहसील स्तर से निचले स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किये गये थे. शासन के राजस्व विभाग को आयोग स्तर से सुझाव दिया गया था कि राजस्व एवं पुलिस संबंधी कार्य निचले स्तर पर लेखपाल / पटवारी के स्तर पर किया जाता है, अतः उन्हें भी लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाय ताकि पटवारी / लेखपाल के स्तर पर उपलब्ध सूचना एवं अभिलेखों को प्राप्त करने के लिये जन सामान्य को तहसील मुख्यालय पर न जाना पड़ें. आयोग ने अपील संख्या अ–139 / 2006 श्री भाष्कर चन्द्र बृजवासी बनाम पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं मण्डल नैनीताल में दिये गये आदेश में स्पष्ट किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान परिवहन, आवागमन, भौतिक स्थिति तथा पटवारी क्षेत्रों की स्थिति देखते हुए पटवारी / लेखपाल को ही राजस्व एवं पुलिस संबधी आवश्यक सूचनाओं के लिये जो उनकी अभिरक्षा में रखे जाते हैं, लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाय और उनके अगले नियंत्रक अधिकारी क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय. तहसील स्तर मुख्यालय पर, नायब तहसीदार अथवा उससे वरिष्ठ कर्मचारी का जो तहसील में सदैव उपलब्ध रहते हैं को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय. अपील सं0 अ–139 में दिये गये उक्त आदेश **(परिशिष्ट : VI)** के क्रम में मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड ,देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं0 03 / मु0रा0आ0 / 2006 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 द्वारा **(परिशिष्ट : VII)** क्षैत्रीय स्तर पर पटवारी / लेखपाल को लोक सूचना अधिकारी एवं सम्बधित राजस्व निरीक्षक को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जा चुका है. इसी प्रकार तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार (मुख्यालय) को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जा चुका है. अब इस नवीन व्यवस्था से जन सामान्य को सूचना प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी.

पंचायत राज विभागः

पंचायत राज विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है. उक्त व्यवस्था से जन सामान्य को ग्राम प्रधान स्तर से सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. आयोग का यह स्पष्ट अभिमत है कि लोक अभिलेखों की अभिरक्षा, रख–रखाव तथा उनसे संबंधित हर प्रकार की कार्यवाही को केवल पूर्ण कालिक वेतनभोगी लोक सेवकों द्वारा ही व्यवहृत किया जाय. आयोग द्वारा अपील संख्या अ : 77/2006 श्री नारायण सिंह राणा, ग्राम पंचायत जौंक (पौड़ी गढ़वाल) बनाम् खण्ड विकास अधिकारी यमकेश्वर एवं ग्राम प्रधान जौंक में पारित

आदेश दिनांक 15.11.2006 (**परिशिष्ट : VIII**) में विस्तार से वर्तमान व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए निर्देश दिये गये है कि निर्वाचित पदाधिकारियों के स्थान पर पूर्णकालीन वेतनभोगी लोक सेवकों को ही लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाय. यदि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1945 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 199 : क में संशोधन की आवश्यकता हो तो तद्नुसार उपरोक्त संशोधन मंत्रीमण्डल के अनुमोदन उपरान्त अधिसूचना के माध्यम से प्रख्यापित किया जाय.

गृह विभाग (पुलिस) :

पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक को लोक सूचना अधिकारी एवं उप महानिरीक्षक, पुलिस को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था. जन सामान्य को थाने से संबंधित सूचनाओं एवं अभिलेखों हेतु पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित करना पड़ रहा था जबकि सूचनायें एवं अभिलेख थाने स्तर पर ही प्रायः उपलब्ध होते हैं. आयोग ने अपील संख्या अ–139 भाष्कर चन्द्र बृजवासी बनाम पुलिस अधीक्षक नैनीताल एवं अन्य में पारित अपने अंतरिम आदेश दिनांक 1.11.2006 **(परिशिष्ट : IX)** में निर्देश दिये थे कि पुलिस मुख्यालय लोक प्राधिकारी के रूप में अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरियों के संबंध में समीक्षा कर लें कि किस स्तर तक के लोक सेवकों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है. थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, जो विभागीय नियमों के अन्तर्गत अपने अभिलेखों को अभिरक्षित रखते हैं को लोक सूचना अधिकारी घोषित किया जाना चाहिये. अपील में दिये गये उक्त आदेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने आदेश संख्या डीजी–5–287 / 2005 दिनांक 16/01/2007 द्वारा पूर्व आदेशों में संशोधन कर थाने स्तर पर थानाध्यक्ष को लोक सूचना अधिकारी, हेड मोहरिर्र को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित कर दिया गया है **(परिशिष्ट : X)**. उक्त संशोधित आदेश से जन सामान्य को सूचना प्राप्त करने में सुगमता होगी.

गैर सरकारी संगठनः

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 (ज) (घ) (ii) के अन्तर्गत ऐसे गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित हैं को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है. आयोग का अभिमत है कि ऐसे समस्त गैर सरकारी संगठनों को, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं के द्वारा भी अपने संगठन की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने चाहिये. ऐसे गैर सरकारी संगठनों में संस्था का सचिव अथवा उसके समकक्ष अन्य सदस्य लोक सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है जो संगठन की समस्त प्रशासनिक एवं कार्यकारी कर्तव्यों का निर्वहन करता हो.

संस्तुति : VIII

राज्य सरकार को सभी लोक प्राधिकारी स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों का चिन्हीकरण शीघ्रताशीघ्र आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रेल के संकल्प संख्या 8.1 के अनुसार 19 अनुलग्नकों द्वारा सूचीबद्व लोक प्राधिकारियों के आधार पर या किसी ऐसे अन्य माध्यम द्वारा किया जाना चाहिये जिससे कि लोक सूचना अधिकारियो तथा सहायक लोक सूचना अधिकरियो के चिन्हींकरण के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.

संस्तुति : IX

जन सामान्य को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए चुने हुये जन प्रतिनिधियों जैसे पंचायती राज विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ग्राम प्रधान के स्थान पर पूर्ण कालिक वेतन भोगी लोक सेवक यथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना चाहिये जिससे कि अधिनियम की धारा 20 (1) तथा 20 (2) के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दोषी पाये गये लोक सूचना अधिकरियों के संबंध में कार्यवाही की जा सके.

संस्तुति : X

ऐसे गैर सरकारी संगठन जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हों तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हों, में ऐसे सदस्य को लोक सूचना अधिकारी बनाया जाना चाहिये जो संगठन के समस्त प्रशासनिक एवं कार्यकारी गतिविधियों के लिये उत्तरदयी है, ताकि अधिनियम के उल्लंघन की दशा में उसके विरूद्व कार्यवाही सम्भव हो सके.

अध्याय : 5

सूचना के अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही

5.1 सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के विगत 18 माहों के कार्यकाल के आधार पर यह अनुभव किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्रों के निस्तारण में निम्न व्यवहारिक कठिनाईयां दृष्टिगत हुई हैं:

(क) लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाही की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव तथा इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव.

(ख) लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालयों में पृथक से सुविधा केन्द्रों का अभाव.

(ग) अनुरोधकर्ताओं से परस्पर संवाद की व्यवस्था का अभाव.

(घ) लोक प्राधिकारी स्तर पर अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत सूचना के स्व–प्रकटन हेतु तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स की अनुपलब्धता.

(ङ) राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 146/सु0/XXXI(3)G 7/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 के माध्यम से सूचना के अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही के लिये जारी दिशानिर्देश की जानकारी न होना तथा प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण के संबंध में जिन पंजिकाओं एवं प्रारूपों को प्रख्यापित किया गया है उनका उपयोग लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर न किया जाना.

(च) लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों के प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने की संतोषजनक व्यवस्था का न होना तथा लोक प्राधिकारी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को अनुरोधों को प्राप्त एवं अग्रसारित करने हेतु नामित न किया जाना.

(छ) लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यालय के अन्य अधिकरियों द्वारा सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु कोई व्यवस्था का न होना.

(ज)सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं अभिलेखों के प्रतिलिपीकरण शुल्क को प्राप्त एवं सरकारी कोष में जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव.

(झ) एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक लोक प्राधिकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना के अनुरोधों के सम्यक निस्तारण में पालन किये जाने वाले नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी का अभाव.

(ट) अनुरोधकर्ताओं द्वारा निर्धारित रू0 10.00 के शुल्क के साथ एक ही प्रार्थनापत्र में अनेकानेक बिन्दुओं पर सूचना मांगना, जो लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित करता हो के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर युक्तियुक्त निर्णय लेने में दुविधा की स्थिति.

(ठ) अधिकांश लोक प्राधिकारी विभागों में अभिलेखों के सुव्यवस्थित प्रबन्धन एवं विनिष्टीकरण के संबंध में ''Destruction of Records Act, 1917'' के अन्तर्गत नियमों को बनाकर प्रख्यापित न किया जाना.

(ड) अभिलेखों के सृजन एवं प्रबन्धन के संबंध में राज्य सरकार एवं लोक प्राधिकारी स्तर पर आफिस मैनुअल्स का न बनाया जाना.

(ढ) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं उनके सदस्यों का चिन्हींकरण एवं उन्हें पहचान पत्र निर्गत न किया जाना. अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जानी है.

(त) लोक प्राधिकारी स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत अधिकांश लोक प्राधिकरियों द्वारा स्व प्रकटन हेतु 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स का प्रकाशन संतोषजनक रूप से न किया जाना.

(थ) राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आंकड़ों को विलम्ब से एवं अनियमित रूप से उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्रेषित किया जाना.

(द) राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन के संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों की नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का नितान्त अभाव.

5.2 अनुरोधकर्ताओं द्वारा लोक प्राधिकरियों से सूचना प्राप्त करने में निम्न कठिनाई अनुभव की जा रही है:

(क) लोक प्राधिकारी कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट का जन सामान्य की सुविधा हेतु उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शन न करना एवं कार्यालय में जन–सहयोगी वातावरण का अभाव होना.

(ख) जन सामान्य की सुविधा हेतु लोक प्राधिकारी कार्यालय में एक ही स्थान पर अनुरोध पत्र एवं शुल्क प्राप्त करने, पत्रावलियों के निरीक्षण एवं अभिलेखों के प्रतिलिपीकरण हेतु सुविधा केन्द्र का न बनाया जाना.

(ग) लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में प्राप्त अनुरोध पत्रों को स्वीकार करने की व्यवस्था का अभाव.

(घ) लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसे सार्थक उपाय के प्रयास न करना, जिसके कारण विभागीय अपीलों की संख्या में अनावश्यक वृद्वि को रोका जा सके.

(ङ) राज्य, मण्डल, जिला एवं उप जिला स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसी गोष्ठियों की व्यवस्था का अभाव जिसमें जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित की गई हो.

5.3 लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में एवं जन सामान्य द्वारा सूचना प्राप्त करने में जो कठिनाईयां क्रमशः उपरोक्त प्रस्तर 5.1 एवं 5.2 में इंगित की गई हैं, उन कठिनाइयों एवं कमियों के निराकरण के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के स्तर से क्रमशः शासनादेश संख्या 146/सु0/XXXI (3) G 7/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 एवं शासनदेश संख्या 35/सु0 आ0 /XXXI(13)G/2007 दिनांक 5 मार्च, 2007 जारी किये गये हैं **(परिशिष्टः XI एवं XII).**

5.4 आलोच्य वर्ष में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिनियम की धारा 25 (5) के अन्तर्गत पर्यवेक्षण हेतु निम्न 17 लोक प्राधिकरी इकाईयों का चयन किया गया. इन 17 लोक प्राधिकरी इकाईयों के कार्यालयों के निरीक्षण से पूर्व उनके सचिव / विभागध्यक्ष से विस्तृत रूप से आयोग के पत्रांक संख्या 1689/उ.सू.आ./2006 दिनांक 22 जुलाई, 2006 के द्वारा प्रेषित कार्यक्रमानुसार विचार विमर्श किया गया **(परिशिष्टः XIII)**. आयोग द्वारा इन चयनित लोक प्राधिकारी कार्यालयों के निरीक्षण हेतु एक प्रारूप भी भेजा गया. निरीक्षण में मुख्य रूप से निम्न 5 बिन्दुओं पर सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई.

i. सूचना पट्ट का कार्यालय में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शन.

ii. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित पंजिकाओं का रख–रखाव.

iii. स्व प्रकटन हेतु अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में 17 बिन्दुओं पर मैनुअल्स का प्रकाशन.

iv. लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकरियों द्वारा प्राप्त किये गये सूचना के अनुरोधो का समयान्तर्गत निस्तारण की स्थिति.

v. उत्तराखण्ड सूचना आयोग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह नियत दिनांक तक प्रेषित करने की स्थिति.

निरीक्षण के आधार पर इन 17 लोक प्राधिकरियों के स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति को संतोषजनक, अंशतः संतोषजनक एवं असंतोषजनक श्रेणी में रखा गया है, जो निम्न प्रकार है.

आयोग द्वारा चयनित 18 लोक प्राधिकारियों की निरीक्षण के आधार पर श्रेणीवार स्थिति		
संतोषजनक	**अंशतः संतोषजनक**	**असंतोषजनक**
2.गृह	1 शिक्षा	3.कृषि
4.प्राविधिक शिक्षा 5.उच्च शिक्षा	6.पर्यटन	
	8. वन एवं पर्यावरण	7.समाज कल्याण
	10. सिंचाई	9.ऊर्जा
11.परिवहन	12.वित्त	
	14.ग्राम्य विकास 15. पंचायती राज विभाग 16. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13. राजस्व 17. आवास एवं नगर विकास

5.5 उपरोक्त 17 चयनित लोक प्राधिकारी के मुख्यालय स्थित कार्यालय सहित, क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण आयोग के अधिकारियों द्वारा किया गया.

5.6 सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में चयनित 17 लोक प्राधिकरियों में से मात्र 4 लोक प्राधिकारी के यहां स्थिति संतोषजनक पाई गई, 8 लोक प्राधिकारी कार्यालयों में स्थिति अंशतः संतोषजनक तथा अवशेष 5 लोक प्राधिकारी कार्यालयों में अंसतोषजनक स्थिति पाई गई, जिसका विस्तृत विवरण **(परिशिष्टः XIV)** में दिया गया है. उक्त परिशिष्ट से स्पष्ट है कि अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल के कार्यालय की स्थिति निराशाजनक पाई गई, जिनके स्तर पर निर्धारित निरीक्षण हेतु 5 बिन्दुओं में से 4 का पालन नहीं किया गया है.

5.7 नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य के बनने के समय से ही राज्य में कार्यालयों के प्रबधंन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक को अपनाया गया है. अतः राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जन सामान्य से अनुरोधों को प्राप्त करने तथा उनके निस्तारण में सुगमता से किया जा सकता है. ब्लाक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कम्प्यूटरों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है. यद्यपि यह भी अनुभव किया जा रहा है कि आम नागरिक इस तकनीक का उपयोग तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि सूचना संवाद प्रौद्योगिकी का विस्तार पूर्ण रूप से न हो जाय. परन्तु जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है वहाँ इसका उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता है. राज्य के एक महत्वपूर्ण विभाग, राजस्व विभाग ने इस ओर प्रभावी कदम उठाते हुऐ एक केन्द्रीय व्यवस्था लागू करते हुए राजस्व अभिलेखों को अपनी वेबसाइट (http://gov.ua.nic.in/devbhoomi) पर उपलब्ध कराया है. इस वैबसाइट में करीब 16,618 राजस्व गांवों के

अभिलेखों को संरक्षित किया गया है. वर्तमान में आम नागरिक इन्टरनेट के माध्यम से अपनी जानकारी हेतु राजस्व खतौनी देख सकते हैं.

5.8 जन सामान्य द्वारा सूचना के अनुरोधों को दिये जाने की व्यवस्था को किस प्रकार अधिक सुविधाजनक बनाया जाय, इस विषय पर निरन्तर प्रयास किया गया. इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना के अनुरोध पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवेदन शुल्क को नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक के अतिरिक्त भारतीय पोस्टल आर्डर तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के माध्यम से भी जमा किये जाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड शासन के नोटिफिकेशन संख्या 165/मु0/XXXI (13) G–2 (2) /2006 दिनांक 31 मार्च , 2006 **(परिशिष्टः XV)** के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने हेतु रू0 10.00 का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से भी जमा करने की सुविधा पहली बार जन सामान्य को प्राप्त हुई. गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर की सुविधा से आवेदकों को जहाँ एक ओर शुल्क जमा किये जाने का प्रमाण नहीं देना पड़ता है वहाँ दूसरी ओर स्टाम्प पेपर पर ही लिख कर आवेदक अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं. इस व्यवस्था को दिनांक 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2006 तक विज्ञान भवन दिल्ली में हुए "सूचना के अधिकार अधिनियम " के संबंध में प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से आये प्रतिनिधियों द्वारा सराहा गया तथा इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा सम्मेलन मे की गई. आयोग का सुझाव है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों के निरीक्षण करने एवं उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट अथवा फ्लापी पर सूचना दिये जाने हेतु भी गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के माध्यम से शुल्क लिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये.

संस्तुति : XI

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण के आधार पर जिन महत्वपूर्ण विभागों को असंतोषजनक श्रेणी में रखा गया है जैसे कृषि, समाज कल्याण, ऊर्जा, राजस्व, आवास एवं नगर विकास, इनमें से कुछ विभाग राज्य के सबसे पुराने विभाग हैं तथा ये विभाग जनता के सामने सरकार की महत्वपूर्ण छवि को प्रदर्शित करते हैं, से सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से परिपालन न होना चिन्ता का विषय है. इसी प्रकार जिन विभागों को अंशतः संतोषजनक श्रेणी में रखा गया है, वह भी आम जनता से जुड़े हुए हैं जैसे कि शिक्षा, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, वित्त, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से भी अधिनियम के पूर्ण रूप से परिपालन की अपेक्षा की जाती है. इन विभागों के संबंधित संचिवों तथा विभागाध्यक्षों का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिये प्रभावशाली कदम उठायें. उपरोक्त 17 लोक प्राधिकारी तथा इनके अतिरिक्त जिनका निरीक्षण नहीं किया गया है उनमें भी आकस्मिक निरीक्षण द्वारा 5 बिन्दुओं पर अपने विभागों की स्वतः समीक्षा किये जाने की अपेक्षा की जाती है एवं जो कमियां पाई जायं उनका निराकरण किया जाय. लोक प्राधिकरियों द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री स्तर से की जाय एवं समीक्षा उपरान्त जो परिणाम निकलें, उन परिणामों से राज्य सरकार द्वारा आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन के अनुपालन के रूप में अवगत कराया जाय.

संस्तुति : XII

सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का लोक प्राधिकरियों के स्तर से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार इसी प्रकार के स्थलीय निरीक्षण संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य इकाई के द्वारा भी करा सकती है तथा निरीक्षण के आधार पर जो कठिनाई तथा कमियां प्रकाश में आती हैं उनका निराकरण कर आयोग को समय–समय अवगत पर कराये.

संस्तुति : XIII

राजस्व विभाग की वैबसाइट (http://gov.ua.nic.in/devbhoomi) की भांति अन्य लोक प्राधिकारी अपने संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण आकंड़ों एवं सूचनाओं को अग्रेंजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में इन्टरनेट पर इस प्रकार से उपलब्ध कराये कि वह जब, जहाँ, जिस रूप में आवश्यक हो जन सामान्य द्वारा उसे प्राप्त किया जा सके. इस प्रकार की व्यवस्था से इन सूचना के अनुरोध पत्रों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि को रोका जा सकेगा, जिससे श्रम और साधन का समुचित उपयोग किया जा सकेगा.

संस्तुति : XIV

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोध पत्र के अतिरिक्त अभिलेखों के प्रतिलिपिकरण, सामग्री के नमूने लेने तथा डिस्केट या फ्लापी में सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पेपर के माध्यम से भी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय, जैसा कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 555/56/उ.सू.आ./2007 दिनांक 01.02.2007 एवं तत्संबंधी अनुस्मारक पत्र संख्या 1278/56/उ.सू.आ./2007 दिनांक 17.3.2007 (परिशिष्ट : XVI एवं XVII) में संस्तुति की गई है.

अध्याय : 6

सूचना के प्रकट किये जाने से छूट

6.1 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 में कतिपय सूचनाओं को प्रकट किये जाने से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कतिपय आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम की धारा 24 (1) के अंतर्गत दूसरी सूची (Second Schedule) में विनिर्दिष्ट करते हुये अधिनियम के प्राविधानों से छूट प्रदान की गई है परन्तु इन संगठनों से भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना के प्रकटन पर छूट लागू नहीं होगी। इस प्रकार की सूचना जो मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है, तो ऐसी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के अन्दर दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 24 (2) में राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा द्वितीय सूची (Schedule) में विनिर्दिष्ट किसी संगठन को सम्मलित करने अथवा हटाने के संबंध में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी (धारा 24 (3)).

6.2 अधिनियम की धारा 24 (4), केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों पर भी अधिनियम के प्राविधान नहीं लागू होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना पर छूट लागू नहीं होगी, ऐसी अनुरोध की गई सूचना यदि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात अनुरोध प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के अंदर दी जायेगी. आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों के संबंध में जारी प्रत्येक अधिसूचना अधिनियम की धारा 24 (5) के अनुसार राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी.

6.3 गृह विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1969/XX(3) – 255 / विविध / 2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य की निम्न तीन सुरक्षा एवं अभिसूचना संगठनों को छूट की श्रेणी में रखा गया है :

(i) अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग

(ii) अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग

(iii) पी.ए.सी./इण्डिया रिजर्व बटालियन.

6.3.1 गृह विभाग द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 (5) के अंतर्गत एवं उत्तराखण्ड विधानसभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 167 के आधीन राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना चाहिये था। आयोग में दायर अपील संख्या अ : 155/2006, संजय वर्मा बनाम पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार एवं अन्य में, प्रतिवादी (पुलिस विभाग) तथा राज्य सरकार द्वारा आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया है कि दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को जारी उक्त अधिसूचना को 17 माह बीत जाने के उपरांत भी विधान मण्डल के समक्ष नहीं रखा गया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उक्त अधिसूचना प्रभावी न होने के कारण तीनों सुरक्षा संगठन विधिक दृष्टि से अधिनियम की धारा 24 (4) के अंतर्गत छूट की श्रेणी में नहीं आती और इस प्रकार इन सुरक्षा संगठनों के अभिलेख आज की तिथि तक छूट की श्रेणी में नहीं हैं। उक्त अपील में पारित आदेश की प्रति मुख्य सचिव, एवं प्रमुख सचिव, गृह को भेजते हुये, आयोग ने राज्य पुलिस विभाग एवं गृह विभाग को इस अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा की थी कि जिन तीन विभागों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त रखने के लिए जो अधिसूचना जारी की है वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि अधिनियम की धारा 24

(5) के अंतर्गत अधिसूचना को विधानसभा के पटल पर राज्य विधान सभा के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। उक्त अपील संख्या अ :155/2006 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 14.03.2007 की प्रति **(परिशिष्टः XVIII)** पर दृष्टव्य है।

6.4 उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो संगठन सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों से धारा 24 (4) के अंतर्गत मुक्त किये गये हैं, उन्हें भी अपने संगठन में अधिनियम की धारा 5 (1), 5 (2) एवं 19 (1) के अंतर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करने हैं, क्योंकि मानवाधिकार के उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने से उन्हें मुक्त नहीं रखा गया है। इन दो प्रकार की सूचनाओं के प्रकटन हेतु उनके संगठनों में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का नामांकन आवश्यक है।

6.5 अनुरोधकर्ता के प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि से उसे सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में निम्न समयावधि का पालन किया जाना हैः

(क) अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराई जायेगी, परन्तु जहाँ मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी.

(ख) अधिनियम की धारा 24 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित आसूचना और सुरक्षा संगठनों से मानवाधिकार उल्लंधन के संबंध में सूचना अनुरोध प्राप्ति के 45 दिन अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी.

संस्तुति : XV

अधिनियम की धारा (24) (4) में अधिसूचित आसूचना एवं सुरक्षा संगटनों में नामित लोक सूचना अधिकरी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम में विशेष प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास की नितान्त आवश्यकता है. इसके साथ साथ ऐसे संगठनों में भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लघंन से संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है ताकि अनुरोध करने पर उक्त अभिलेख उपलब्ध हो सके. इस संबंध में ऐसे आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों के विभागाध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी के स्तर से अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को दिशानिर्देश दिये जाने आवश्यक हैं.

6.6 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में सूचना के प्रकट किये जाने से छूट के आधार दिये गये हैं. आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों में ऐसे प्रकरण दृष्टिगोचर हुए हैं जहां लोक सूचना अधिकारियों द्वारा इन धाराओं के आधार पर अनुरोधकर्ताओं को सूचना तक पहुंच को आबद्व किया गया है. राज्य सूचना आयोग, अधिनियम की इन महत्वपूर्ण धाराओं में दिये गये प्राविधानों को स्पष्ट करने के संबंध में राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों को निम्न अनुसार संस्तुति करते हैं.

6.6.1 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ख) का उपयोग अधिकतर लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रत्येक उस अनुरोध पर किया जा रहा है जहाँ उसका संबंध किसी भी न्यायालय से हो, जबकि सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में छूट का प्राविधान केवल उस ''सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्व किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है'' से है. अधिकांश प्रकरणों में यह देखा गया है कि लोक सूचना अधिकारी से उच्चतर स्तर के विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस प्राविधान पर आशानुरूप अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है परिणामस्वरूप अुनरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है.

6.6.2 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1)(घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनियता अथवा बौद्विक संपदा से संबंधित सूचना प्रकट किये जाने से छूट प्रदान करती है, परन्तु यह छूट भी सक्षम प्राधिकारी के इस समाधान पर निर्भर है कि उसको प्रकट करने से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है अथवा नहीं. इस प्रकार की सूचना को प्रकट करने या न करने के संबंध में एक उपाय यह है कि, तब तक सूचना को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर ली जाय जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि सूचना को प्रकट करने में विस्तृत लोक हित का समथर्न होता है या नहीं. दूसरा उपाय यह है कि वाणिज्यिक, व्यापारिक, उत्पादन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों में संलग्न लोक प्राधिकारी, जिनके समक्ष ऐसी सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं, को सूचीबद्व कर लिया जाय एवं तदोपरान्त यह परीक्षण कर लिया जाय कि इन लोक प्राधिकारियों से वाणिज्यिक, व्यापारिक, उत्पादन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंधित छूट की श्रेणी में आने वाली क्या–क्या सूचनायें हो सकती हैं, जो जन सामान्य द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी जा सकती है. छूट की श्रेणी में आ सकने वाली सूचनाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अपना मत स्थिर करते हुए संबंधित लोक प्राधिकारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे. सक्षम प्राधिकारी एवं लोक प्राधिकारियों के स्तर से इस प्रकार की गई पहल से सूचना के अधिकार अधिनियम में दिये गये प्रार्थना पत्रों में जहाँ एक ओर समयान्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी वहीं दूसरी ओर एक ही प्रकार की सूचनाओं हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को बार–बार सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित नहीं करना पड़ेगा.

6.6.3 इसी प्रकार की पहल सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1)(ङ) के अन्तर्गत छूट की श्रेणी में आने वाली सूचनाऐं जो ''किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना'' के प्रकटन के संबंध में भी करनी होगी. अधिकतर ऐसी सूचनाओं के जन सामान्य द्वारा उन लोक प्राधिकारियों से किया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार की लोक सेवा में नियुक्ति हेतु एवं शैक्षिक उपाधि प्रदान करने हेतु परीक्षाओं का आयोजन करते रहते हैं. ऐसे लोक प्राधिकरियो एवं उनसे इस प्रकार की अनुरोध की जाने वाली सूचनाओं का चिन्हींकरण आसानी से किया जा सकता है.

संस्तुति : XVI

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत दस उपधाराओं में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाली सूचनाओं के प्रकटन के संबंध में तीनों सक्षम प्राधिकारी (विधान सभा, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राज्यपाल) के स्तर से पहल करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है. क्योंकि ऐसे लोक प्राधिकरियों का चिन्हींकरण एवं मांगी जा सकने वाली सूचनाओं की प्रकृति एवं श्रेणी पहले से ही चिन्हित की जा सकती है. अतः सस्तुति की जाती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) एवं 8 (1) (ङ) से आच्छादित अपने संगठन की अनुरोध की जा सकने वाली सम्भावित सूचनाओं को सूचीबद्व करते हुये सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करते हुए, उनसे अग्रिम रूप से मार्गदर्शन/अभिमत प्राप्त कर लें. इस प्रकार की व्यवस्था से सूचनाओं के अनुरोधों पर समयान्तर्गत कार्यवाही करने में सुगमता होगी तथा सक्षम प्राधिकारियों से इस संबंध में एक ही प्रकृति के प्रकरणों पर पत्रव्यवहार को कम किया जा सकेगा. जैसे–जैसे वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं उत्पादकता से संबधित गतिविधियों का विस्तार होगा, नई–नई सूचनाओं का सृजन होगा, अतः इन सूचनाओं के प्रकटन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अग्रिम रूप से मार्गदर्शन/अभिमत प्राप्त करने की सतत प्रक्रिया लोक प्राधिकारी को अपनानी होगी.

6.6.4 सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों को समय–समय पर संसदीय कार्य प्रणाली / विधाई कार्य प्रणाली, विशेष रूप से ऐसे विषय जो संसंद तथा विधान–मंडल के विशेषाधिकार से संबंधित हो, पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है जिससे सूचना को प्रकट करने के छूट के संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (ग) का अनुपालन लोक प्राधिकरियों के स्तर से किया जा सके.

संस्तुति : **XVII**

सभी लोक सेवकों जिनका लोक सेवा आयोग तथा अन्य अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया है के प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा सेवा अवधि के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में (अ) विधि शास्त्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, मानव अधिकार अधिनियम से संबंधित विषयों तथा (ब) संसंदीय कार्यवाही एवं विशेषकर संसंद तथा विधान–मण्डल के विशेषाधिकारों के हनन संबंधी विषयों को शामिल किया जाना चाहिये.

संस्तुतिः **XVIII**

राज्य सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान की शीघ्र स्थापना करते हुए उसके अन्तर्गत समस्त कार्यालयों के निरीक्षण हेतु एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया जाय जो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियो द्वारा तैयार किये गये विभागीय मैनुअलों, सचिवालय तथा अन्य विभागों के आफिस मैनुअल, को अद्यतन करने हेतु उनका सतत मार्गदर्शन करते रहे. राज्य अभिलेखागार को उस प्रशासकीय विभाग के सीधे नियंत्रण में लिया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत राज्य सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा हो एवं राज्य सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नोडल ऐजेंसी का कार्य करे. वर्तमान में यह कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा देखा जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य प्रशासनिक सुधार से संबंधित रहा है.

संस्तुति : **XIX**

राज्य अभिलेखागार से संबंधित कार्य वर्तमान में शासन के संस्कृति विभाग के अधीन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के द्वारा अभिलेखों के अत्यधिक बढ़ते कार्य की महत्वता को दृष्टिगोचर रखते हुए अब इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है. सूचना के अधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पुराने अभिलेखों का समुचित रख–रखाव ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाई से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर तक की प्रशासनिक इकाई का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है. अभिलेखों का सृजन, उनका सुरक्षित रख–रखाव एवं उनकी अभिरक्षा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये एक आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है जिससे कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति उनका उत्तरदायित्व पूर्ण हो सके. इस दृष्टिकोण से राज्य अभिलेखागार का कार्य विधिक रूप से "अभिलेखों के प्रबंधन" (**Record Management**) का पर्याय हो गया है. इसी परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगोचर रखते हुए भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य अभिलेखागार को यथास्थिति केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में रखा जाना चाहिये. राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में शीघ्र समयवद्व कार्यवाही करते हुए तद्नुसार इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिये.

6.6.5 लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में अनुरोधकर्ता की सूचना तक पहुँच को आबद्व करने हेतु अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) का व्यापक रूप से सूचना को छूट की श्रेणी में मानते हुए उपयोग किया जा रहा है, जबकि इस धारा में ऐसी सूचना को छूट की श्रेणी में माना गया है जिसके दिये जाने या प्रकट किये जाने से "अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी".

संस्तुति : **XX**

कार्मिकों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में लोक प्राधिकारियों के स्तर से अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) का सूचना के प्रकटन के संबंध में दुरूपयोग रोकने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शासन के कार्मिक विभाग या उनकी ओर से सामान्य प्रशासन विभाग अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के संबंध में विस्तृत व्याख्या करते हुए समस्त लोक प्राधिकरियों को दिशानिर्देश जारी करे. इस प्रकार जारी

दिशानिर्देश सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुकूल होने चाहिये तथा इनसे विभागीय कार्यवाही में अधिकृत सूचना के प्रकटन के कारण विलम्ब न हो.

संस्तुति : XXI

शासन स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के लिये नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) को इस प्रकार सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है कि वह (i) विधि विभाग के परामर्श से विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में उन्हें प्राप्त संदर्भों पर प्रभावशाली रूप से निर्णय ले सके. (ii) नोडल विभाग, सूचना के अधिकार अधिनियम में राज्य सूचना आयोग अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर लोक प्राधिकरियों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके. (iii) नोडल विभाग, राज्य सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर पारित संकल्पों एवं संस्तुतियों पर समुचित कार्यवाही कर सके. (iv) यह विभाग, राज्य सरकार तथा लोक प्राधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के संबंध में समुचित परामर्श दे सके. (v) नोडल विभाग इस प्रकार सुदृढ़ हो कि वह राज्य में सूचना के अधिकार अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने स्तर से ठोस कार्यवाही कर सके.

6.6.6 अधिनियम की धारा 8 (1) (झ) में मंत्रीमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकरियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं कुछ अपवाद को छोड़कर, प्रकटन के लिये छूट की श्रेणी में आते हैं. लोक प्राधिकारी जिनके स्तर से मंत्रीमण्डल से संबंधित कागजपत्रों को व्यवहृत किया जाता है का ध्यान विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार. मंत्री मण्डल द्वारा लिये गये समस्त निर्णयों एवं विनिश्चयों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

(1) जहां विनिश्चयों पर मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय लेते हुये कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हो.

(2) जहां मंत्रीमण्डल द्वारा विनिश्चयों पर लिये गये निर्णय पर कार्यवाही नहीं की गई हो.

संबंधित लोक प्राधिकारी की बाध्यता है कि वह प्रथम श्रेणी की परिधि में आने वाली सूचनाओं को अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत स्वप्रकटन की श्रेणी में जन सामन्य की पहुँच हेतु अभिलिखित करें.

संस्तुति : XXII

गोपन अनुभाग के लोक प्राधिकारी जो मंत्रीमण्डल से संबंधित कागजपत्रों को रखने के लिये उत्तरदायी हैं से अपेक्षित है कि वह मंत्रीमण्डल के विनिश्चयों जो 9 नवम्बर, 2000 (राज्य स्थापना के दिवस) के उपरान्त मंत्रीमण्डल द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को दो वर्गों में विभाजित कर सूचीबद्व करें. पहली सूची में मंत्रीमण्डल के ऐसे कागजातों को रखा जाय जिनपर मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय लेने के उपरान्त विषय पूर्ण हो गया हो. मंत्रीमण्डल के ऐसे समस्त अभिलेख व सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लेने के उपरान्त कार्यवाही पूर्ण हो गई हों और जिनमें मंत्रीपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है को सार्वजनिक किया जाना है. इनको सार्वजनिक किये जाने हेतु सुझाव है कि इनको डिजिटाइज करते हुए इसकी हार्ड कापी गोपन अनुभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग के स्तर पर रखी जानी चाहिये. गोपन अनुभाग का दायित्व हो कि वह मंत्रीमण्डल के इस प्रकार श्रेणी में आने वाले निर्णयों को सूचीबद्व करते हुए, संबंधित प्रशासनिक विभाग / लोक प्राधिकारी को संसूचित करे. संबंधित लोक प्राधिकारी इनको विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक किये जाने के संबंध में अपने स्तर से कार्यवाही करे. दूसरी श्रेणी में आने वाले मंत्री मण्डल के विनिश्चयों को गोपन विभाग सूचीबद्व करे और जब उन विनिश्चयों पर कार्यवाही पूर्ण हो जाय तो उक्तानुसार उनके प्रकाशन की व्यवस्था की जाय. इस संबंध में राज्य सूचना आयोग ने अपनी दिनांक 13 अप्रेल, 2007 को आयोजित 8वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या 8.2 पर अपनी संस्तुति शासन को आयोग के पत्रांक 1885 (1)/56/उ.सू.आ/मु.सू.आ./2007 दिनांक 20.4.2007 के माध्यम से प्रेषित की है (परिशिष्ट : XIX एवं XX)

अध्याय : 7

राज्य सूचना आयोग

7.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून स्थापित किया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (7) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः श्रीनगर मे गढ़वाल मण्डल तथा अल्मोड़ा में कुमाऊ मण्डल के लिये खोलने की संस्तुति जन सामान्य के अनुरोध पर की गई थी. भौगोलिक दृष्टि से देहरादून, राज्य के एक कोने में स्थित होने के कारण , यह अनुभव किया जा रहा है कि आयोग में दायर शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता तथा अपीलकर्ता चाह कर भी अपनी शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई में दूरस्थ क्षेत्रों से देहरादून व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं. आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालय गढ़वाल एवं कुमाऊँ में खोलने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2006 को घोषणा की गई थी. इस संबंध में आयोग स्तर से भेजा गया प्रस्ताव तथा इस विषय पर शासन को भेजा जाय अन्तिम पत्र दिनांक 19 मई, 2007 **परिशिष्ट : XXI** पर है.

संस्तुति : XXIII

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप राज्य सूचना आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालय श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में जन सामान्य की सुविधा हेतु स्थापित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे.

7.2 जन सामान्य द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सूचना के अनुरोधों में गुणात्मक रूप से वृद्वि परिलक्षित हुई है. अनुरोध पत्रों के वृद्वि के अनुपात में ही आयोग में दायर होने वाली शिकायतो एवं अपीलों की संख्या में भी निरन्तर वृद्वि हो रही है तथा भविष्य में भी यही कम जारी रहेगा. आयोग के वर्तमान कार्यालय में अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत शिकायतें एवं धारा 19 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है. आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात पर्याप्त स्थान न होने से असुविधा होगी. अतः यह अनुभव किया जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उसके अपने भवन जहां शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई हेतु पर्याप्त स्थान, पार्किंग स्थल, प्रतीक्षा कक्ष तथा कार्यालय के विविध कार्यों जैसे रजीस्ट्री, अभिलेखों के रख–रखाव तथा अभिलेखागार की सुविधा हो में स्थानान्तरित किया जाना निकट भविष्य में अपेक्षित होगा.

संस्तुति : XXIV

आयोग कार्यालय को एक ही स्थान पर ऐसा स्वतंत्र एवं सुविधाजनक भवन उपलब्ध कराया जाय जहां मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों को शिकायतो एवं अपीलों की सुनवाई के लिये पर्याप्त स्थान, आयोग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियो के लिये उनकी संख्यानुसार आवश्यक स्थान एवं पुस्तकालय तथा प्रतिलिपीकरण कक्ष की सुविधा सहित आयोग में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के रूप में राज्य से आने वाले राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों के वाहन एवं वादी के रूप में अपीलकर्ता / शिकायतकर्ताओं के वाहन पार्क करने हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध हो. अतः उत्तराखण्ड सूचना आयोग को इस प्रकार के एक स्वतंत्र कार्यालय कॉम्पलैक्स की स्वीकृति प्रदान की जाय.

7.3 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा एक प्रस्ताव आयोग कार्यालय में एक शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को पदों की स्वीकृति, पुस्तकालय एवं प्रकाशन हेतु बजट प्राविधान करते हुए प्रेषित किया गया है **(परिशिष्टः XXI)** .

संस्तुति : XXV

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप मय बजट एवं स्टाफ के साथ एक शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाय.

7.4 अधिनियम की धारा 25 (1) से 25 (3) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अन्त में उस वर्ष के दौरान अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेगा. अधिनियम की धारा 25 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार सूचना आयोग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन को विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी. उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (2005–2006), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है.

संस्तुति : XXVI

राज्य सरकार उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रेषित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को विधान मण्डल के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करे तथा भविष्य में भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों को भी समय से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे.

7.5 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 (5) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिये किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा. आयोग में प्राप्त संदर्भों, समीक्षा बैठकों, अपील तथा शिकायतों के निस्तारण एवं क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बहुधा यह प्रकाश में आया है कि लोक प्राधिकरियों के स्तर से अधिनियम में निहित भावना का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर पाई गई इन कमियों को दूर करने के उपाय एवं सुझावों को समय–समय पर उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सचिव एवं स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के स्तर से लोक प्राधिकारियों एवं शासन को भेजा गया. कई संस्तुतियों एवं सुझावों को आयोग में समय–समय पर हुई बैठकों में संकल्प के माध्यम से पारित करते हुए शासन को, सचिव सूचना आयोग द्वारा भेजा गया है.

संस्तुति : XXVII

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 25 (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा परीक्षण कर, उनपर समुचित कार्यवाही करते हुए आयोग को अवगत कराया जाना चाहिये. पिछले 18 माहों के दौरान राज्य सूचना आयोग को आभास हुआ है कि नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के स्तर पर आयोग द्वारा प्रेषित संदर्भों, सुझावों एवं संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु विद्यमान वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है. अतः सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है.

अध्याय : 8

आयोग स्तर पर प्राप्त शिकायत एवं अपील

8.1 जन सामान्य द्वारा, सूचना हेतु लोक प्राधिकरियों को दिये गये प्रार्थना पत्रों पर समुचित कार्यवाही न होने के कारण आयोग में अधिनियम की धारा 18 एवं 19 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान क्रमशः 330 शिकायत एवं 262 अपील प्राप्त हुई हैं **(परिशिष्ट : XXII** एवं **परिशिष्ट : XXIII)**. इन शिकायतो एवं अपीलों का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट : XXIV** एवं **परिशिष्ट : XXV** पर है. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक शिकायत एवं अपील जनपद देहरादून से प्राप्त हुई है जबकि जनपद चम्पावत से मात्र 1 शिकायत एवं कोई भी अपील आयोग को प्राप्त नहीं हुई हैं. लोक प्राधिकरियों में से सर्वाधिक अपील एवं शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी **(परिशिष्ट : XXVI** एवं **परिशिष्ट : XXVII**).

8.2 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2006–2007 में जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों के संबंध में तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवरण तैयार किया है जो **परिशिष्टः XXVIII** से **परिशिष्ट : XXXII** पर हैं. इसके आधर पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैंः

(i) जन सामान्य द्वारा आयोग में अपीलों एवं शिकायतें दर्ज कराने का मुख्य कारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा समयान्तर्गत सूचना का उपलब्ध न कराना है, जैसा कि **परिशिष्ट : XXVIII** एवं **परिशिष्ट : XXIX** पर दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि आयोग में दर्ज अपीलों में से 66 प्रतिशत अपीलें मात्र इसलिये दायर हुईं कि लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर से अनुरोधकर्ता के सूचना के अनुरोध पत्र पर समयान्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी.

(ii) आयोग में दायर शिकायतों एवं अपीलों में अधिकतर शिकायतें शहरी क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं. वर्ष 2006–2007 में आयोग में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से क्रमशः95 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों से 94 प्रतिशत अपीलें तथा ग्रामीण क्षेत्रों से मात्र 6 प्रतिशत अपीलें प्राप्त हुई है **(परिशिष्ट : XXX** एवं **परिशिष्ट : XXXI)**. इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का ग्रामीण क्षेत्रों की जनता द्वारा जानकारी के अभाव में उपयोग नहीं किया जा रहा है.

(iii) आयोग में जन सामान्य द्वारा दायर अपीलों में से आयोग द्वारा 85 प्रतिशत अपीलें स्वीकृत की गई एवं मात्र 15 प्रतिशत अपीलें अस्वीकृति की गई **(परिशिष्ट : XXXII)**. स्पष्ट है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को सूचना की पहुँच से वंचित रखा गया.

संस्तुति : XXVIII

शिकायतों एवं अपीलों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर से सूचना के अनुरोध पत्रों पर समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु उदासीनता प्रदर्शित की गई है. अतः लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को जन सामान्य के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करानी चाहिये जिससे कि आयोग स्तर पर प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों में अनावश्यक रूप से हो रही वृद्वि को रोका जा सके. राज्य सरकार लोक प्राधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने के लिये लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर विकास खण्ड स्तर से राज्य स्तर तक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करे.

अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) से (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार को जन सामान्य एवं लोक प्राधिकरियों को प्रशिक्षित किये जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है.

संस्तुति : XXIX

शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग जन सामान्य द्वारा किया जा सके, इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु राज्य सरकार शीघ्र कार्य योजना बनाये एवं विकास खण्ड स्तर तथा ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय. अधिनियम के प्रचार–प्रसार में स्वयं सेवी संगठनों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है.

अध्याय : 9

अनुश्रवण, प्रगति रिपोर्ट एवं प्रशासनिक सुधार

9.1 अधिनियम की धारा 25 (3) के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों (क) से (छ) तक प्रत्येक बिन्दु पर आयोग का प्रतिवेदन निम्न अनुसार है :

25 (3) (क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या :
प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या का विवरण विभागवार **परिशिष्ट : XXXIII** पर है.

25 (3) (ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहाँ आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किये गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबन्धों का अवलम्ब लिया गया था :
परिशिष्ट : **XXXIII** के स्तम्भ 4 में दर्शाया गया है.

25 (3) (ग) पुनर्विलोकन के लिए राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्षः
आयोग में प्राप्त अपीलों का जनपदवार, विभागवार विवरण क्रमशः **परिशिष्ट : XXV** एवं **परिशिष्ट : XXVII** पर हैं.

25 (3) (घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्व की गई अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां
आयोग में प्राप्त अपीलों में से 7 अपीलों पर अर्थदण्ड एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट : XXXIV** पर है.

25 (3) (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम.
परिशिष्ट : XXXIII के अन्तिम स्तम्भ 7 में दर्शाया गया है.

9.2 **25 (3) (च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं:**

अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और क्रियान्वित करने के लिये लोक प्राधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य सें आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या 1689 दिनांक 22.7.2006 तथा पत्रांक 1723 दिनांक 24.7.2006 के माध्यम से 17 विभागों को अध्ययन हेतु चयनित किया गया. उपरोक्त पत्रों के माध्यम से विभागों को तद्नुसार सूचित किया गया एवं उनसे आयोग द्वारा अध्ययन से पूर्व अपने विभाग की सूचना भेजने हेतु आग्रह किया गया तांकि आयोग को अपने अध्ययन में उन विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अब तक किये गये प्रयासों की जानकारी हो सके (**परिशिष्ट : XIII एवं XXXV**). इन पत्रों के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर कतिपय भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुईं तथा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को इन पत्रों के विषय में इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि यह एक प्रशासनिक कार्य है जो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है (**परिशिष्टः XXXVI**). आयोग द्वारा अपने संकल्प दिनांक 01.08.2006 के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त किये गये. इस संकल्प के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि आयोग के दो प्रकार के कार्य है, (I) अर्ध न्यायिक एवं (II) प्रशासनिक. आयोग द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 3 (च), 3 (छ) के तहत वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझावों को मुख्यधारा में अर्न्तनिहित करने का

कार्य कर दिया है. प्रदत्त सुझाव का मुख्य उद्देश्य था गुणात्मक सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करना. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 1.8.2006 तथा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आहूत द्वितीय बैठक में लिये गये संकल्प दिनांक 10.8.2006 जो एतद्द्वारा संलग्न हैं, से आलोच्य विषय पर सूचना आयोग का मन्तव्य स्पष्ट है (**परिशिष्ट : XIII एवं XXXVII**) इन दो परिशिष्टों में सूचना आयोग द्वारा धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त प्राविधानों के क्रम में सूचनाओं के प्रेषण एवं अनुश्रवण को लोक प्राधिकारियों एवं राज्य सरकार के सहयोग से मुख्य धारा में लाने का कार्य किया गया है.

9.3 सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त अनुश्रवण कार्य विषयक प्रबन्ध ने आयोग को इस दिशा में सक्षम किया है कि सुधार के लिये प्राप्त सुझावों को वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सके जिसमें लोक प्राधिकारी के संबंध में प्राप्त सुझाव भी सम्मिलित हैं यथाः

1. सूचना के अधिकार अधिनियम के संवर्धन, सुधारीकरण, आधुनिकीकरण में संशोधन.
2. अन्य नियम.
3. सामान्य नियम.
4. सूचना प्राप्त किये जाने के अधिकार को क्रियान्वित किये जाने की दिशा में संगत कोई अन्य विषय.

9.4 विगत 18 महीनों में लोक प्राधिकरियों के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियां की गयीः

(I) सामान्य प्रशासन विभागः

एक संशोधित कार्यालय आदेश के माध्यम से लोक प्राधिकारियों को परिभाषित किया गया तथा, उत्तम व्यवहार संस्तुतियों को लागू किये जाने, क्षेत्रीय कार्यालयों को खोले जाने, मासिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित किये जाने, कार्यालय मैनुअल तथा सूचना के अधिकार अधिनियम को समस्त मैनुअलों में सम्मिलित किये जाने के संबंध में व्यापक कार्यवाही हुई.

(II) पंचायती राज्य विभागः

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लोक प्राधिकारियों को नामित किये जाने में परिवर्तन लाने एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध संस्तुति की गई.

(III) वित्त विभाग :

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, स्वयंसेवी संगठनों को लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किये जाने तथा उनमें लोक सूचना अधिकारी को नामित किये जाने हेतु संस्तुतियाँ की गयी.

(IV) गृह विभाग :

गृह विभाग द्वारा जारी अधिशूचना संख्या 1969/XX(3)– 255/विविध/2005, दिनांक 10 अक्टूवर 2005, द्वारा अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा जिन तीन सुरक्षा एवं अभिसूचना संगठनों को छूट की श्रेणी में रखा गया था. इस अधिसूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(5) के अन्तर्गत एवं उत्तराखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 167 के अधीन राज्य विधान मण्डल के समक्ष नहीं रखा गया था. जिसके फलस्वरूप उक्त अधिसूचना प्रभावी न होने के कारण तीनों सुरक्षा संगठन विधिक दृष्टि से अधिनियम की धारा 24(4) के अन्तर्गत छूट की श्रेणी में नहीं आते थे. सूचना आयोग की संस्तुतियों एवं निर्देश के बाद उक्त अधिसूचना को विधान सभा के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही की गई.

(V) ग्राम्य विकास :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करने और उन्हें परिचय पत्र दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाये, ताकि ऐसे परिवार के सदस्यों को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जा सके.

(VI) समस्त विभाग

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों के विनिष्टीकरण नियमों को संशोधित कर उन्हे प्रख्यापित किये जाने, विभागीय मैनुअलों को पूर्ण कर उनका अद्यतनीकरण किये जाने एवं विभिन्न प्रशासनिक सुधार विषयक कार्य के संबंध में सूचना आयोग द्वारा शिकायतों और अपीलों में पारित आदेशों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये हैं. साथ ही अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत नये नियमों के निरूपण एवं वर्तमान नियमों में संशोधन के प्रस्ताव दिये गये हैं.

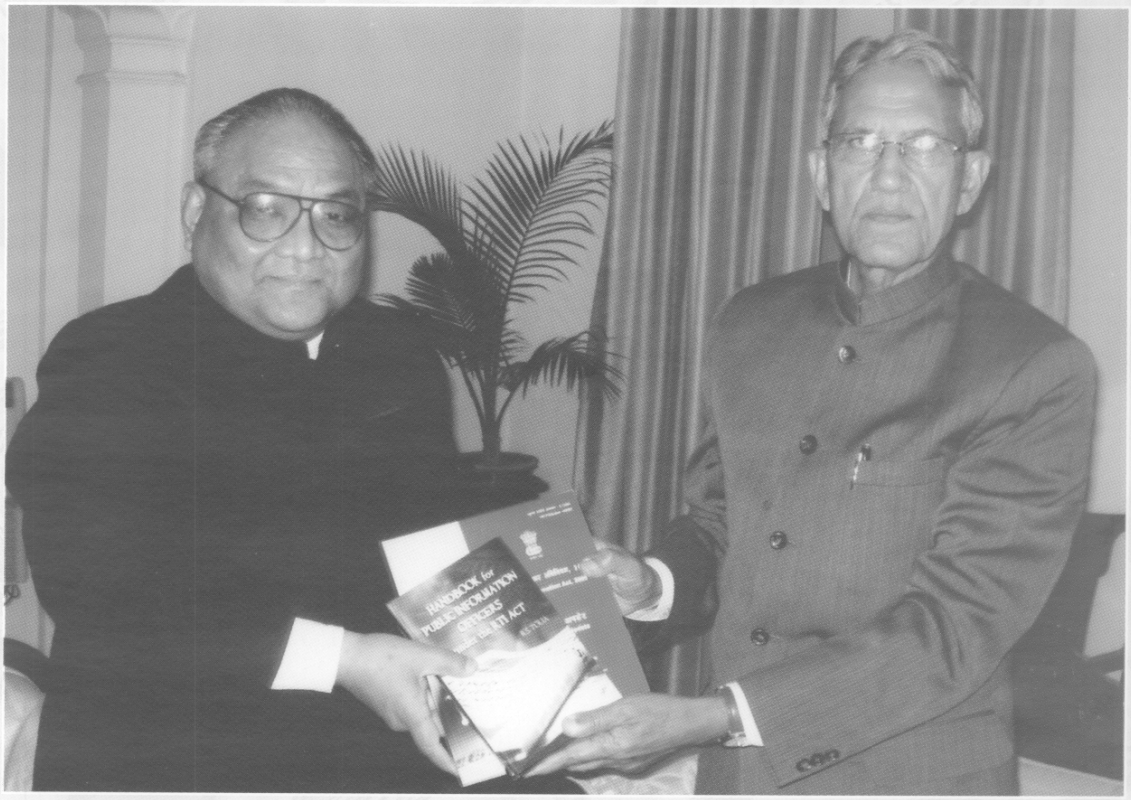

महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड से शिष्टाचार भेंट करते हुये मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

सचिव सामान्य प्रशासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या 624/XXXI (13) G/2006–52(35)/06

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन के अंत में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए कुछ संस्तुतियां की गयी हैं। इन संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है।

क्र.स.	संस्तुति	कार्यवाही
1.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रख्यापित उत्तम व्यवहार संस्तुतियों को राज्य सरकार समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करें और प्रत्येक शासन स्तरीय लोक प्राधिकारी से अपेक्षा करें कि वह इन संस्तुतियों का अपने–अपने स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक समय सारणी बनायें और उपरोक्त समय सारणी के अनुसार प्रगति की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग/नोडल विभाग द्वारा मासिक रूप से करे तथा उसे मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाय।	अपनी पहली संस्तुति में आयोग ने प्रख्यापित उत्तम व्यवहार संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन की अपेक्षा की है। उत्तम व्यवहार की दिशा में 12 विषयों के 52 बिन्दुओं पर कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इनमें अधिकांश बिन्दुओं पर शासन द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है–जैसे सभी विभागों द्वारा लोक प्राधिकारी इकाईयों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। लोक सूचना हस्तपुस्तिकायें (Manuals) बनाये जा रहे हैं। प्रायः सभी विभागों द्वारा लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील प्राधिकारियों का नामांकन किया जा चुका है। अधिकांश कार्यालयों में सूचना पट्ट व आवेदन शुल्क प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। प्रायः सभी लोक प्राधिकारी इकाईयां अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त संदर्भों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा की गई है और विभागीय अधिकारियों को अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। तथापि कुछ बिन्दुओं पर अभी कार्यवाही की जानी है जिसके लिए शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। शासन द्वारा प्रख्यापित 22 मार्च 2006 व 5 मार्च 2007 के प्रक्रिया निर्धारण व क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश इस दिशा में किये जा रहे सतत् प्रयास के द्योतक हैं।
2.	प्रत्येक विभाग/लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धार 4 में प्राविधानित 17 बिन्दुओं पर मैनुअलों के निर्माण कार्य और उसके निर्माणोपरान्त आयोग द्वारा अनुमोदन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लें और उसे विलम्बतम् अगले 6 माहों में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभी तक 84 विभागों/लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक सूचना हस्तपुस्तिकायें (Manuals) बनाये जा चुके हैं और उन्हें सूचना आयोग में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिन लोक प्राधिकारियों द्वारा अभी मैनुअल्स नहीं बनाये गये हैं उनसे शीघ्र कार्यवाही के लिए सचिव महोदय द्वारा 15 फरवरी 2007 को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब तक शासन व विभागाध्यक्ष स्तर (राज्यस्तर) के प्रायः सभी लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा अपने manuals

		तैयार किये जा चुके हैं। अब कुछ अधीनस्थ कार्यालयों व मण्डल जनपद स्तरीय लोक प्राधिकारियों के manuals बनाने शेष हैं जो शीघ्र पूरा हो जायेगा।
3.	राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर पर सूचना का अधिकार के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अवस्थापना की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार लेते हुए उसके लिए आवश्यक बजट और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाय।	राज्य सराकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर तक सूचना का अधिकार के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है। सभी स्तरों पर यथा उचित लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील प्राधिकारियों का नामांकन किया जा चुका है और उनके द्वारा सूचना के अनुरोधों के निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। संसाधनों की सुलभता के अनुसार अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।
4.	सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रत्येक विभाग की तैयार की जा रही प्रक्रिया संबंधी विभागीय मैनुअल का अनिवार्य भाग बनाया जाय और इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रत्येक विभाग के विभागीय मैनुअलों के माध्यम से भी अंगीकृत करके क्रियान्वित किया जाय। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय मैनुअल से इस व्यवस्था को प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक विभाग के मैनुअल में सूचना का अधिकार अधिनियम को यथावत रखते हुए उसे विभागीय प्रक्रिया का भाग बना दिया जाय।	सभी लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा सूचना आयोग के सुझाव के अनुसार अपनी लोक सूचना हस्तपुस्तिकाओं (Manuals) में सूचना का अधिकार अधिनियम को सम्मिलित किया जा रहा है। जो लोक प्राधिकारी इकाईयां अभी मैनुअल्स तैयार कर रही हैं उन्हें भी इस सम्बन्ध सूचित किया जायेगा।
5.	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपील अधिकारियों की एक निदर्शिनी अविलम्ब तैयार करने और उसकी प्रतियां विभिन्न कार्यालयों को इस प्रकार उपलब्ध करायी जाय जिससे प्रदेश में किसी भी स्थान से इसकी जानकारी जन सामान्य को प्राप्त हो सके कि विभाग में लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी कौन हैं। निदर्शिनी की एक प्रति वेबसाइट और उत्तरा पोर्टल पर भी उपलब्ध रहे।	शासन द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों व विभागीय अपील प्राधिकारियों की निदर्शिनी पहले ही तैयार कर दी गयी है। इसमें अब तक 212 लोक प्राधिकारियों से विवरण प्राप्त हुआ है। यह निर्दर्शिनी उत्तराखण्ड शासन की वेबसाई www.ua.nic.in के Right to Information पोर्टल पर उपलब्ध है। अभी कुछ और लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होनी है उनको दिनाक 15 फरवरी, 2007 को अनुस्मारक पत्र लिखा गया है। इस वर्ष के अंत तक लोक सूचना अधिकारियों की अद्यतन निर्देशिका प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है।
6.	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों और समस्त जिला स्तरीय	राज्य व जिला मुख्यालय स्तरों पर सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में शासनादेश, दिनांक 5 मार्च 2007 मे भी उल्लेख किया

	कार्यालयों के अतिरिक्त सचिवालय और सभी निदेशालय मुख्यालयों को सूचना का अधिकार सुविधा केन्द्र के (RTI Facilitation Centre) के रूप में विकसित किया जाय और इसके लिए संबन्धित विभाग को आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जाय।	गया है। सभी विभागाध्यक्षों व जिला अधिकारियों से विचार–विमर्श तथा प्रस्ताव के वित्तीय व व्यावहारिक पक्षों पर विचार–विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जायेगा।
7.	उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल के मार्गदर्शन और नेतृत्व मे समस्त विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबन्ध में विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक वार्षिक कलेण्डर तैयार किया जाय और वार्षिक कलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सीधे प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की जाय जिससे कि पूरे प्रदेश के समस्त कार्मिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी समस्त बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त हो सके। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में समय समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशालायें आयोजित करके अनुभव हो रही कठिनाईयों के संबन्ध में आवश्यक उपाय भी किये जायें।	विभागीय अधिकारियों की सूचना के अधिकार विषय पर विभाग स्तर पर जागरूकता कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। राज्य सूचना आयोग के सुझाव के अनुसार सभी प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ इस विषय पर उचित विचार–विमर्श के बाद सूचना के अधिकार विषय पर नियमित प्रशिक्षण आयेाजित करने हेतु यथाशीघ्र एक कार्ययोजना तैयार कर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8.	बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए ओर जनहित में आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः अल्मोड़ा और श्रीनगर पौड़ी में भी स्थापित करके उन्हें अविलम्ब सक्रिय किया जाय।	सूचना आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं। इस प्रस्ताव पर आवश्यकता, औचित्य एवं वित्तीय व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत शीघ्र यथोचित निर्णय लेकर आयोग को सूचित कर दिया जायेगा।
9.	राज्यसभा और मा. उच्च न्यायालय के स्तर पर नियमावलियों के प्रख्यापन के संबंध में शासन स्तर पर इसका शीघ्र अनुश्रवण किया जाय।	विधान सभा व मा0 उच्च न्यायालय के स्तर पर नियमावलियों की अधिसूचना निर्गत किये जाने हेतु इन दोनों सक्षम पदाधिकारियों से शासन स्तर से अनुरोध व अनुश्रवण किया जायेगा।

कुछ बिन्दुओं यथा लोक प्राधिकारियों इकाईयों को पृथक से अधिसूचित करनें, सभी विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार विषय को सम्मिलित करने अधिनियम, के अंतर्गत अभिलेखों व निर्माण कार्यों के निरीक्षण व प्रमाणित नमूने लेने की प्रक्रिया तय करने व विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों में अभिलेख सुलभ कराने के लिए पूर्व में प्रख्यापित मूल्य दरों को सुसंगत करने आदि विषयों पर कार्यवाही गतिमान है। इन पर शीघ्र कार्यवाही पूरी कर सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अष्टम बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2007 (शुक्रवार) में लिये गये संकल्प (Resolution)

आयोग की अष्टम बैठक में निम्न बिन्दुओं पर संकल्प पारित किये गयेः

प्रस्तावः8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है. तदानुसार इस संबंध में शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के द्वारा लोक प्राधिकारियों को चिन्हित किया गया था. परन्तु आयोग में प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण की सुनवायी के दौरान यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कई लोक प्राधिकारी स्तर पर यह स्पष्ट नही है कि वे लोक प्राधिकारी हैं अथवा नही. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ संगठन आयोग में सुनवायी के दौरान मा0 उच्च न्यायालय में इन प्रकरणों को ले गये हैं. आयोग का स्पष्ट अभिमत है कि इस स्थिति के विद्यमान रहते परिहार्य संदर्भ प्राप्त होंगे, जिससे जन–सामान्य व आयोग के समय का अपव्यय होगा. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के प्रस्तर 2 में संशोधन करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संशोधित आलेख्य विचारार्थ प्रेषित किया जाये.

संकल्प 8.1 आयोग द्वारा मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन के आलेख्य पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग का संशोधन प्रस्ताव मुख्य सचिव को अपने स्तर से प्रेषित के लिए अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव 8.2 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 अंतर्गत कतिपय सूचनाओं के प्रकटन से छूट के प्राविधान दिये गये हैं, अधिनियम की धारा 8(1)(झ) में मंत्रीमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, प्रकटन के लिए छूट की श्रेणी में आते हैं. परन्तु मंत्रिपरिषद के ऐसे विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किये जाने वाले और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है. मंत्रिपरिषद के कार्यों के निर्वहन के लिये शासन का गोपन अनुभाग लोक प्राधिकारी है. अतः यह प्रकाशन गोपन अनुभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

संकल्प 8.2 विचार विमर्श करने के उपरांत यह संकल्प पारित किया गया कि उक्त प्रस्ताव 8.2 के संबंध में शासन के गोपन विभाग/लोक प्राधिकारी को संस्तुति की जाये कि अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के परतुंक के प्राविधान का अनुपालन करते हुए ऐसे विनिश्चयों को जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने की अविलम्ब व्यवस्था करें एवं तदानुसार आयोग को भी अवगत करायें. प्रारंभ से वर्षवार लिये गये मंत्रिपरिषद निर्णयों के संबंध में उपरोक्त अनुपालन के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत भी समय–समय पर ऐसे विनिश्चयों के संबंध में उनके प्रकाशन की व्यवस्था अपने कार्या क्षेत्र के मैनुअल 17 के रूप में करें व उसे समय–समय पर अद्यतन भी करें.

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को लोक सूचना अधिकारी, गोपन अनुभाग/लोक प्राधिकारी को तदानुसार सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया.

सचिव
उत्तराखड सूचना आयोग

प्रस्तावित शासनादेश का आलेख

संख्या– /सू0अ0/XXXI(13)G/2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक / /2007

विषय– पूर्व में निर्गत सम संख्यक शासनादेश 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई 2005 के प्रस्तर 2 में संशोधन।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तैयारी के क्रम में शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई, 2005 के द्वारा लोक प्राधिकारियों के स्तर से लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था।

2. उपरोक्त शासनादेश के क्रियान्वयन के संबंध में शासन के प्रसंज्ञान में यह आया है कि समसंख्यक शासनादेश` प्रस्तर 2 में जिस प्रकार से लोक प्राधिकारियों को चिन्हित किया गया था, उसमें व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जा रही है। लोक प्राधिकारी की अधिनियम की धारा 2(ज) में दी गई परिभाषा के आधार पर किस स्तर पर लोक प्राधिकारियों को वास्तव में चिन्हित किया जायेगा, स्पष्ट नहीं है। परिणामस्वरूप कई लोक प्राधिकारियों के स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह स्वयं लोक प्राधिकारी हैं अथवा नहीं। उपरोक्त व्यवस्था के कारण कतिपय संस्थायें/संगठन द्वारा अपने को लोक प्राधिकारी न मानते हुए मा. उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में याचिकायें दायर की हैं।

2.1 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को हर स्तर पर स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो कि कौन–कौन संस्था/संगठन, लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त दुविधा के निराकरण के लिए समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2005 के प्रस्तर 2 को संशोधित कर, निम्न प्रस्तर संस्थापित किया जाता है।

2.2 संशोधित प्रस्तर निम्न प्रकार से पढ़ा जाये:

संशोधित प्रस्तर 2/शासनादेश 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई, 2005	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में लोक प्राधिकारी को प्रत्येक स्तर पर इस आदेश के साथ अनुलग्नक I से XIX तक सूचीबद्ध किया जाता है।

3. प्रत्येक लोक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल शासनादेश के शेष प्रस्तरों, प्रस्तर 3 से 14 तक, में जो निर्देश दिये गये थे, उनका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

4. विभिन्न अनुलग्नकों (अनुलग्नक–1 से XIX) में सूचीबद्ध लोक प्राधिकारियों के संबंध में किसी विभाग/लोक प्राधिकारी को यदि अपने अथवा प्रशासनिक रूप से अपने अधीनस्थ किसी अन्य लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न हो तो वह इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के नोडल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, से सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट करा लें।

5. संलग्नक ;– अनुलग्नक I से XIX

भवदीय

(एस0के0दास)
मुख्य सचिव

संख्या– /सू0अ0/XXXI(13)G/2007–तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ;

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूं, उत्तराखण्ड।
2. समस्त, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।
6. सचिव, राज्य सूचना आग्रोग, सेक्टर–1, सी– 10, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0एच0खान
सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

अनुलग्नक I

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
1.	सचिवालय स्तर	1. कृषि एंव कृषि विपणन 2. पशुपालन 3. मत्स्य 4. मुख्यमंत्री कार्यालय 5. नागरिक उड्डयन 6. गोपन 7. सहकारिता 8. संस्कृति 9. डेयरी विकास 10. आपादा न्यूनीकरण एंव प्रबंधन 11. पेयजल 12. निर्वाचन 13. ऊर्जा 14. राज्य सम्पति 15. सैनिक कल्याण 16. आबकारी 17. वित्त 18. खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति 19. वन एंव पर्यावरण 20. सामान्य प्रशासन 21. उद्यान एंव रेशम 22. आवास 23. उद्योग 24. सूचना प्रोद्योगिकी 25. सूचना 26. सिंचाई 27. न्याय 28. श्रम एंव सेवायोजना 29. लघु सिंचाई 30. पंचायती राज एंव ग्रामीण अभियंत्रण 31. विधाई संसदीय कार्य एंव भाषा विभाग 32. कार्मिक

		33. नियोजन 34. प्रोटोकाल 35. लोक निर्माण विभाग 36. धर्मस्व 37. राजस्व 38. ग्राम्य विकास 39. सहकारिता, गन्ना विकास एंव चीनी उद्योग 40. खेल 41. राज्य पुर्गठन 42. पर्यटन 43. परिवाहन 44. शहरी विकास 45. सतर्कता 46. जलागम प्रबंधन 47. महिला शसक्तीकरण एंव बाल विकास 48. युवा कल्याण एंव प्रांतीय 49. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 50. विद्यालयी शिक्षा 51. उच्च शिक्षा 52. प्राविधिक शिक्षा 53. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 54. गृह 55. चिकित्सा शिक्षा 56. समाज कल्याण

अनुलग्नक II

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
1.	निदेशालय / मुख्यालय	1. कृषि निदेशालय देहरादून 2. पशुपालन निदेशालय गोपेश्वर (चमोली) 3. मत्स्य निदेशालय देहरादून 4. नागरिक उड्डयन जौलीग्रान्ट, देहरादून 5. सहकारिता निदेशालय, देहरादून 6. संस्कृति निदेशालय, देहरादून 7. डेयरी विकास निदेशालय हल्द्वानी 8. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन निदेशालय देहरादून 9. पेयजल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून 10. सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास निदेशालय देहरादून 11. आबकारी निदेशालय 12. लेखा एंव हकदारी निदेशालय देहरादून 13. कोषागार एवं वित्त सेवायें निदेशालय देहरादून। 14. राष्ट्रीय बचत निदेशालय देहरादून। 15. फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स निदेशालय देहरादून। 16. वाणिज्य कर निदेशालय देहरादून 17. मनोरंजन कर निदेशालय देहरादून। 18. स्टाम्प एवं निबंधन निदेशालय देहरादून। 19. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशालय देहरादून 20. वन एवं पर्यावरण निदेशालय देहरादून। 21. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय रानीखेत 22. रेशम निदेशालय देहरादून। 23. नगर एवं ग्राम्य नियोजन मुख्यालय, देहरादून। 24. उद्योग निदेशालय देहरादून 25. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून 26. सिंचाई निदेशालय देहरादून 27. टिहरी बांध एवं पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी 28. महा अधिवक्ता, उच्च न्यायालय नैनीताल 29. श्रम निदेशालय देहरादून 30. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन हल्द्वानी 31. कर्मचारी राज्य बीमा एवं श्रम औषधालय देहरादून। 32. लघु सिंचाई निदेशालय, देहरादून 33. पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण निदेशालय देहरादून 34. अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून।

		35. लोक निर्माण निदेशालय, देहरादून 36. मुख्य राजस्व आयुक्त मुख्यालय देहरादून 37. ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी 38. सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग काशीपुर 39. खेल निदेशालय देहरादून 40. परिवहन आयुक्त मुख्यालय देहरादून 41. शहरी विकास निदेशालय देहरादून 42. राज्य नगरीय विकास निदेशालय, देहरादून 43. सतर्कता निदेशालय, देहरादून 44. जलागम प्रबन्धन निदेशालय, देहरादून 45. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय, देहरादून 46. युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, देहरादून 47. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून 48. विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून 49. उच्च शिक्षा निदेशालय देहरादून 50. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी 51. आई.टी.डी.ए. निदेशालय देहरादून 52. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय देहरादून 53. महानिरीक्षक कारागार देहरादून 54. नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स निदेशालय देहरादून 55. अभियोजन निदेशालय देहरादून 56. आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय देहरादून 57. होम्योपैथी निदेशालय देहरादून 58. समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी 59. विद्युत सुरक्षा/विद्युत निरीक्षक उत्तराखण्ड हल्द्वानी

अनुलग्नक–III

क्रं सं.	विभाग	लोकप्राधिकारी
1.	वृत्त/मण्डल/संभाग स्तर	1.उप निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल, पौड़ी 2. उप निदेशक, पशुपालन विभाग कुमांऊ मण्डल, नैनीताल 3. उप निदेशक, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान पशुलोक–देहरादून 4. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू, रूद्रप्रयाग 5. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैंण चमोली 6. अंगोरा शशक प्रक्षेत्र चम्पावत 7. कुक्कुट रोग निदोन प्रयोगशाला कोटद्वार 8. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कोटद्वार 9. उप निदेशक सघन पशु विकास प्रयोजना हल्द्वानी 10. उप निदेशक सघन भेड़ विकास पौडी 11. रोग अनुसंधान अधिकारी भेड़ श्रीनगर 12. वरिष्ठ शोध अधिकारी चारा प्रोजेक्ट पशुलोक 13. ज्येष्ठ शोध अधिकारी चारा अल्मोड़ा 14. तरल नत्रजन संयंत्र श्रीनगर गढ़वाल 15. पशु शव उपयोग केन्द्र देहरादून 16. महाप्रबंधक उत्तराखण्ड जल संस्थान पौड़ी 17. महाप्रबंधक उत्तराखण्ड जल संस्थान नैनीताल 18. अधीक्षण अभियन्ता वृत्त स्तर पर (10) 19. शिविर कार्यालय लेखा एवं हकदारी हल्द्वानी 20. वित्तीय सांख्यकीय प्रभाग देहरादून 21. स्थानीय निधि लेखा प्रभाग देहरादून 22. सहकारी समितियां एवं पंचायतें देहरादून 23. उप आयुक्त वाणिज्य कर विभाग (10) 24. सहायक आयुक्त वाणिज्य कर (6) 25. सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन पौडी 26. सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन नैनीताल 27. सहायक निबन्धक/उपनिबंधक फर्म्स एवं सोसाइटी (2) 28. सम्भागीय खाद्व नियंत्रक गढ़वाल एवं कुमांऊ (2) 29. सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी खाद्व कुमांऊ सम्भाग, हल्द्वानी 30. सहायक आयुक्त(खाद्य) कुमाऊं सम्भाग, हल्द्वानी 31. सहायक आयुक्त(खाद्य) गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी 32. वृत्त वन संरक्षक(9) 33. मुख्य वन जीव प्रतिपालक नैनीताल 34. कार्बेट राष्ट्रीय पार्क रामनगर 35. राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून 36. नंदादेवी बायोस्फेयर रिजर्व गोपेश्वर 37. वन संरक्षक कार्ययोजना वित्त, नैनीताल 38. वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी 39. वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण, देहरादून 40. नोडल अधिकारी बायोफ्यूल, देहरादून 41. नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून

		42. फल संरक्षण अधिकारी कुमाऊं मण्डल, नैनीताल 43. फल संरक्षण अधिकारी गढ़वाल मण्डल, पौड़ी 44. सहायक नियोजक सहयुक्त देहरादून 46. उप श्रमायुक्त हल्द्वानी 47. उप श्रमायुक्त देहरादून 48. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून 49. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैंसडाउन 50. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोड़ा 51. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई पौड़ी 52. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई नैनीताल 53. मंडलीय अर्थ एवं संख्याअधिकारी पौड़ी 54. मंडलीय अर्थ एवं संख्याअधिकारी हल्द्वानी 55. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गढ़वाल पौड़ी 56. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कुमाऊं नैनीताल 57. आयुक्त गढ़वाल पौड़ी 58. आयुक्त कुमाऊं नैनीताल 59. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(10) 60. मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल पौड़ी. 61. मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊं नैनीताल. 62. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक पौड़ी 63. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक नैनीताल 64. अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नरेन्द्र नगर 65. उप निदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून 66. मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस गढ़वाल श्रीनगर 67. मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस कुमाऊं, हल्द्वानी

अनुलग्नक–IV

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
1.	जिला स्तर	1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी (13) 2. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी(13) 3. समस्त ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक (13) 4. जिला समहायक निबंधक (13) 5. सहायक निदेशक डेयरी विकास (13) 6. परियोजना प्रबंधक जिला स्वजल परियोजना (ग्रामीणी एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनायें) (9) 7. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान (21) 8. जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी (13) 9. जिला आबकारी अधिकारी (13) 10. वित्तीय परामर्शदाता (लेखा एवं हकदारी) (13) 11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी (13) 12. जिला सम्प्रेक्षक अधिकारी (9) 13. कोषाधिकारी लैंसडाउन, कोटद्वार, रूड़की, नरेन्द्र नगर (4) 14. सहायक निदेशक/जिला बचत अधिकारी 15. मनोरंजन कर अधिकारी (13) 16. असिसटेंट कमिश्नर वाणिज्य कर (6) 17. उप निबन्धक स्टाम्प एवं निबंधन (13) 18. जिला पूर्ति अधिकारीं (13) 19. क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी (13) 20. वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक (13) 21. प्रभागीय वनाधिकारी (37) 22. कार्य योजना अधिकारी वन (2) 23. ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक (13) 24. सहायक निदेशक रेशम (3) 25. नियत अधिकारी (आवास विभाग) (18) 26. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र (13) 27. जिला सूचना अधिकारी (13) 28. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग (68) 29. जिला सेवायोजन अधिकारी (13) 30. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई (13) 31. जिला पंचायत राज अधिकारी (13) 32. अर्थ एवं संख्या अधिकारी (13) 33. अधीक्षक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (12) 34. जिला अधिकारी (13) 35. मुख्य विकास अधिकारी (13)

		36. सहायक गन्ना आयुक्त(5) 37. जिला क्रीड़ा अधिकारी (13) 38. जिला पर्यटन विकास अधिकारी (13) 39. मुख्य नगर अधिकारी (1) 40 उप परियोजना निदेशक जलागम प्रबंधक (6) 41. जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास)(13) 42. जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी (13) 43. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (13) 44. जिला शिक्षा अधिकारी (13) 45. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) (13) 46. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) (13) 47. प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (13) 48. जिला परियोजना अधिकारी (12) 49. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (13) 50. वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार (9) 51. जिला कमान्डेन्ट होमगार्डस (13) 52 उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा (1) 53. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (13) 54 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी (13) 55. जिला समाज कल्याण अधिकारी (13) 56. सहायक विद्युत निरीक्षक (1)

नोट– कोष्ठक में लोक प्राधिकारी इकाईयों की संख्या दी गयी है ।

अनुलग्नक–V

कं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
1.	उप जिला स्तरीय	1. सहायक निदेशक (जलागम प्रबंध इकाई) (13) 2. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान (21) 3. उप खाद्य नियंत्रक/विपणन अधिकारी (10) 4. चिकित्सा अधिकारी (33) 5. कनिष्ठ अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग (95) 6. समस्त उप जिला अधिकारी उत्तराखण्ड 7. समस्त तहसीलदार उत्तराखण्ड 8. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (10) 9. प्रधान प्रबंधक गन्ना एवं चीनी (4) 10. अधिशासी निदेशक गन्ना एवं चीनी (2) 11. सचिव गन्ना एवं चीनी विभाग (14) 12. सहायक विद्युत निरीक्षक रूड़की एवं हल्द्वानी (2)

नोट– कोष्ठक में लोक प्राधिकारी इकाईयों की संख्या दी गयी है ।

अनुलग्नक–VI

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	विकास खण्ड स्तरीय	1. सहायक विकास अधिकारी कृषि– समस्त विकास खण्ड 2. सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा – समस्त विकास खण्ड 3. उप जलागम प्रबंधक – 82 4. पशु चिकित्सा अधिकारी –समस्त पशु चिकित्सालय 5. समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी 6. खण्ड विकास अधिकारी – 95 7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 49

अनुलग्नक–VII

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	ग्राम्य स्तर	1. समस्त पशु सेवा केन्द्र 2. समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र 3. समस्त प्राथमिक केन्द्र 4. समस्त प्राइमरी पाठशाला

अनुलग्नक–VIII

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	पंचायती राज सस्थायें	1. नगर निगम (1) 2. जिला पंचायत (13) 3. क्षेत्र पंचायत (95) 4. समस्त नगरपालिका परिषद उत्तराखण्ड 5. समस्त नगर पंचायत 6. समस्त ग्राम पंचायत

अनुलग्नक–IX

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	आयोग	1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून 2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून 3. राज्य योजना आयोग, देहरादून 4. राजधानी स्थल चयन आयोग, देहरादनू 5. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार 6. राज्य महिला आयोग, देहरादून 7. उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग, देहरादून 8. द्वितीय राज्य वित्त आयोग, देहरादून 9. पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून 10. उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग, देहरादून 11. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, देहरादून

अनुलग्नक–X

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	प्राधिकरण	1. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून 2. हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार 3. झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल 4. दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, देहरादून 5. गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, उत्तरकाशी 6. भगीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून

अनुलग्नक–XI

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	निगम / सार्वजनिक उपक्रम	1. गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून 2. कुमाऊं मण्डल विकास निगम नैनीताल 3. राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) देहरादून 4. उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई विकास निगम हल्दी (उधम सिंह नगर) 5. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम देहरादून 5.1 अधिशासी अभियन्ता (10) 5.2 उपमहाप्रबन्धक(7) 5.3 समस्त उपखंड अधिकारी 6. उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि. देहरादून 6.1 मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन 6.2 महा प्रबंधक उ.पा.का. गढ़वाल / कुमाऊ(2) 6.3 उप महाप्रबंधक (11) 6.4 अधिसासी अभियन्ता(46) 6.5 उपखण्ड अधिकारी(83) 7. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन उत्तराखण्ड लि. देहरादून 7.1 उप महाप्रबंधक पारेषण पिटकुल (2) 7.2 उप महाप्रबंधक परीक्षण एवं प्रशिक्षण(1) 7.3 उप महाप्रबंधक जानपद (पारेषण)(1) 7.4 अधिशासी अभियन्ता पारेषण (7) 7.5 अधिशासी अभियन्ता(2) 7.6 परीक्षण एवं परिचालन 7.7 अधिशासी अभियन्ता जानपाद (पारेषण)(3) 8. उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून 8.1 मण्डलीय प्रबन्धक गढ़वाल एवं कुमाऊं(2) 8.2 सहायक महाप्रबंधक(19) 9. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, देहरादून 10. आवास एवं नगर विकास देहरादून 11. कृषि वित्त निगम, देहरादून 12. उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून 13. उत्तराखण्ड अल्प संख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून 14. हिल्ट्रान देहरूदन 15. उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून (शिविर) 15.1 महाप्रबन्धक वन विकास निगम गढ़वाल / कुमाऊं (2) 15.2 प्रभागीय वन विकास निगम प्रबन्धक (21)

		15.3 प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (5) 16. पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून 16.1 मुख्य अभियंता गढ़वाल उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पौड़ी 16.2 मुख्य अभियंता गढ़वाल उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल 16.3 अधीक्षण अभियन्ता (6) 16.4 महाप्रबंधक निर्माण, देहरादून 16.5 परियोजना प्रबंधक निर्माण पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (3) 16.6 अधीक्षण अभियंता यांत्रिक मण्डल (2) 16.7 अधीक्षण अभियंता निर्माण/प्रबन्ध शाखा (47) 17 उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन देहरादून।

नोट– कोष्ठक में लोक प्राधिकारी इकाईयों की संख्या दी गयी है ।

अनुलग्नक–XII

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	परिषद	1. जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून 2. उत्तराखण्ड कृषक मित्र परिषद, देहरादून 3. भूमि सुधार परिषद, देहरादून 4. उत्तराखंण्ड भेड़ व ऊन विकास परिषद देहरादून 5. उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद, देहरादून 6. राज्य पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून 7. उत्तराखण्ड साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद, अल्मोड़ा 8. चारधाम विकास परिषद देहरादून 9. उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद देहरादून 10. उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद देहरादून 11. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद, देहरादून 12. उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर 13. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेन्द्र नगर 14. प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की 15. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून 16. चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा 17. युवा कल्याण परिषद, देहरादून 18. उत्तराखण्ड विकास परिषद, देहरादून 19. राज्य बाल विकास बोर्ड, देहरादून 20. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून 21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून।

अनुलग्नक–XIII

क्रं0 सं0	विभाग		लोक प्राधिकारी
	पंजीकृत समितियां / ट्रस्ट	1.	राज्य आपदा राहत समिति, देहरादून
		2.	राज्य सिंचाई सलाहकार समिति, देहरादून
		3.	बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून
		4.	15–सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून
		5.	राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य सलाहाकार समिति, देहरादून
		6	राज्य स्तरीय मंत्रणकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति, देहरादून
		7.	श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, देहरादून
		8.	व्यापार कर सलाहकार समिति, देहरादून
		9.	उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून
		10.	राज्य विकलांग जन परामर्शदायी समिति, देहरादून
		11.	समाज कल्याण अनुश्रवण समिति, हल्द्वानी
		12.	मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून
		13.	उत्तराखण्ड आवास एवं क्षेत्रीय विकास समिति, देहरादून
		14.	राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, देहरादून
		15.	पेयजल सलाहकार समिति देहरादून
		16.	उत्तरांचल आवास एवं क्षेत्रीय विकास समिति, देहरादून।

अनुलग्नक–XIV

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	अकादमी / संस्थान	1. प्रशासनिक अकादमी उत्तराखण्ड नैनीताल 2. उत्तराखण्ड संस्कृति अकादमी, अल्मोड़ा 3. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर 4. जल संस्थान 4.1 महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान कुमाऊँ / गढ़वाल (2) 4.2 अधीक्षण अभियन्ता उत्तरांचल जल संस्थान (10) 4.3 अधिशासी अभियन्ता उत्तरांचल जल संस्थान (21) 5. जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर 6. वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी 7. राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा 8. राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा 9. राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग संस्थान देहरादून 10. लोक कला संस्थान अल्मोड़ा

नोट– कोष्ठक में लोक प्राधिकारी इकाईयों की संख्या दी गयी है ।

अनुलग्नक–XV

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	परियोजनायें	1. हिमालयीय आजीविका सुधार परियोजना, देहरादून 2. महिला डेयरी परियोजना, अल्मोड़ा 3. उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम, देहरादून 4. उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परियोजना, देहरादून 5. निदेशक एकीकृत बाल विकास परियोजना, देहरादून

अनुलग्नक–XVI

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	शैक्षिक संस्थायें	1. राज्य विश्वविद्यालय (8) 2. राजकीय महाविद्यालय (48) 3. अशासकीय महाविद्यालय (7) 4. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (17) 5. अशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (8) 6. समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7. समस्त माध्यमिक विद्यालय 8. समस्त अशासकीय विद्यालय 9. भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून (3)

नोट– कोष्ठक में लोक प्राधिकारी इकाईयों की संख्या दी गयी है ।

अनुलग्नक–XVII

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	न्यायाधिकरण / अधिकरण / फोरम	1. लोक सेवा अधिकरण, देहरादून 2. व्यापार कर अधिकरण, देहरादून 3. व्यापार परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून 4. सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून 5. राजकीय उपभोक्ता फोरम, देहरादून 6. अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून 7. ग्रामीय सड़क विकास अभिकरण, देहरादून

अनुलग्नक–XVIII

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	समितियां	1. वित्त पोषित समस्त एवं सेवी समितियां 2. सहायता प्राप्त अनुदानित समितियां / कमेटी 3. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून

अनुलग्नक–XIX

क्रं0 सं0	विभाग	लोक प्राधिकारी
	अन्य	1. राज्य अभिलेखागार, देहरादून 2. रंग मण्डल, देहरादून 3. क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा 4. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली 5. पुनर्गठन आयुक्त विकास भवन, लखनऊ 6. व्यवस्थाधिकारी राज्य अतिथि गृह नैनीताल 7. व्यवस्थाअधिकारी राज्य अतिथि गृह डामकोठी हरिद्वार

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 4287 / 73B / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2006 दिनांक : 15 / 12 / 2006

समस्त लोक प्राधिकारी
(निदेशालय स्तर) / निगम / प्राधिकरण

विषय– सूचना का अधिकार के अंतर्गत निर्माण कार्यों के स्थल से गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों को नमूना लेने का अधिकार विषयक–

राज्य के अनेक लोक प्राधिकारी इकाई द्वारा निर्माण कार्य या तो स्वयं कराया जा रहा है अथवा किसी अन्य निर्माण ऐजेन्सी के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत कार्य के नमूने लेना भी सूचना की परिभाषा मे आता है एंव धारा 2 (ञ)(iii) में किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना 'सूचना का अधिकार' में सम्मिलित है, परन्तु आयोग स्तर पर यह देखा गया है कि–

1. निर्माण कार्यों के स्थल का निरीक्षण।

1.2 निर्माण कार्यों के स्थल में सामग्री में प्रमाणित नमूने लेना।

उपरोक्त 1 व 1.2 बिन्दुओं पर संबंन्धित विभाग द्वारा मैनुअल संख्या 3 व 4 में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। लोक प्राधिकारियों द्वारा इसकी क्या व्यवस्था की गई है या विभाग द्वारा निरीक्षण / नमूने लेने का निर्देश / शासनादेश मैनुअल में समावेश नहीं किये गये हैं। वर्तमान में विद्यमान इस विषय के शासनादेश / निर्देश उपलब्ध हो तो उन्हें मैनुअल के सम्बन्धित भाग में समावेश करते हुए आयोग को भी उसकी एक छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें

आयोग सभी लोक प्राधिकारियों एवं निर्माण ऐजेन्सियों से यह भी अपेक्षा करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के स्थल पर निरीक्षण एवं नमूने लेने का अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों को तकनीकि सम्प्रेक्षण के रूप में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश प्राप्त कर लेंगे।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव
उत्तरांचल सूचना आयोग

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव
उत्तरांचल सूचना आयोग

सूचना के अधिकार के अंतर्गत विभाग द्वारा सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं नमूनों के परीक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश के प्रस्तावित मार्गदर्शी बिन्दु

1– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु विभागीय टेक्निकल आडिट सेल (टी0ए0सी0) द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकिया के समान ही सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राथी को विभाग द्वारा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राथी को निर्माण कार्यो की जांच हेतु वही सूचनायें एंव अभिलेख उपलब्ध करवायें जायेंगे जोकि कार्यों की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा की जाने वाली जांच के समय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं, ताकि प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकारी की उपस्थिति में निर्माण कार्यों की जांच सम्पन्न कर कार्य की गुणवत्ता का विधिवत संज्ञान लिया जा सके। इस हेतु सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को निम्न विवरण के अनुसार अभिलेख आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार देय धनराशि प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकारी को जमा की जायेगी।

अभिलेखों का विवरण–

(क) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश की प्रति।
(ख) निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एंव विस्तृत आगणन की प्रति मानचित्रों सहित।
(ग) निर्माण कार्यों के अनुबन्ध की प्रति।
(घ) निर्माण कार्यों की विशिष्टियों एंव मानकों की प्रति।
(ङ) निर्माण कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में की गयी मापों की माप पुस्तिका की प्रति।
(च) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों के देयकों की प्रतियाँ।

2– सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु स्थल निरीक्षण का आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् एक उपयुक्त समय अवधि के भीतर प्रार्थी को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित तिथि एंव समय से अवगत कराया जायेगा तथा उस तिथि को सूचना अधिकारी सम्बन्धित स्टाफ एंव उपरोक्त समस्त अभिलेखों के साथ कार्य स्थल पर उपलब्ध रहकर प्रार्थी के साथ जांच सम्पन्न करवायेंगें। प्रार्थी अपने संसाधनों से चिन्हित स्थल पर निर्धारित समयानुसार पंहुचेगा।

3– निर्माण कार्यों के स्थल नमूने प्राप्त कर सक्षम/अधिकृत प्रयोगशाला में नमूनो की जांच के सम्बन्ध में प्रार्थी के आवेदन पर सूचना अधिकारी द्वारा नमूनों को प्राप्त किये जाने के उनकी संख्या के अनुसार देय व्यय से प्रार्थी को उपयुक्त समय अवधि में सूचित किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा देय धनराशि जमा करने के पश्चात् स्थल पर जाने की तिथि एंव समय से सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जायेगा तथा उक्त तिथि को सूचना अधिकारी नमूने प्राप्त किये जाने की व्यवस्था के साथ स्थल पर उपलब्ध होगे।प्रार्थी निर्धारित तिथि को अपने संसाधनों से निर्धारित समयानुसार पंहुचेगा तथा प्रार्थी के सक्षम प्रश्नगत नमूनों को लेकर नियमानुसार सूचना अधिकारी द्वारा सील किया जायेगा जिस पर सूचना अधिकारी एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपरोक्त नमूनों को प्रार्थी की इच्छा पर निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में से किसी एक को प्रेषित किया जायेगा।

(क) जिला स्तरीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग।
(ख) क्षेत्रीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग।
(ग) आई0आई0टी0 रूड़की प्रयोगशाला, रूड़की।
(घ) सी0आर0आर0आई0 प्रयोगशाला, नई दिल्ली।

विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना परीक्षण की निर्धारित दरों के अनुसार देय धनराशि प्रार्थी द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् उपरोक्तानुसार नमूनों को प्रार्थी की इच्छित प्रयोगशाला को भेजा जायेगा।

4– प्रयोगशाला से नमूनों की जांच की रिर्पोट प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

इं0सी0एल0कपूर,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत निम्न लोक प्राधिकारियों के मैनुअल्स अनुमोदित किये गये

क्रम संख्या	लोक प्राधिकारी का नाम
1	राज्य सम्पत्ति विभाग
2	प्रोटोकॉल विभाग
3	राज्य पुनर्गठन विभाग
4	कृषि निदेशालय देहरादून
5	पशुपालन निदेशालय गोपेश्वर (चमोली)
6	मत्स्य पालन निदेशालय देहरादून
7	सहकारिता निदेशालय, देहरादून
8	संस्कृति निदेशालय देहरादून
9	डेयरी विकास निदेशालय, हल्द्वानी
10	आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन निदेशालय देहरादून
11	स्वजल परियोजना एवं स्वच्छता निवारण निदेशालय देहरादून
12	आबकारी निदेशालय देहरादून
13	लेखा एवं हकदारी निदेशालय देहरादून
14	कोषागार एवं वित्त सेवायें निदेशालय देहरादून
15	राष्ट्रीय बचत निदेशालय देहरादून
16	फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स निदेशालय, देहरादून
17	वाणिज्य कर निदेशालय, देहरादून
18	मनोरंजन कर निदेशालय देहरादून
19	स्टाम्प एवं निबंधन निदेशालय देहरादून
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशालय देहरादून
21	वन एंव पर्यावरण निदेशालय देहरादून
22	नगर एवं ग्राम्य नियोजन मुख्यालय, देहरादून
23	उद्योग निदेशालय देहरादून
24	सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून
25	सिंचाई निदेशालय देहरादून

26	महा अधिवक्ता, उच्च न्यायालय देहरादून
27	श्रम निदेशालय हल्द्वानी
28	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन हल्द्वानी
29	लघु सिंचाई निदेशालय, देहरादून
30	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण निदेशालय देहरादून
31	अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून
32	लोक निर्माण निदेशालय देहरादून
33	मुख्य राजस्व आयुक्त मुख्यालय देहरादून
34	ग्राम्य विकास निदेशालय पौड़ी
35	गन्ना विकास एवं चीन उद्योग काशीपुर
36	परिवहन आयुक्त मुख्यालय देहरादून
37	शहरी विकास निदेशालय देहरादून
38	राज्य नगरीय विकास निदेशालय, देहरादून
39	जलागम प्रबंधन निदेशालय, देहरादून
40	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय देहरादून
41	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, देहरादून
42	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून
43	उच्च शिक्षा निदेशालय, देहरादून
44	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी
45	पुलिस महानिदेशक मुख्यालय देहरादून
46	नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स निदेशालय, देहरादून
47	अभियोजन निदेशालय देहरादून
48	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय देहरादून
49	समाज कल्याण निदेशालय देहरादून
50	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत निम्न निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया

क्रम संख्या	लोक प्राधिकारी का नाम
1	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून
2	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, प्रेमनगर, देहरादून
3	निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
4	नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स निदेशालय, देहरादून
5	महानिरीक्षक, कारागार, देहरादून
6	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, रानीखेत
7	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बांध
8	सतर्कता निदेशालय, देहरादून
9	कार्यालय, होम्योपैथी निदेशालय, देहरादून
10	निदेशालय, जनजाति कल्याण देहरादून

अपील संख्या : अ–139/2006 मे माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित अंतिम आदेश का सारांश

"आयोग उपरोक्त व्यवस्था से अपने को सहमत नहीं पाता क्योंकि यह ज्ञातव्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस क्षेत्र जिस प्रकार से विस्तृत है और पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार आवागमन की सुविधायें अविकसित हैं. प्रस्तावित व्यवस्था को संशोधित करने के उपरान्त भी सूचना का अधिकार के माध्यम से जो एक सामान्य नागरिक को सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वह असफल ही रहेगा, आयोग यह समझाने में असमर्थ है कि जब राजस्व लेखपाल भूमि संबंधी अभिलेखों को स्वयं अपने स्तर से निर्गत करने और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों पर अपनी आख्या देने के लिए अधिकृत है, और जिसके आधार पर उच्चतम स्तर तक प्रमाण पत्र दिये जाते हैं तब ऐसे प्राधिकारी को सूचना का अधिकार के अंतर्गत विद्यमान अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत न किये जाने का क्या आधार है? पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान परिवहन, आवागमन, भौतिक स्थिति तथा पटवारी क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए आयोग का स्पष्ट मत है कि लेखपाल/पटवारी को राजस्व और पुलिस दोनों प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी बनाया जाना ही सूचना का अधिकार के उपबन्धों की मनसा के अनुकूल है। जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वित नहीं की जाती तब तक लोक प्राधिकारी के उपरोक्त निर्णय को सूचना का अधिकार अधिनिमय की भावना के प्रतिकूल मानते हुए आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा तद्नुसार कार्यवाही करते हुए पटवारी/लेखपाल को ही राजस्व और पुलिस संबंधी आवश्यक सूचनाओं के लिए जो उनकी अभिरक्षा में रखे जाते हैं, लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाय और उनके अगले नियंत्रक अधिकारी क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय। तहसील स्तर पर मुख्यालय, नायब तहसीलदार अथवा उससे किसी वरिष्ठ कर्मचारी को, जो तहसील में सदैव उपस्थित रहते हैं, लोक सूचना अधिकारी और तहसीलदार को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय।"

कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून

संख्या–03 / मु0सू0आ0 / 2006 दिनांक : 17 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

राजस्व विभाग एवं राजस्व पुलिस संगठन के अंतर्गत क्षेत्रीय / तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेखों एवं राजस्व पुलिस कार्य से संबंधित अभिलेखीय सूचना जन साधारण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं धारा–19 के अंतगत विभागीय अपील अधिकारी निम्न प्रकार नामित किये जाते हैं–

(क) क्षेत्रीय स्तर पर–

1–	लोक सूचना अधिकारी	–	पटवारी / लेखपाल
2–	विभागीय अपील अधिकारी	–	सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक

(ख) तहसील स्तर पर –

1–	लोक सूचना अधिकारी	–	नायब तहसीलदार (मुख्यालय)
2–	विभागीय अपील अधिकारी	–	तहसीलदार

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य राजस्व आयुक्त
लोक प्राधिकारी
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन, देहरादून
2. सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, देहरादून
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य राजस्व आयुक्त
लोक प्राधिकारी
उत्तरांचल, देहरादून

अपील संख्याः अ–77/2006 मे माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित अंतिम आदेश का सारांश

"आयोग का यह स्पष्ट अभिमत है कि अभिलेखों की अभिरक्षा, रख–रखाव तथा उनसे संबंधित हर प्रकार की कार्यवाही को केवल पूर्ण कालिक वेतन भोगी लोक सेवकों द्वारा ही व्यहृत किया जाय क्योंकि केवल उन्हीं परिस्थिति में सूचना का अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत लोक अभिलेखों के माध्यम से सूचना को किसी भी प्रार्थी को अधिकृत रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी अपील की सुनवाई के दौरान तथा अन्य अपीलों में भी आयोग द्वारा पंचायत राज तथा ग्राम्य विकास विभाग को पंचायत राज अधिनियम में तदानुसार संशोधन करते हुए आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, आज सचिव, पंचायत एवं ग्राम्य विकास द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि उपरोक्त संशोधन अब राज्य मंत्रीमण्डल के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना के माध्यम में प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है."

अपील संख्याः अ–139/2006 मे माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेश का सारांश

"जैसा कि अन्य अपीलों में भी, आयोग द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लोक सूचना के अधिकारियों के रूप में तैनात किये जाने के अपने निर्णय का सतत गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना है और आयोग का स्पष्ट अभिमत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिस स्तर पर मूल अभिलेख अभिरक्षित किये जाते हैं और जिस कार्यालय में सुविधा उपलब्ध है और जहां विभागीय नियमों के अधीन संबंधित अधिकारी द्वारा विभागीय सूचनायें दी जा सकती है तब ऐसी स्थिति में कोई भी औचित्य नहीं है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी न बनाया जाय। गृह विभाग, लोक प्राधिकारी के रूप में और महानिरीक्षक पुलिस विभागाध्यक्ष, लोक प्राधिकारी के रूप में पुनः अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकारियों के संबंध में यह समीक्षा कर लें कि किस स्तर तक के लोक सेवकों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है। यह आपत्तिजनक है कि थाना स्तर के अधिकारियों को, जो विभागीय नियमों के अधीनस्थ अपने विभागीय अभिलेखों को अभिरक्षित रखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी घोषित नहीं किया गया है। क्षेत्राधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी बनाना जो कि भ्रमणशील अधिकारी है एक प्रकार का सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना का स्पष्ट हनन ही है क्योंकि क्षेत्राधिकारी सामान्यतः मुख्यालयों में रहते हैं और एक व्यक्ति सूचना लेने के लिए क्षेत्राधिकारी के भ्रमण प्रोग्राम की जानकारी करें और इसके लिए उनके मुख्यालय जायें जबकि थाना कार्यालय उनके निकटस्थ है। यह व्यवस्था सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के अंतर्गत सही नहीं है। इसी प्रकार से विभागीय अधिकारियों को भी सामान्यतः उसी स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जहां पर लोक सूचना अधिकारी विद्यमान हो, जिससे अपील दायर करने के लिए सामान्यतः नागरिकों को परिहार्य भ्रमण न करना पड़े. पूरी व्यवस्था को जनता की सुविधा को केन्द्र में रखते हुए किया जाना चाहिए।

पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल देहरादून
संख्याः डीजी–5–287/2005 दिनांक 16/01/07

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत पुलिस विभाग से संबंधित सूचना/जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव विभागीय अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में मुख्यालय के पूर्व में निर्गत आदेश संख्या; डीजी–5–287/2005 दिनांक 19–9–05 एंव समसंख्यक आदेश दिनांक 18–2–06 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय/प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के आदेश पारित किये जाते हैं:–

1–थाना स्तर पर	
लोक सूचना अधिकारी	थानाध्यक्ष
सहायक लोक सूचना अधिकारी	हेड मोहर्रिर
विभागीय अपीलीय अधिकारी	क्षेत्राधिकारी
2–जनपद स्तर पर	
लोक सूचना अधिकारी	1–पुलिस अधीक्षक (जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त नहीं है) 2–अपर पुलिस अधीक्षक (जनपद नैनीताल/ऊधमसिंह नगर) 3– अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) (जनपद देहरादून/हरिद्वार)
सहायक लोक सूचना अधिकारी	1–क्षेत्राधिकारी (कार्यालय) 2–प्रधान लिपिक (पुलिस कार्यालय)
विभागीय अपीलीय अधिकारी	परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक
3–मुख्यालय स्तर पर	
लोक सूचना अधिकारी	उपमहानिरीक्षक, पुलिस दूर संचार
सहायक लोक सूचना अधिकारी	पुलिस अधीक्षक, अप0/का0 व्यवस्था
प्रथम अपीलीय अधिकारी	अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन

(कंचन चौधरी भट्टाचार्य)
पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
2– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरांचल
3– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– सचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग, सैक्टर–1 सी–10 डिफेन्स कालोनी, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन देहरादून।

संख्या 146 / सु0 / XXXI(3)G– / 2006

प्रेशक,

एम0रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग दिनांक 22 मार्च 2006

विषय : सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रकिया सम्बन्धी दिशा निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हो गया है। शासन स्तर पर इसके कियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियॉ पहले ही की जा चुकी है। विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों का नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों का अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों की सुविधा के लिए शासन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है जिसकी प्रतियॉ सभी विभागों को प्रेषित कर दी गयी हैं।

इन तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों का निस्तारण सुगमता से किये जाने की अपेक्षा की गयी हैं, लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाइयॉ आ रही है जिनका मुख्य कारण प्रकिया की अस्पष्टता व विभाग एवं लोक प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बंन्ध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित, तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि सम्बन्धी निर्देश जारी किये जायें जिससे इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रकिया से सम्बन्धी अस्पष्टता दूर हो सके। इस संदर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाइयों एवं लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सूचना के अनुरोधकर्ताओं के लिए सुविधा कक्ष की स्थापनाः

अधिकांश शंकायें सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा सकती है। सम्भव है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता ही न पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहॉ भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित हैं, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक मार्गदशक या सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिन कार्यालयों में स्वागत कक्ष पहले से ही स्थापित हैं उनमें इन्हीं स्वागत कक्षों में सूचना का अधिकार सबन्धी जानकारी देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तद्नुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवा कर वांछित सूचना या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिये अनुरोध न करे। स्वागत कक्ष के अतिरिक्त, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कामन स्पेस (common space) को भी सुविधा कक्ष के रूप मे विकसित किया जा सकता है। इनमें विभागीय सूचनाओं से संबधित 17 मैनुवलस, विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती हैं।

2.अनुरोध पत्रों के पंजीकरण का प्रारूपः

सूचना के अनुरोधों का विधिवत् पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक 1,2,3) प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए दूसरा प्रारूप लोक सूचना पंजीकरण के लिए विहित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण स्तर पर विहित प्रारूपों के अनुसार "सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका" व "सूचना के लिए अपील" किया जाना चाहिए ताकि स्वतः प्रगति रिपोर्ट तैयार हो सकें एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरणप भेजा जा सकें।
प्रविष्टि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व लेखाशीर्शक के अधीन राजकोष में जमा करेंगे।

3.अनुरोधपत्रों के पंजीकरण की व्यवस्थाः

प्रारम्भिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नही होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहें। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना हैं। तथापि जहॉ पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित है, वहॉ वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसके पंजीकरण की जिम्मेदारी दे सकते है। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थित में भी सूचना के अनुरोध पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जाय। इस दिशा में समुचित व्यवस्था करने लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना के अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा सकें।

4.सूचना शुल्क लेखांकन की प्रकियाः

सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 10/–रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नही दिया जाना है। मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, बैक ड्राप्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता हैं इस विशय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 1/XXVII(7)2005 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विस्तृत प्रकिया सुझाई गयी है। फिर भी इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग/लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम का बैंक ड्राप्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 पर शुल्क प्राप्ति की रसीद निर्गत की जानी है। इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त करे ले और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत करें।
यही प्रकिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जायेगी। शुल्क से प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरक अधिकारी को उपलब्ध करायेगे जो कि

विभाग की रोकड़ बही (cash book) में इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की प्रकिया को और सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाही:

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गयी प्रकिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30, 35, या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जानी है। इस प्रकिया के विभिन्न चरणों में सम्भावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं।

संलग्नक : 4 सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रेशण का प्रपत्र
संलग्नक : 5 सूचना के अनुरोधों का पावति प्रपत्र
संलग्नक : 6 अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
संलग्नक : 7 तीसरे पक्षधर को सूचना का प्रपत्र
संलग्नक : 8 सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
संलग्नक : 9 अनुरोधको अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र
संलग्नक : 10 अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करने सम्बन्धी प्रपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यथा सम्भव पत्राचार में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो विभाग के वरिष्ट अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागाध्यक्षों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व उसके पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रकिया को यदि आवश्यक हुआ तो, विभागीय विशिष्टताओं/व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेगें, जिसमें सूचना देने की प्रकिया में कोई भ्रम विभागीय धिकरारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी निश्चित प्रकिया व प्रारूप का ज्ञान होने में कम से कम कठिनाई हो।

भवदीय

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या 146(1)सू0/XXXI(13)G–/2006–तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :

1. मण्डलयुक्त, गढवाल/कुमांयू, उत्तरांचल
2. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी,उत्तरांचल शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तरांचल, देहरादून।
7. राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोश्ठ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक 1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0 सं0	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	संबन्धित विभाग/ अनुभाग का नाम	आवेदन शूल्क का भुगतान (रू0)	लोक सूचना अधिकारी को आग्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक 2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0 सं0	अनुरोध पत्र प्राप्ति की तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पता	दूरभाष संख्या	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क रू0	अतिरिक्त शुल्क रू0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने कीतिथि(यदि आवश्यक समझाजाय)	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	आदेश निर्गत करने की तिथि
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

संलग्नक 3

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोंधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0 सं0	अपील के लिए अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	विभाग/ अनु भाग का नाम	अपील से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	लो0सू0ओ0 के आदेश का संक्षिप्त विवरण	अपील स्वीकृत/ अस्वीकृत	विभागीयअपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपील कर्ता को आदेश पत्र निर्गत करने की तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

संलग्नक 4

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेशित करने का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्याः ..... दिनांक.....

प्रेषक :

.....
.....
.....

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी

.....
.....

अनुरोधकर्ता का नाम.....

पत्राचार का पता.....

वर्गः बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0.....

अनुरोध प्राप्ति की तिथि.....

अग्रेषण की तिथि.....

मांगी गई सूचना का विषय.....
.....

सम्बन्धित विभाग / अनुभाग का नामः.....

सूचना शुल्क की मात्रा रू0.....

अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

संलग्नकः अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

विषय :अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में

श्री / श्रीमती.....
.....
.....

कृपया अपने दिनांक.....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0.....अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	समग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राप्ट या बैंकर्स चैक जो विभाग के लेखा / वित्त अधिकारी के नाम बना प्रेषित करें / अथवा कार्यालय में नकद जमा करें / करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा।

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 6

तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

.....

.....

.....

संलग्न श्री/श्रीमती.....से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि इस विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है।

संलग्न : अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/उपक्रम से सम्बन्धित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : सूचना का अनुरोध पत्र मूल रूप मे

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
श्री/श्रीमती.....

.....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक 8

कार्यालय का नाम व पता

सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

श्री / श्रीमती.....

निवासी.....

.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 क अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रू0..... आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है अतः आवेदन शुल्क देय नही है।

संलग्नक : शुल्क रसीद,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 9

अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

.....

.....

.....

कृपया अपने दिनांक.....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें।
आपके अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(1).....

(2).....

(3).....

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो विभाग के उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी, जिनका पता नीचे दिया गया है, से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर –अन्दर अपनी अपील कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.....

.....

.....

.....

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक 10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

श्री / श्रीमती.....
.....
.....
.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या.....दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आपके द्वारा म्रागी गई सूचना का विवरण संलग्न है।
3. निम्न लिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही है।

(1)

(2)

(3)

5. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

अपील अधिकारी का पता

.....
.....
.....
.....

भवदीय

संलग्नक :उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट–XII

संख्या 35 / सु0अ0 / XXXI(13)G– / 2007

प्रेषक,

एस0के0 दास
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादून : दिनांक : 05 मार्च 2007**

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को प्रभावी हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। इस अवधि में लोक प्राधिकारियों को कई तरह के अनुभव प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिनियम के क्रियान्यन में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। फिर भी दिनांक 16 व 17 जनवरी 2007 को आयोजित समीक्षा कार्यशालाओं में विचार–विमर्श के समय कुछ ऐसे विषय प्रकाशित हुए हैं जिन पर सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा समान नीति और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। अतः प्रासंगिक विषयों के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन प्राप्त सूचना के अनुरोधों के निस्तारण के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रख्यापित किये जा रहे हैं। सभी लोक प्राधिकारी इकाईयों से अपेक्षा की जाती है कि अपने स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सूचना के लिए शिकायतों व अपीलों के योजना का न्यूनीकरणः

राज्य सरकार द्वारा शासन व प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अधीन बड़ी संख्या में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील प्राधिकारियों को नामित किया गया है। प्रायः सभी अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों व क्रियान्वयन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी भी दी गयी है। इसलिए अपेक्षा यह थी कि राज्य में सूचना के अनुरोधों का तत्परता से निस्तारण किया जायेगा और सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित शिकायतें या अपीलें कम योजित होंगी। किन्तु अब तक के अनुभव इन तथ्यों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यह सम्भव है कि कुछ अनुरोधकर्ता विभागीय अपील प्राधिकारी स्तर पर अपील की सुनवाई पूरी होने से पहले ही सूचना आयोग में शिकायत या दूसरी अपील योजित कर देते हैं। फिर भी लोक प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। इस दिशा में जहां एक ओर लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील प्राधिकारियों द्वारा विहित विधि व गम्भीरता से प्राप्त सूचना के अनुरोधों को निस्तारित करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर लोक प्राधिकारी इकाईयों में अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन सूचना पटों, सुविधा / स्वागत कक्षों व सूचना के स्वतः प्रसारण (Proactive dissemination of information) के द्वारा एक लोक मित्रता परक (Peoples friendly) वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है। जिससे Public satisfaction बढ़े एवं अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दिखायी दे। इस उद्देश्य से लोक प्राधिकारी इकाईयों विभागीय कार्मिकों अथवा विभाग से सेवित प्रमुख इकाईयों / प्रतिनिधियां अथवा व्यक्तियों को अधिनियम के उपयोग का प्रशिक्षण की आवश्यकता समझते हों तो अपनी आवश्यकता का विवरण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा सकते हैं। विभागीय अपील प्राधिकारियों को यह दायित्व बनता है कि वे अपने स्तर पर यह प्रयास करें कि अनुरोधकर्ता को द्वितीय स्तर पर शिकायत या अपील करने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए विभागीय अपील प्राधिकारी अपने स्तर से सभी अधीनस्थ

अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना के अनुरोधों पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही सम्बन्धी कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं।

2. बहुविषयक अनुरोधों का निस्तारण:

अधिनियम की धारा 6(3) में यह प्राविधान है कि यदि लोक प्राधिकारी को सूचना का ऐसा अनुरोध–पत्र प्राप्त होता है जो उससे सम्बन्धित न होकर दूसरे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो ऐसी स्थिति में लोक–सूचना अधिकारी, जिसे वह अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, उस अनुरोध पत्र को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अग्रेसित करेगा। इस प्राविधान का दुरूपयोग करते हुए कुछ अनुरोधकर्ता एक ही अनुरोधपत्र में कई लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचनायें मांग लेते हैं। जिस कारण अधिनियम के प्राविधानों के अधीन सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न हो रही है। इस पर विस्तृत चर्चा के पश्चात यह सहमति बनी कि बहुविषयक सूचना के अनुरोधपत्र प्रस्तुत करना अधिनियम के प्राविधानों एवं भाव दोनों के विरूद्ध है। अधिनिमय की धारा 6(1) में स्पष्ट कहा गया है कि "सूचना के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपना अनुरोध पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ **सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा"**। इसके अतिरिक्त धारा 6(3) में भी यह स्पष्ट किया गयाहै कि "जब कोई एक ऐसा अनुरोधपत्र किसी एक सूचना के लिए (for an information) किसी लोक प्राधिकारी को प्राप्त होता हो जिसकी सूचना दूसरे लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है"। इसमें एक **सूचना और लोक प्राधिकारी शब्दों** का प्रयोग किया गया है। **सूचनाओं** व **लोक प्राधिकारियों** का नहीं। धारा 6(3) में आगे यह भी कहा गया है कि लोक प्राधिकारी जिसको सूचना का ऐसा अनुरोध पत्र प्राप्त होता है उस अनुरोध पत्र या अनुरोध पत्र के उस हिस्से को जो भी उचित हो **उस दूसरे लोक प्राधिकारी** (The other Public Authority) को अग्रेसित करेगा। यहां पर भी That other Public Authority वाक्य का प्रयोग किया गया है Those other Public Authorities नहीं। अधिनियम की इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि

(1) सूचना का अनुरोध पत्र **सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी** को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, धारा 6(1)।

(2) यदि किन्ही कारणों से लोक सूचना अधिकारी को सूचना का ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है जो किसी दूसरे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो उसे धारा 6(3) के अधीन **सम्बन्धित लोक सूचा अधिकारी** को अग्रेसित किया जाना चाहिए।

यदि किसी लोक सूचा अधिकारी को सूचना का ऐसा अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें कई विभागों अथवा लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी गयी हों तो वह अधिनियम के उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार सही नहीं है और उसे प्रथम स्तर पर ही अनुरोधकर्ता को इस आशय से लौटा दिया जाना चाहिए कि वह अलग–अलग लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए पृथक–पृथक अनुरोध पत्र प्रस्तुत करे। अथवा ऐसे अनुरोध पत्र को सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों में से किसी एक के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित कर दें और इनकी सूचना अनुरोधकर्ता को दे दें।

यहां पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि सूचना के अनुरोध पत्र के ऐसे हस्तांतरण मे सूचना उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों का समय प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई में उस दिन से प्रारम्भ हुआ माना जायेगा जिस दिन वह अनुरोध पत्र हस्तांतरित होकर सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को लोक सूचा अधिकारी को प्राप्त होता है। आवश्यकता यह है कि जिस लोक सूचना अधिकारी को गलती से ऐसा अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जो किसी दूसरे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो वह उसे प्राप्त होने के पांच दिनों के अन्दर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित कर दे।

3. अनुरोधों के निस्तारण की विहित प्रक्रिया का अनुपालन

अधिनियम के अधीन प्राप्त सूचना के अनुरोधों के निस्तारण की कार्यविधि से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 146/सू0/XXXI(13)G/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 में प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश विस्तार में दिये गये हैं। अब तक

के अनुभव से ज्ञात हुआ है कि कुछ लोक प्राधिकारी उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं जिससे राज्य सूचना आयोग में अपील या शिकायतों की सुनवाई के समय लोक प्राधिकारियों को प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त होती हैं। अतः विभागीय अपील प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सूचना के अनुरोधों के निस्तारण के लिए 22 मार्च, 2006 के शासनादेश में विहित प्रारूपों और प्रक्रिया को सभी अधीनस्थ कार्यालों में व्यवहृत करना सुनिश्चित करें।

4. सूचना का स्वतः प्रकाशन (*suo motu* Publication of Information)

अधिनियम की धारा 4 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने संगठन, उसके कार्यकलापों व कार्यविधि को स्वतः सार्वजनिक करें। इसके लिए अधिनियम में 17 बिन्दु प्रख्यापित किये गये हैं जिमनें उन सभी विषयों का उल्लेख है जिनमें सम्बन्धित सूचनायें Manual या हस्तपुस्तिका के रूप में प्रकाशित की जानी हैं। इस कार्य में लोक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा सूचना Manual तैयार करने के लिए मार्गदर्शक प्रारूप भी उपलब्ध कराये गये थे। इस कार्य को पूरा करने के लिए अधिनियम में 15 जनू से 12 अक्टूबर 2005 तक 120 दिनों का समय दिया गया था। लेकिन प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन की 41 लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा अभी तक भी इस बाध्यता को पूरा नहीं किया गया है। इस कार्य को Duty to Publish (DTP) के तौर पर माना गया है। इसमें विलम्ब होना सम्बन्धित लोक प्राधिकारी इकाई की अनुत्तरदायी कार्यपद्धति को उजागर करता है। अतः उन सभी लोक प्राधिकारियों, जिन्होंने अभी तक इस दायित्व को पूरा नहीं किया है, को चाहिए कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र पूरा कर इसकी सूना का अधिकार प्रकोष्ठ सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रेषित करें।

भवदीय

(एस.के. दास)
मुख्य सचिव

संख्या 35 (1)/सू0अ0/XXXI(13)G/ 2007–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मण्डलायुक्त, गँढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
2. समस्त, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाअधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।
6. सचिव, राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–1, सी–10 डिफेन्स कालोनी, देहरादून।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 राजू)
सचिव

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 1689 / उ.सू.आ. / 2006
दिनांक : 22 जुलाई, 2006

सेवा में,

सचिव, शिक्षा उत्तरांचल शासन	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल शासन।
सचिव, पंचायती राज विभाग उत्तरांचल शासन।	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल शासन
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उत्तरांचल शासन	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तरांचल शासन
प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तरांचल शासन	प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तरांचल शासन
प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तरांचल शासन	सचिव, वन विभाग उत्तरांचल शासन
सचिव समाज कल्याण उत्तरांचल शासन	प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग उत्तरांचल शासन
सचिव, उच्च शिक्षा उत्तरांचल शासन	सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल शासन
सचिव, कृषि उत्तरांचल शासन	प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तरांचल शासन
	प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन उत्तरांचल शासन

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा चयनित विभागों / लोक प्राधिकारियों द्वारा राज्य में अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना देने तथा अभिलेखों के रख–रखाव का पर्यवेक्षण कार्यक्रम.

प्रिय महोदय,

जैसा आप अवगत हैं, राज्य के प्रत्येक विभाग के द्वारा अपने अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना को एकत्रित किया जाना है जो राज्य सूचना आयोग द्वारा हो. उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के प्राविधानों के अंतर्गत उत्तम व्यवहार संस्तुतियां इसी क्रम में प्रख्यापित की जा चुकी हैं जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम में उपबन्धों के अन्तर्गत नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक

पहुंच सुगमता से सुनिश्चित की जा सके. इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा भी अपने पत्रांक 146/सु./XXXI(3) G–/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबन्धों पर समुचित कार्यवाही करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं. इस पत्र के साथ आयोग द्वारा प्रख्यापित उत्तम व्यवहार संस्तुतियां और मुख्य सचिव के उपरोक्त पत्र की प्रतियां आपके सहज संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही हैं. (संलग्न)

2. उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान आपके विभाग का चयन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पर्यवेक्षण और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए किया गया है. आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए चयनित विभागों के पर्यवेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है।

चरण 1:

2.1 चयनित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के साथ निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आयोग के स्तर पर पर्यवेक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम सारिणी का निर्धारण और विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक की गई तैयारी पर लिखित प्रतिवेदन पर विचार विमर्श, इस संबंध मे आपके विभाग के द्वारा लिखित सूचना देने के लिए रूप पत्र 1 संलग्न है.

चरण 2:

2.2 पर्यवेक्षण कार्यक्रम सारिणी के अनुसार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों को कार्यक्रम के संबंध में अपेक्षित सहायता दिये जाने के लिए निर्देशित किया जाना और आयोग के नामित पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण एवं स्थलीय निरीक्षण कर अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श.

चरण 3:

2.3 प्रथम दो चरणों के आधार पर आयोग के नामित अधिकारियों द्वार प्रस्तुत किये गये मूल्यांकनों तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों पर आयोग स्तर पर पुनः विचार विमर्श और विभाग के द्वारा अग्रेतर की जाने वाली कार्यवाहियों का अंतिमीकरण.

3. उपरोक्त के क्रम में मुझसे अपेक्षा की गई है कि आप संलग्न समय सारिणी के अनुसार आयोग में विचार विमर्श के लिए उपस्थित होने का कष्ट करें तथा रूप पत्र 1 के माध्यम से मांगी गई सूचना को प्रथम चरण के विचार विमर्श से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को सुलभ कराने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक : यथोक्त

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778/2666779 फैक्स:

चरण : 1 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श की संशोधित समय सारिणी

दिनांक	दिन	चयनित विभाग	समय	स्थान
01.08.2006	मंगलवार	1. शिक्षा विभाग 2. स्वास्थ्य विभाग	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
02.08.2006	बुधवार	1. पंचायती राज 2. ग्राम्य विकास विभाग	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
07.08.2006	सोमवार	1. राजस्व–प्रशासन विभाग 2. वित्त विभाग	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
08.08.2006	मंगलवार	1. परिवहन निगम 2. सिंचाई विभाग	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
11.08.2006	शुक्रवार	1. सचिवालय प्रशासन उत्तरांचल सचिवालय	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
14.08.2006	सोमवार	1. ऊर्जा विभाग 2. वन विभाग	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
21.08.2006	मंगलवार	1. कृषि विभाग एवं मण्डी परिषद 2. गृह विभाग (पुलिस)	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
22.08.2006	बुधवार	1. समाज कल्याण विभाग 2. पर्यटन विकास परिषद	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग
23.08.2006		1. उच्च शिक्षा विभाग (विश्व विद्यालय गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल) 2. प्राविधिक शिक्षा परिषद	3.00 से 3.30 बजे तक 3.30 से 4 बजे तक	उत्तरांचल सूचना आयोग

रूप पत्र –1

1. सामान्य सूचनायें

1. विभाग का नाम/ लोक प्राधिकारी :

1.2 नामित लोक सूचना अधिकारी/ अपीलीय अधिकारियों की संख्या एवं पदनाम*

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी	शासन स्तर पर नामित		अधीनस्थ लोक प्राधिकारी निदेशालय/ मुख्यालय के अधीन	निदेशालय/ मुख्यालय पर		मण्डल स्तर	
		लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी		लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गृह	उप सचिव/ अनुसचिव	अपर सचिव गृह	पुलिस	पुलिस महानिरीक्षक			
				कारागार	महानिरीक्षक कारागार			
				होम गार्डस	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड्स	मण्डलीय कमा0	कमा0 जनरल

जिला स्तर		सब डिवीजन पर		ग्राम स्तर		दूरभाष नं0
लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	
10	11	12	13	14	15	16
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	उप महानिरीक्षक गढ़वाल					
समस्त अधीक्षक कारागार	अपर महानिरीक्षक कारागार					
समस्त जिला कमाण्डेन्ट	मण्डलीय कमाण्डेंट					
अन्य जो भी हो.....						

* शासन स्तर से प्रारम्भ कर ग्राम पंचायत स्तर के लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण देना है जैसा कि गृह विभाग के सम्बन्ध में स्तम्भ 1 से 16 से सूचना उदाहरण के रूप भरी गयी है।

3. उत्तम व्यवहार संस्तुतियों (Good Practice Recommendation) का शासन के समस्त विभाग स्तर पर परिपालन

2.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के द्वारा विनिश्चित 17 मैनुअलों को तैयार करने की स्थिति	सचिवालय स्तर	निदेशालय स्तर	मण्डल स्तर	जिला स्तर	सब डिवीजन स्तर	ब्लाक स्तर

2.2	आयोग स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली संकलित मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण	लोक प्राधिकारियों की कुल संख्या– लोक प्राधिकारियों की संख्या जिनके द्वारा मासिक प्रतिवेदन भेजा गया	उदाहरणार्थ – 10/2
2.3	प्रशिक्षण	सूचना का अधिकार 2005 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण पा चुके लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों की संख्या	
2.4	सूचना पट्ट लगाने की स्थिति	उत्तम व्यवहार संस्तुतियां के बिन्दु 12 एवं 13	
2.5	कोषागार प्रपत्र लगाने की स्थिति	उत्तम व्यवहार संस्तुतियां के बिन्दु संख्या 16	
2.6	लोक सूचना एवं अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा	उत्तम व्यवहार संस्तुतियां के बिन्दु संख्या 33 से 38 तक	

नोट :

1. क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के अंर्तनिहित भावनाओं के अनुरूप समस्त मैनुअल लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रख दिये गये हैं ?
2. कितने लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं ?
3. क्या अपीलीय अधिकारियों द्वारा अब तक किये गये प्रथम अपील के निस्तारण विषयक आदेश सूचना के अधिकार अधिनियम के संगत धाराओं के अनुरूप किये गये हैं ?

3. मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन के प्रत्रांक 146/सू0/XXXI(3) G-/2006 दिनांक 22.03.2006 का परिपालन

3.1 सूचना के अनुरोधकर्ता के लिए सुविधा कक्षों की स्थापना की सुविधा :

3.2 10 निर्धारित प्रपत्रों के रख–रखाव की स्थिति :

1. रूप पत्र–1	सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप
2. रूप पत्र–2	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप
3. रूप पत्र–3	विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप
4. रूप पत्र–4	सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रसारित करने का प्रपत्र
5. रूप पत्र–5	अतिरिक्त शुक्ल के लिए सूचना पत्र

6. रूप पत्र–6	तीसरे पक्ष की सूचना के लिए प्रपत्र
7. रूप पत्र–7	सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
8. रूप पत्र–8	सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र
9. रूप पत्र–9	अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र
10. रूप पत्र–10	अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

4. विभाग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयां
   - 4.1
   - 4.2
   - 4.3
   - 4.4

5. विभाग द्वारा किये गये विशिष्ट उपाय
   - 5.1
   - 5.2
   - 5.3
   - 5.4

6. विभाग की सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संस्तुतियां एवं सुझाव
   - 6.1
   - 6.2
   - 6.3
   - 6.4

चयनित 17 विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन का आयोग स्तर से किये गये निरीक्षण का मूल्यांकन

क्रम संख्या	चयनित लोक प्राधिकारी / विभाग	निरीक्षित प्राधिकारी इकाई	सूचना पटट	पंजिकाओं की स्थिति	धारा 4(1)(ख) मैनुअल की स्थिति	अनुरोधों के निस्तारण की स्थिति	मासिक प्रगति रिपोर्ट	निष्कर्ष
1	शिक्षा	1.1 निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	251 अनुरोधपत्र प्राप्त निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
		1.2 राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर	यथा स्थान पर नहीं लगाया गया है	निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाये गये	अनुमोदित नहीं	22 अनुरोधपत्र प्राप्त	नियमित परन्तु आंकड़ो में भिन्नता	असंतोषजनक
		1.3 संयुक्त शिक्षा निदेशक, नैनीताल	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाये गये	इनके स्तर से मैनुअल तैयार नहीं किये गये	निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
2	गृह विभाग	2.1 पुलिस मुख्यालय, देहरादून	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	119 अनुरोधपत्र प्राप्त निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
		2.2 पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर से मैनुअल तैयार कर मुख्यालय भेजे गये हैं	36 अनुरोधपत्र प्राप्त निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
3	कृषि विभाग	3.1 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित नहीं	51 अनुरोधपत्र प्राप्त निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक

		3.2 मुख्य जिला कृषि अधिकारी, चमोली	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाये गये	इनके स्तर से मैनुअल तैयार नहीं किये गये	–	भेजी नहीं जा रही है	असंतोषजनक
4	प्राविधिक शिक्षा विभाग	4.1 प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की 4.2 राजकीय पॉलीटेक्निक सिद्धोवाला, देहरादून	प्रदर्शित प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित मैनुअल तैयार किया गया	4 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत –	नियमित नियमित	संतोषजनक संतोषजनक
5	उच्च शिक्षा	निदेशालय, हल्द्वानी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	72 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
6	पर्यटन विभाग	6.1 संयुक्त निदेशक, पर्यटन, पटेलनगर, देहरादून 6.2 जिला पर्यटन कार्यालय, देहरादून	प्रदर्शित प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं किये गये	33 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत –	नियमित नियमित	संतोषजनक संतोषजनक
7	समाज कल्याण विभाग	जिला समाज कल्याण कार्यालय	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	6 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
8	वन एवं पर्यावरण	8.1 मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून 8.2 निदेशक, काबेट राष्ट्रीय पार्क रामनगर, नैनीताल	प्रदर्शित प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित प्रारूप पर नहीं हैं	अनुमोदित इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	21 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत 16 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित नियमित	संतोषजनक असंतोषजनक

9	ऊर्जा विभाग	9.1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रृषिकेश	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं हैं	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	21 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		9.2 उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन, देहरादून	प्रदर्शित परन्तु यथास्थान पर नहीं लगाया गया	निर्धारित प्रारूप पर नहीं हैं	अनुमोदित	183 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	अनियमित	असंतोषजनक
		9.3 उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, काठगोदाम, हल्द्वानी	अप्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	1 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
10	सिंचाई विभाग	10.1 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	अनुरोध पत्रों का निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
		10.2 अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हल्द्वानी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	10 अनुरोधपत्रों का निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		10.3 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, श्रीनगर	प्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	22 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		10.4 अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान नियोजन श्रृषिकेश	प्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	13 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		10.5	प्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	10 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक

11	परिवहन विभाग	उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	25 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	संतोषजनक
12	वित्त विभाग	12.1 उपनिबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिटस कुमायूं मण्डल	अप्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	1 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		12.2 निदेशालय लेखा एवं हकदारी	अप्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	4 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		12.3 जिला मनोरंजन कर अधिकारी, देहरादून	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	98 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	संतोषजनक
		12.4 आयुक्त वाणिज्य कर	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	9 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	संतोषजनक
		12.5 निबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिटस, देहरादून	प्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	मैनुअल तैयार	24 अनुरोधपत्र	नियमित	असंतोषजनक
		12.6 कोषागार, हल्द्वानी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	–	नियमित	असंतोषजनक
13	राजस्व विभाग	13.1 मण्डलायुक्त कार्यालय, नैनीताल	प्रदर्शित	अनुपालन अपूर्ण	अनुपालन नहीं किया गया	11 अनुरोध पत्र निस्तारण के संबंध अपूर्ण अभिलेख	नियमित	असंतोषजनक
		13.2 जिलाधिकारी, नैनीताल	प्रदर्शित	अनुपालन अपूर्ण	मैनुअल तैयार किये गये	58 अनुरोधपत्र परन्तु अभिलेख अपूर्ण	नियमित	असंतोषजनक

		13.3 मुख्य राजस्व आयुक्त, देहरादून	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	मैनुअल तैयार परन्तु संशोधन आवश्यक	13 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		13.4 मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	मैनुअल अपूर्ण	57 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		13.5 तहसील, कालसी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	6 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		13.6 तहसील, हल्द्वानी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	49 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
14	ग्राम्य विकास	14.1 निदेशालय ग्राम्य विकास, पौड़ी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	10 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
		14.2 खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, विकासनगर	प्रदर्शित	पंजिकायें नहीं बनायी गयी	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	1 अनुरोधपत्र कार्यवाही अपेक्षित	भेजी नहीं जा रही हैं	असंतोषजनक
		14.3 खण्ड विकास कार्यालय, रामनगर	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	2 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	असंतोषजनक
		14.4 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान रूद्रपुर	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	—	नियमित	असंतोषजनक
		14.5 खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, स्याल्दे, अल्मोड़ा	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर नहीं	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	—	नियमित	असंतोषजनक
15	पंचायती राज विभाग	15.1 निदेशालय पंचायती राज विभाग	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	अनुमोदित	2 अनुरोधपत्र निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक

		15.2 जिला पंचायती राज कार्यालय, गोपेश्वर	प्रदर्शित परन्तु यथास्थान पर नहीं लगाया गया	निर्धारित प्रारूप पर नहीं	इनके स्तर के मैनुअल तैयार नहीं	–	भेजी नहीं जा रही है	असंतोषजनक
16	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	16.1 निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	मैनुअल तैयार परन्तु संशोधन आवश्यक	निस्तारण समयान्तर्गत	नियमित	संतोषजनक
		16.2 अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नैनीताल	प्रदर्शित अपूर्ण	पंजिकाओं का रख–रखाव अपूर्ण	अनुपालन नहीं किया गया	5 अनुरोधपत्र निस्तारण समय के अंतर्गत नहीं किया गया	नियमित	अत्यंत खराब स्थिति
		16.3 बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी	प्रदर्शित	निर्धारित प्रारूप पर	निर्धारित बिन्दुओं पर तैयार नहीं	5 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
17	आवास विभाग / शहरी विकास विभाग	17.1 सिटी मजिस्ट्रेट / नियत प्राधिकारी, हल्द्वानी, काठगोदाम	पुनः सूचना पटट लगाने हेतु निर्देश दिये गये	निर्धारित प्रारूप पर नहीं	मैनुअलों के बिन्दुओं में संशोधन अपेक्षित	23 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		17.2 नगर पालिका परिषद हल्द्वानी	अपूर्ण प्रदर्शित	पंजिकाओं का रख–रखाव अपूर्ण	अनुपालन अपेक्षित	54 अनुरोधपत्र समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक
		17.3 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की	प्रदर्शित	अनुपालन नहीं किया गया	तैयार नहीं किया गये	6 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए समयान्तर्गत निस्तारण	नियमित	असंतोषजनक

उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–165 / मू0 / XXXI(13)G-2(2) / 2006
देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 की फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।	प्रस्तर–3: अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) की फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या–16500 / मू0 / XXXI(13)G-2(2)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल।
5. रजिस्ट्रार, मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
10. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम / उपक्रम / स्वायत्तशासी संस्थायें / परिषद
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
15. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 29 मार्च, 2006 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. राज्य समन्वयक, सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस सन्दर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 555 / 56 / उ.सू.आ. / 2005 दिनांक : 01 / 02 / 2007

प्रेषक,

सचिव
उत्तरांखण्ड सूचना आयोग

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन, उत्तरांखण्ड शासन, देहरादून।

विषय – सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन हेतु।

महोदय,

उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 266 / XXII / 2005–9(31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत विनियमन) नियम 2005 प्रख्यापित किये गय थे। पुनः उक्त प्रख्यापित नियमावली के नियम 3 में शासन की अधिसूचना संख्या 165 / सू0 / XXXI(13) G-2(2) / 2006 दिनांक 31 मार्च, 2006 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ 10 रूपये के फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किये जाने का संशोधन किया गया था। परन्तु पूर्व में प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 के नियम 4 और 5 में नियम 3 की भांति संशोधन नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि नियम 4 और 5 में भी तदानुसार नियम 3 की भांति संशोधन किये जाने हेतु अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि श्री बी0पी0 मैठाणी, राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक 1278 / 56 / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक 17 / 03 / 07

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

सेवामें,

सचिव
सामान्य प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय– सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन हेतु।

महोदय,

कृपया आयोग के पत्रांक 555 / 56 / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक 01.02.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न की जा रही है)। अवगत कराना है कि उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 266 / XXII / 2005–9(31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर 2005 द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम 2005 प्रख्यापित किये गये थे। उक्त प्रख्यापित नियमावली के नियम 3 में शासन द्वारा पुनः 31 मार्च, 2006 को संशोधन किया गया था, परन्तु पूर्व में प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 के नियम 4 और 5 में नियम 3 की भांति संशोधन नहीं किया गया है। इस संबंध में आयोग ने अपेक्षा की थी कि पूर्व में प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 13 अक्टुबर2005 के नियम 4 और 5 में नियम 3 की भांति संशोधन कर अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें, परन्तु आपके द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ है।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संबन्धित प्रकरण में हुई प्रगति से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि–

श्री वी0पी0 मैठाणी, राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

अपील संख्या : अ–155/2006 में माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित अन्तिम आदेश का सारांश

"इस अपील के निस्तारण की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से उद्घाटित हुआ है कि राज्य सरकार के स्तर पर विशेषतः पुलिस विभाग के द्वारा एक लोक प्राधिकारी के रूप में जिस गम्भीरता के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का परीशीलन और पालन किया जाना था उसका इसमें सर्वथा अभाव दृष्टिगोचर हुआ है। आयोग के द्वारा अपने विभिन्न सुनवाईयों के दौरान क्रमशः 15.11.2006 से प्रारम्भ करके क्रमशः 20.12.2006, 08.01.2007, 25.01.2007 और अंत में 07.03.2007 को निरन्तर लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी और प्रमुख सचिव गृह को यह लिखित रूप से अगत कराया जाता रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) के अंतर्गत छूट इस राज्य के तीन प्राधिकारियों के संबंध में दिनांक 10.10.2005 को प्राप्त करने के उद्देश्य से गजट नोटिफिकेशन किया गया उस नोटिफिकेशन को जारी करने के सत्रह महीनों तक विधान सभा पटल पर नहीं रखा जा सका। यह तथ्य प्रदर्शित करता है कि जहां एक ओर लोक प्राधिकारी अपने संबंधित विभागों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के लिए इतने उत्सुक थे कि अधिनियम के पूरे देश मे पूर्णतः लागू होने के दो दिन पहले ही उनके द्वारा प्रश्नगत अधिसूचना जारी करवाई गयी, किन्तु जैसा नियम में प्राविधानित है उसके सत्रह माह बीतने के बावजूद भी यह देखने की चेष्टा तक नहीं की गयी कि उपरोक्त अधिसूचना वास्तव में प्रभावी है भी अथवा नहीं? यह लोक प्राधिकारी/गृह विभाग के स्तर पर और उसके अधीनस्थ विभागों के स्तर पर भी ऊपर वर्णित सुनवाईयों के दौरान निरन्तर लिखित रूप में इंगित किये जाने के उपरान्त और प्रतिवादी लोक सूनचा अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप पुलिस महानिदेशक गढ़वाल परिक्षेत्र को अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न करने के लिए दिनांक 25.01.2007 को दण्ड देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की स्थिति पहुंची तब जाकर संबंधित लोक प्राधिकारी और लोक सेवक उपरोक्त कमी की ओर अपना ध्यानाकर्षण कर सके। सूचना आयोग द्वारा उपरोक्त आचरण के प्रति कठोरतम आपत्ति प्रकट की जाती है। कहने की आवश्कयता नहीं, जब तक उपरोक्त औपचारिकतायें पूरी नही की जाती, पुलिस विभाग के द्वारा जारी प्रश्नगत अधिसूचना संख्या 1960/XX(3)–255/विविध/2005 दिनांक 10.10.2005 प्रभावी नहीं रहेगी और तीन विभागों को पुलिस विभाग/लोक प्राधिकारी द्वारा सूनचा का अधिकार अधिनिमय की प्राविधानों से मुक्त रखनें के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत नोटिफिकेशन को विधान सभा के पटल पर राज्य विधान सभा को नियमानुसार प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।"

परिशिष्ट–XIX

उत्तरांचल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोनः (0135)2666778 / 2666779

पत्रांक 1885(i)1 / 56 / उ0सू0आ0 / मु0सू0आ0 / 2007 दिनांकः 20.4.07

सचिव,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के संबंध में.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कतिपय सूचनाओं के प्रकटन से छूट के प्राविधान दिये गये हैं. अधिनियम की धारा 8(1)(झ) में मंत्रीमण्डल के कागजात जिसमें मंत्रीपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, प्रकटन के लिये छूट की श्रेणी में आते है. परन्तु मंत्री परिषद के विनिश्चय उनके कारणों तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराये जायेंगें।

राज्य सूचना आयोग ने अपने संकल्प सं0 8 दिनांक 13.4.07 के बिन्दु नं0 2 के अन्तर्गत निर्णय लिया है कि मंत्रीपरिषद के ऐसे विनिश्चय जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. की धारा 8(1)(झ) के अन्तर्गत जैसा कि उक्त धारा में उल्लेखित किया गया है, जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने चाहिये.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के परन्तुक के प्राविधान के क्रम में ऐसे विनिश्चयों को जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था स्वप्रकटन के अधीन अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मैनुअल में इसका भाग बनाकर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें.

संलग्न (संकल्प सं0 8.2 दिनांक 13.4.07)

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. प्रस्ताव पत्रावली में अभिलेखार्थ.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अष्टम बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2007 (शुक्रवार) में लिये गये संकल्प (Resolution)

आयोग की अष्टम बैठक में निम्न बिन्दुओं पर संकल्प पारित किये गये:

प्रस्ताव:8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है. तदानुसार इस संबंध में शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के द्वारा लोक प्राधिकारियों को चिन्हित किया गया था. परन्तु आयोग में प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण की सुनवायी के दौरान यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कई लोक प्राधिकारी स्तर पर यह स्पष्ट नही है कि वे लोक प्राधिकारी हैं अथवा नही. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ संगठन आयोग में सुनवायी के दौरान मा0 उच्च न्यायालय मं इन प्रकरणों को ले गये हैं. आयोग का स्पष्ट अभिमत है कि इस स्थिति के विद्यमान रहते परिहार्य संदर्भ प्राप्त होंगे, जिससे जन–सामान्य व आयोग के समय का अपव्यय होगा. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में पूर्व में जारी शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के प्रस्तर 2 में संशोधन करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संशोधित आलेख्य विचारार्थ प्रेषित किया जाये.

संकल्प 8.1 आयोग द्वारा मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन के आलेख्य पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को संशोधन प्रस्ताव मुख्य सचिव को अपने स्तर से प्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया.

प्रस्ताव 8.2 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 अंतर्गत कतिपय सूचनाओं के प्रकटन से छूट के प्राविधान दिये गये हैं, अधिनियम की धारा 8(1) में मंत्रीमंडल के कागजपत्र, जिसमें पंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, प्रकटन के लिए छूट की श्रेणी में आते हैं. परन्तु मंत्रिपरिषद के ऐसे विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किये जाने वाले और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है. मंत्रिपरिषद के कार्यों के निर्वहन के लिये शासन का गोपन अनुभाग लोक प्राधिकारी है. अतः यह प्रकाशन गोपन अनुभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

संकल्प 8.2 विचार विमर्श करने के उपरांत यह संकल्प पारित किया गया कि उक्त प्रस्ताव 8.2 के संबंध में शासन के गोपन विभाग/लोक प्राधिकारी को संस्तुति की जाये कि अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के परंतुक के प्राविधान का अनुपालन करते हुए ऐसे विनिश्चयों को जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने की अविलम्ब व्यवस्था करें एवं तदानुसार आयोग को भी अवगत करायें. प्रारंभ से वर्षवार लिये गये मंत्रिपरिषद निर्णयों के संबंध में उपरोक्त अनुपालन के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत भी समय–समय पर ऐसे विनिश्चयों के संबंध में उनके प्रकाशन की व्यवस्था अपने कार्या क्षेत्र के मैनुअल 17 के रूप में करें व उसे समय–समय पर अद्यतन भी करें.

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को लोक सूचना अधिकारी, गोपन अनुभाग/लोक प्राधिकारी को तदानुसार सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया.

सचिव
उत्तराखंड सूचना आयोग

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 2463 / 56 / उ.सू.आ. / 2007
दिनांक : 19 मई, 2007

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

विषय :– उत्तराखण्ड सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 36 / सू0अ0 / XXXI(13)G / 07 दिनांक 13 अप्रैल, 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

उक्त पत्र में वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार औचित्य निम्नवत है:

1. **क्षेत्रीय कार्यालयों के खोलने के संबंध में अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था :**

1.1 अधिनियम के अध्याय 4 के अंबर्गत धारा 15(7) पर निम्नवत उल्लेख है :

राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य मुें अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा.

1.1.1 उपरोक्त धारा के क्रम में उत्तरांचल सूचना आयोग (वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग) की स्थापना राजधानी देहरादून में अक्टूबर, 2005 में की जा चुकी है एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है. (संलग्नक–1)

1.1.2 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृत घोषणा दिनांक 14 मार्च, 2006 द्वारा राज्य के दोनों मण्डलों में एक–एक क्षेत्रीय कार्यालय (अल्मोड़ा एवं श्रीनगर) खोले जाने की घोषणा की गयी थी. (संलग्नक 2)

1.1.3 उक्त घोषण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांख्ल सूचना आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग को एकाधिक अनुस्मारकों द्वारा अनुरोध किया जा चुका है (संलग्नक 3,4,5)

1.2 अधिनियम की धारा 15(4) में निम्न व्यवस्था प्रदत्त है :

राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगाा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है.

1.2.1 उक्त प्रस्तर के क्रम में राज्य सूचना आयोग को प्रतिदिन प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक अपीलों और शिकायतों के सुनवायी के दौरान यह पाया गया कि राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों से शिकायतकर्ताओं तथा अपीलकर्ताओं को राजधानी आने में अत्यंत असुविधा होती है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिये दोनों मण्डलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव दिया गया था. इस प्रकार उक्त प्रस्ताव अधिनियम में वर्णित आयोग के कार्यो के अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध के अंतर्गत पठनीय होगा.

2.0 सूचना आयोग में कुल सृजित पद

उत्तरांचल सूचना आयोग (वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग) के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा अपने पत्र संख्या 301/XXXi(13)/सू0अ0/2006 दिनांक 01 अगस्त, 2006 द्वारा आयोग को निम्न पद स्वीकृत किये हैं :

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सचिव	01(एक)	भारतीय प्रशासनिक सेवा/प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
2	उपसचिव	01(एक)पद	12000–16500
3	निजी सचिव सह कन्सोल ऑपरेटर	01(एक)पद	6500–10500
4	जन सम्पर्क अधिकारी	01(एक)पद	6500–10500
5	समीक्षा अधिकारी	02(दो)पद	5500–9000
6	सहायक समीक्षा अधिकारी	02(दो)पद	4500–7000
7	आशुलिपिक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01(एक)पद	4000–6000
8	लेखाकार	01(एक)पद	(प्रतिनियुक्ति पर)
9	चालक	01(एक)पद	उपसुल से संविदा पर
10	अनुसेवक	04(चार)पद	उपसुल से संविदा पर

सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा पुनः शासनादेश संख्या 409/सू.अ./XXXi13(G)/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के माध्यम से आयोग को सचिव तथा उपसचिव हेतु निम्न पद स्वीकृत किये गये हैं :

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	निजी सचिव	01(एक)पद	6500–10500
2	वैयक्तिक सहायक	01(एक)पद	5500–9000
3	आशुलिपिक	01(एक)पद	4000–6000

2.1 केन्द्र में पदों की स्थिति

केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत गठित हुआ जिसके लिए निम्न श्रेणी के कुल 79 पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनके पदों का विवरण निम्नवत है :

1.	Sr. PPS	Rs. 12000-16500/-
2.	Under Secretary	Rs. 10000-15200/-
3.	P.P.S.	Rs. 10000-15200/-
4.	Administrative Officer	Rs. 8000-13500/-
5.	Court Master	Rs. 8000-13500/-
6.	Section Officer	Rs. 6500-10500/-
7.	PS	Rs. 6500-10500/-
8.	Assistant	Rs. 5500-9000/-
9.	Personal Assistant	Rs. 5500-9000/-
10.	Translator	Rs. 5500-9000/-
11.	Casher	Rs. 4000-6000/-
12.	UDC	Rs. 4000-6000/-
13.	LDC	Rs. 3050-4590/-
14.	Driver	Rs. 3050-4590/-

3.0 दोनों क्षेत्रीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित पदों के मानक :

क्रम संख्या	पदनाम	अपेक्षित पदों की संख्या	मानक
1	संयुक्त सचिव	2	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इस पद के लिये 20 वर्ष की सेवा के अधिकारी की तैनाती की मांगी की गयी है. राज्य में न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति अपेक्षित होगी.
2	निजी सचिव	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
3	आशुलिपिक	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
4	सहायक लेखाकार	2	वित्त सेवा के अराजपत्रित कर्मचारी.
5	चालक	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
6	अनुसेवक	4	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.

उक्त सभी नियुक्तियॉ शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेंगी.

4. **शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग विषयक :**

आयोग के द्वारा आयोग के निगरानी तथा रिपोर्ट संबंधी उत्तरदायित्वों, उक्त उत्तरदायित्वों में शोध केन्द्रित गतिविधियों, अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणेत्तर गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन के कार्यो के लिए आयोग में एक प्रभाग को शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है. उक्त प्रभाग में संपादित किये जाने वाले कार्यो के लिए निम्नलिखित मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उन पदों को सृजित किये जाने की आवश्यकता होगी :

1. प्रमुख शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण	–	01
2. वरिष्ठ शोध अधिकारी	–	01
3. शोध अधिकारी	–	02
4. पुस्तकालाध्यक्ष सह प्रलेखन अधिकारी	–	01

उपरोक्त समस्त पद सेवा अनुबंध के अंतर्गत संविदा पर ही लिये जायेंगे तथा उनके पद उत्तरदायित्वों को आयोग द्वारा अलग से निश्चित किया जायेगा. सभी नियुक्तियॉ शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेगी. पदों की अर्हतायें भी अलग से निश्चित की जा रही हैं जो कि सामान्यतः अन्य विभागों/आयोगों में वर्णित पदों के अनुरूप ही होंगी.

अनुरोध है कि शासन स्तर से उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति आयोग को यथाशीघ्र प्रदान करते हुये दो क्षेत्रीय कार्यालय एवं शोध तथा प्रशिक्षण प्रभाग की स्वीकृति विषयक कार्यवाही करने का कष्ट करें.

संलग्नक : उपरोक्तानुसार.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित.
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्ताराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या –307 / XXII / 2005–1(20)2005
सचिवालय, देहरादून दिनांकः 13 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 200 की धारा 15 की उपधारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(डी.के.कोटिया)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : XXIII / 2005–1(20) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यहवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महानिबन्धक, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एंव हकदारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
11. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
16. उपिनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को राजकीय साधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
17. आर.एस. टोलिया, वन विश्राम गृह 5– तिलक मार्ग, निकट बिन्दाल पुल, चकराता रोड, देहरादून।
18. गार्ड फाईल।

(डी.के.कोटिया)
सचिव

उत्तरांचल शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4
(घोषणा अनुभाग)
सं0 1013/XXXV-4-280 घो0/2006
देहरादून दिनांक 27.10.2006

सचिव
सामान्य प्रशासन

उत्तरांचल शासन।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 14.03.2006 को देहरादून में राज्य सूचना आयोग के कार्यालय के उदघाटन के अवसार पर की गयी घोषणा।

घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
280/2006 सामान्य प्रशासन	कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे।

2. कृपया उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चिक कर कृत कार्यवाही से मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को 15 दिन के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से मा. मुख्यमंत्री जी को अवगत कराय जा सके।

(डी0के0 कोटिया)
सचिव , मुख्यमंत्री

सं0 1013(1)/XXXV–4–280 घो0/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त
2. सचिव, नियोजन
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव, मुख्यमंत्री

परिशिष्ट – XXII

उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें	आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान निस्तारित शिकायतें	आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान अनिस्तारित अपीलें
330	197	133

परिशिष्ट XXIII

उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त अपीलों का विवरण

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल अपील	आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान निस्तारित अपील	आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान अनिस्तारित शिकायतें
262	250	12

परिशिष्ट –XXIV

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें–जिलेवार

जिला का नाम	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	अनिस्तारित शिकायतें
1. अल्मोड़ा	6	5	1
2. बागेश्वर	2	2	–
3. उधम सिंह नगर	26	17	9
4. नैनीताल	47	30	17
5. चम्पावत	1	1	–
6. पिथौरागढ़	5	2	3
7. पौड़ी	41	26	15
8. चमोली	7	5	2
9. उत्तरकाशी	4	1	3
10. रूद्रप्रयाग	3	3	–
11. देहरादून	144	84	60
12. टिहरी	24	6	18
13. हरिद्वार	20	15	5
योग	330	197	133

परिशिष्ट –XXV

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल अपील–जिलेवार

जिला का नाम	प्राप्त अपील	निस्तारित अपील	अनिस्तारित अपील
1. अल्मोड़ा	6	6	–
2. बागेश्वर	–	–	–
3. उधम सिंह नगर	14	12	2
4. नैनीताल	33	32	1
5. चम्पावत	–	–	–
6. पिथौरागढ़	–	–	–
7. पौड़ी	37	35	2
8. चमोली	7	7	–
9. उत्तरकाशी	–	–	–
10. रूद्रप्रयाग	3	3	–
11. देहरादून	134	29	5
12. टिहरी	6	5	1
13. हरिद्वार	22	21	1
योग	262	250	12

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें–विभागवार

जिला का नाम	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	अनिस्तारित शिकायतें
1. कृषि विभाग	3	3	
2. पशुपालन विभाग	5	3	2
3. मुख्यमंत्री कार्यालय	1	1	
4. सहकारिता	5	5	
5. डेयरी विकास	2	1	1
6. पेयजल	10	9	1
7. उच्च शिक्षा	12	10	2
8. विद्यालयी शिक्षा	30	17	13
9. निर्वाचन	2	1	1
10. ऊर्जा	17	10	7
11. राज्य सम्पत्ति	1	1	
12. आबकारी	3	2	1
13. वित्त	13	6	7
14. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	2	
15. वन	12	6	6
16. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	5	6
17. गृह	12	8	4
18. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	2	2	
19. आवास	11	7	4
20. उद्योग	9	4	5
21. सूचना	4	2	2
22. सिंचाई	25	8	17
23. न्याय	1		1
24. श्रम एवं सेवायोजन	2	1	1
25. चिकित्सा शिक्षा	1		1
26. लघु सिंचाई	4	2	2
27. पंचायती राज	12	10	2
28. कार्मिक	7	6	1
29. लोक निर्माण विभाग	8	4	4
30. राजस्व	33	20	13
31. ग्राम्य विकास	17	9	8
32. सचिवालय प्रशासन (मुख्य सचिव)	1	1	
33. समाज कल्याण	7	3	4
34. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	3		3
35. पर्यटन	3	2	11
36. परिवहन	4	1	3
37. शहरी विकास	30	23	7
38. जलागक प्रबंधन	2	1	1
39. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	2		2
40. राजकीय मुद्रणालय, रूड़की	1	1	
कुल योग	330	197	133

आयोग को वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राप्त कुल अपील–विभागवार

जिला का नाम	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	अनिस्तारित शिकायतें
1. कृषि विभाग	8	7	1
2. पशुपालन विभाग	3	3	–
3. मुख्यमंत्री कार्यालय	1	–	1
4. सहकारिता	2	2	–
5. डेयरी विकास	1	1	–
6. पेयजल	9	9	–
7. उच्च शिक्षा	22	19	3
8. विद्यालयी शिक्षा	27	26	1
9. निर्वाचन	1	1	–
10. ऊर्जा	13	13	–
11. राज्य सम्पत्ति	1	1	–
12. आबकारी	4	4	–
13. वित्त	5	5	–
14. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	6	6	–
15. वन	1	1	–
16. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10	9	1
17. गृह	11	11	–
18. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	7	7	–
19. आवास	3	3	–
20. उद्योग	1	1	–
21. सूचना	2	2	–
22. सिंचाई	14	14	–
23. न्याय	2	2	–
24. श्रम एवं सेवायोजन	1	1	–
25. चिकित्सा शिक्षा	–	–	–
26. लघु सिंचाई	4	4	–
27. पंचायती राज	1	1	–
28. कार्मिक	11	10	1
29. लोक निर्माण विभाग	9	9	–
30. राजस्व	40	38	2
31. ग्राम्य विकास	15	14	1
32. सचिवालय प्रशासन (मुख्य सचिव)	1	1	–
33. समाज कल्याण	1	1	–
34. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	1	1	–
35. पर्यटन	2	2	–
36. परिवहन	1	1	–
37. शहरी विकास	19	18	1
38. जलागक प्रबंधन	1	1	–
39. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	1	1	–
40. राजकीय मुद्रणालय, रूड़की	–	–	–
कुल योग	262	250	12

Reason for Departmental Appeal

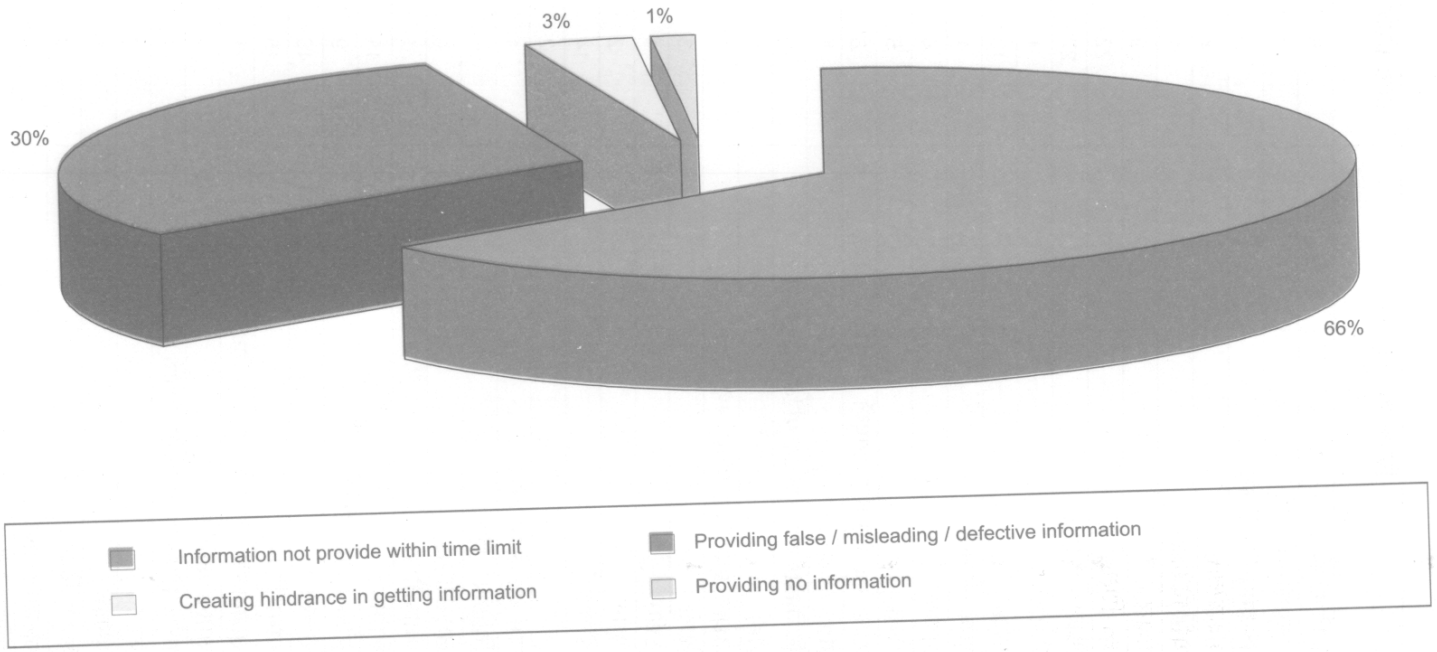

Reason for Second Appeal

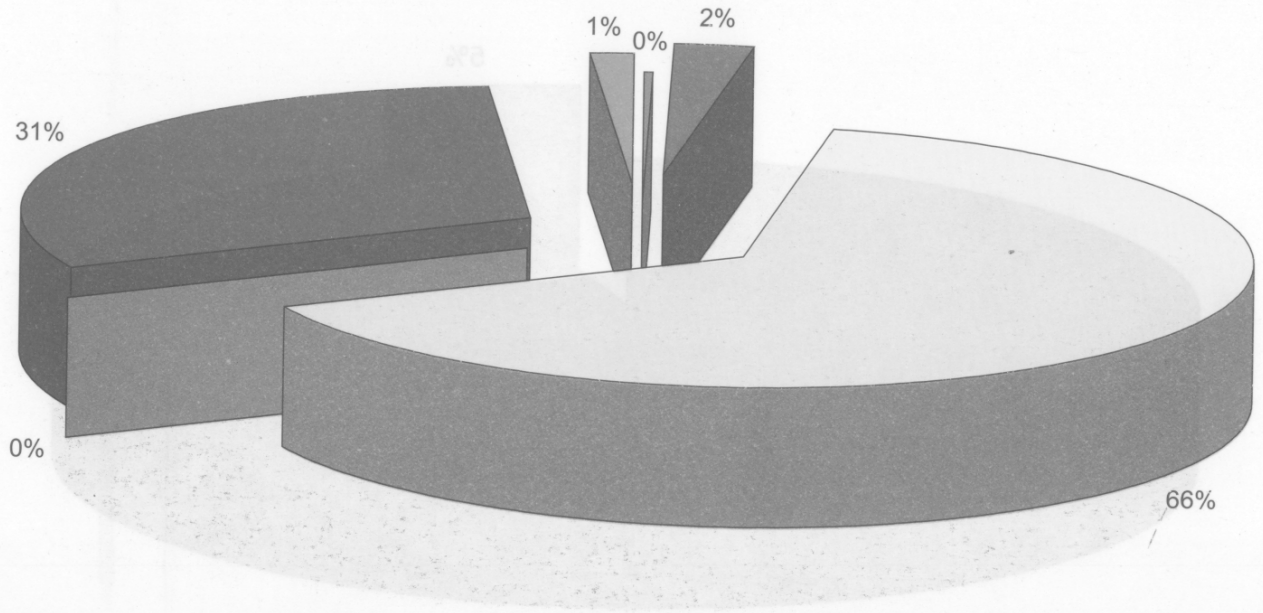

- No PIO / APIO Appointed or Refusal from accepting Application
- Refused access to any information requested under this Act
- Not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act
- Required to pay an amount of fee which the applicant considers unreasonable
- Has been given incomplete, misleading or false information under this Act
- In respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act

Rural - Urban Ratio of Complainants (2006 - 07)

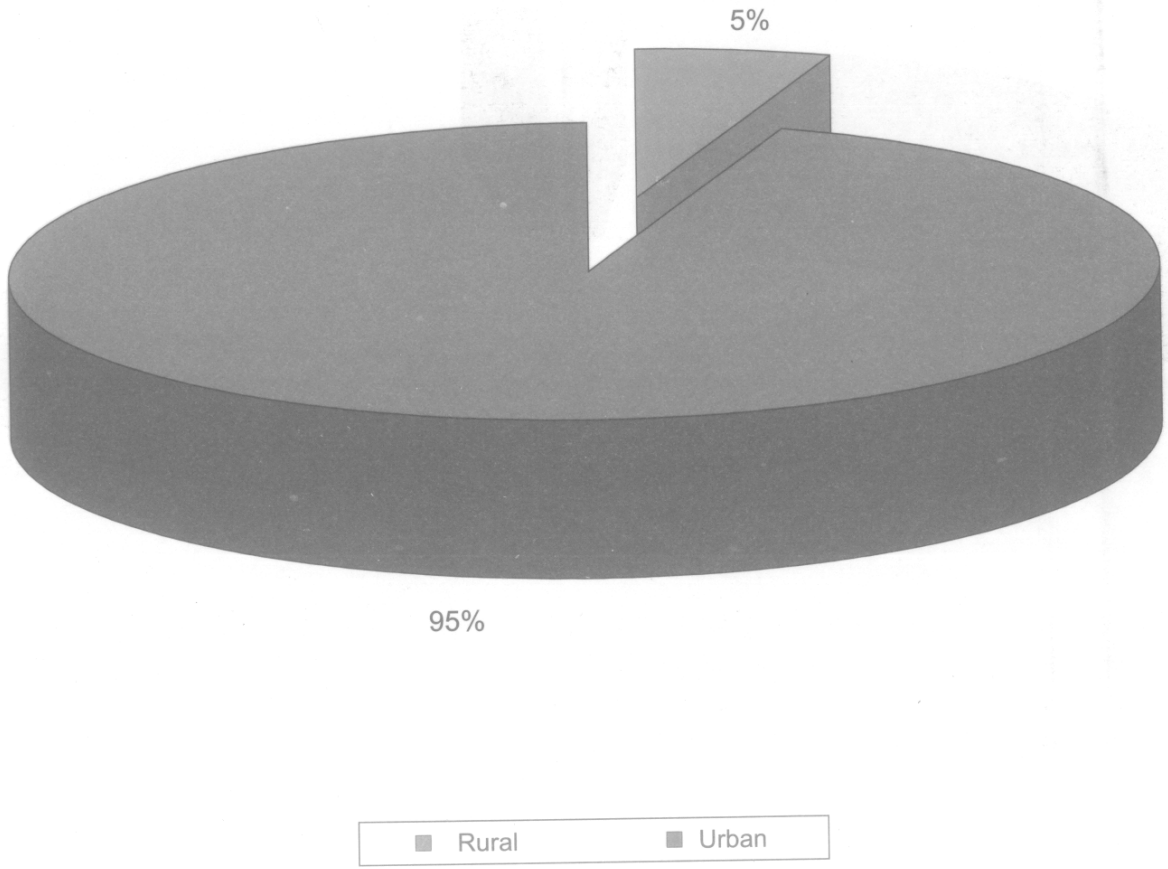

Percent Ratio of Rural Urban Appellants (01 Apr 2006 - 31 Mar 2007)

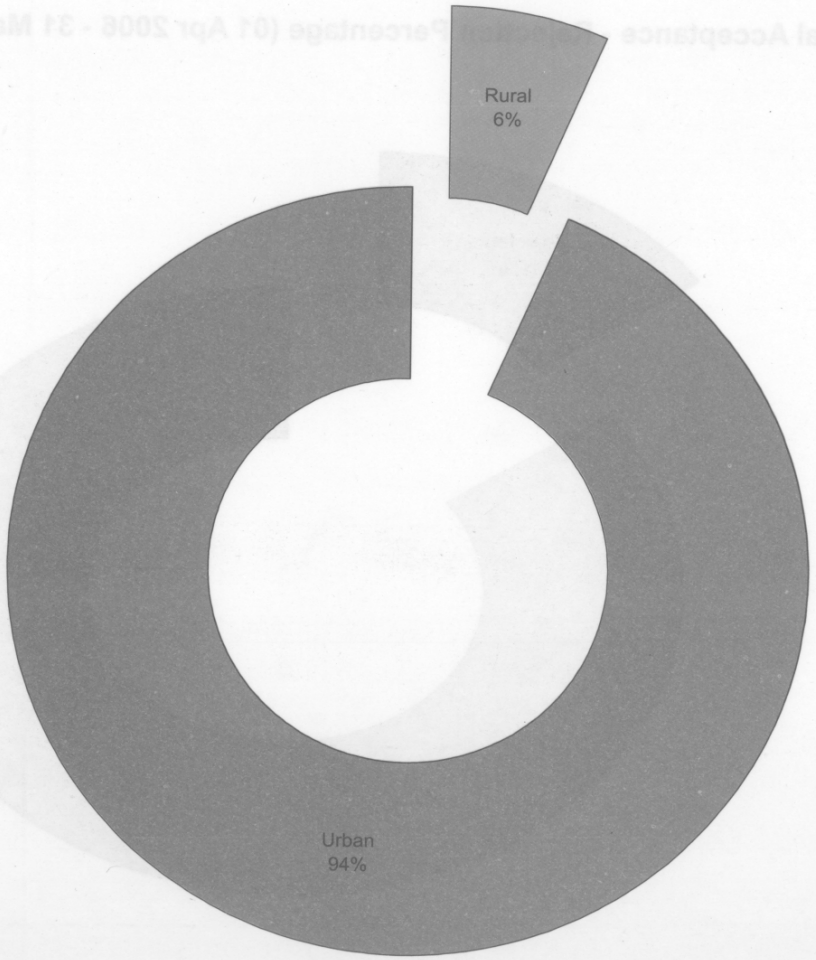

Appeal Acceptance - Rejection Percentage (01 Apr 2006 - 31 Mar 2007)

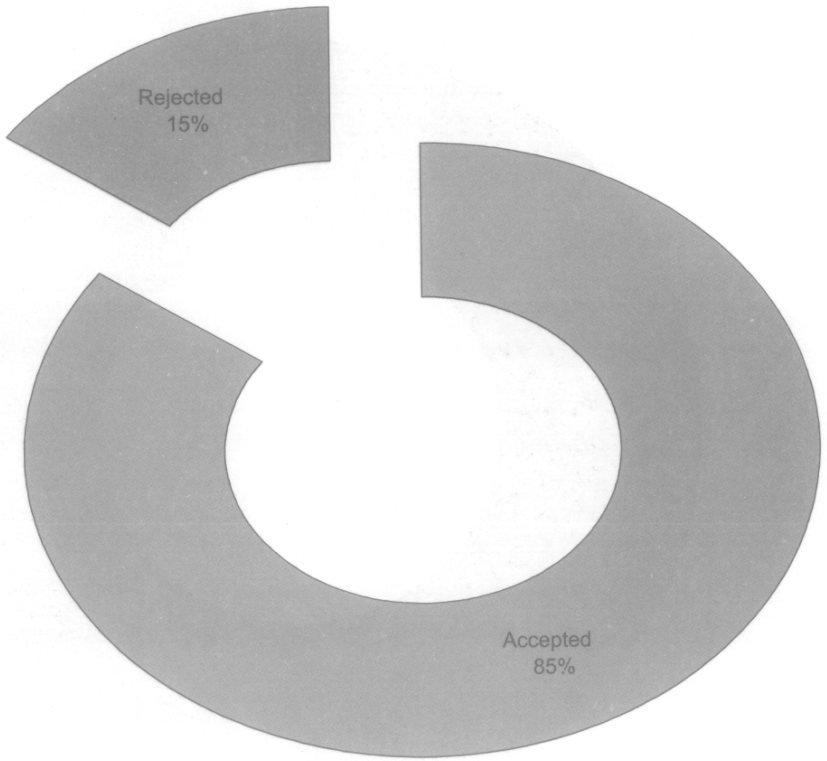

विभागवार मासिक प्रगति विवरण

अप्रैल 2007

क्र. सं.	विभाग	प्रगति विवरण (वर्ष 2006–2007द्ध				
		प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या	ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, अधिनियम के वे उपलबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किये गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था	पुनर्विलोकन के लिए उत्तरांचल सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गयी अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां	इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी प्रभारों की रकम (रू.)
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	318	7	37	0	4511
2	पशुपालन	79	0	0	0	4255
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	28	0	1	0	2300
4	नागरिक उड्डयन	0		0		0
5	गोपन	4	0	0	0	10
6	सहकारिता	310		0		1276
7	संस्कृति	11	0	0	0	608
8	डेयरी विकास	16	0	0	0	810
9	आपदा प्रबंधन	0		0		0
10	पेयजल	810	0	2	1	5600
11	उच्च शिक्षा	73	0	45	0	2659
12	विद्यालयी शिक्षा	1357	20	24	2	41411
13	प्राविधिक शिक्षा	6	0	0	0	76
14	निर्वाचन	60	3	0	0	1316
15	ऊर्जा	95	0	0	0	3277
16	राज्य सम्पत्ति	2	0	0		20
17	सैनिक कल्याण	8	0	0	0	54
18	आबकारी	34	0	3	0	1305
19	वित्त	566	1	0	0	8365
20	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति	194	1	0		120
21	वन	270	23	11	0	3951
22	सामान्य प्रशासन	2	0	1		20
23	चिकित्सा, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण	221	1	1	0	1143
24	गृह	566	12	15	0	9008
25	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	190	0	0	0	3090
26	आवास	1014	6	1	0	4318
27	उद्योग	122	0	0	0	1592
28	सूचना प्रौद्योगिकी	4	0	0	0	40

क्र. सं.	विभाग	प्रगति विवरण (वर्ष 2006–2007द्ध				
		प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या	ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, अधिनियम के वे उपलबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किये गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था	पुनर्विलोकन के लिए उत्तरांचल सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गयी अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां	इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी प्रभारों की रकम (रू.)
29	सूचना	37	0	2	0	2571
30	सिंचाई	349	0	0	0	4570
31	न्याय	21	0	4	0	135
32	श्रम एवं सेवायोजन	73	21	0	0	1941
33	चिकित्सा शिक्षा	56	1	0	0	1066
34	लघु सिंचाई	51	0	0	0	616
35	पंचायती राज	96	1	5	0	2024
36	विधायी, संसदीय कार्य एंव भाषा	0	0	0	0	0
37	कार्मिक	185	0	18	0	1883
38	नियोजन	3	0	0	0	10
39	प्रोटोकॉल	2	0	0	0	50
40	लोक निर्माण विभाग	397	0	0	2	10600
41	धर्मस्व	0	0	0	0	0
42	राजस्व	1784	2	0	0	22078
43	ग्राम्य विकास	1357	0	0	0	7407
44	सचिवालय प्रशासन	4	0	0	0	40
45	समाज कल्याण	170	0	0	0	2735
46	खेल	17	0	0	0	86
47	राज्य पुनगर्ठन	9	2	0	0	60
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	153	0	1	0	3011
49	पर्यटन	82	0	10	0	8532
50	परिवहन	137	1	0	0	2375
51	शहरी विकास	1008	0	0	0	2185
52	सतर्कता	0	0	0	0	459
53	जलागम प्रबन्धन	27	0	0	0	330
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	31	0	0	0	718
55	युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल	14	0	0	0	418
56	राजभवन	6	0	0	0	84
57	विधान भवन	2	0	0	0	0
58	उच्च न्यायालय	11	0	0	0	110
59	अन्य		0	0	0	110
	योग	12442	102	181	5	177229

1. अपील संख्या 1671– श्री सतीश सेमवाल बनाम 1.अधिशासी अभियन्ता द्वादस मण्डल उत्तराचंल पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली, 2. अधीक्षण अभियन्ता द्वादस मण्डल, उत्तराचंल पेयजल निगम, गोपेश्वर चमोली.

   विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के लिये लोक सूचना अधिकारी को प्रतिदिन रूपये 250 से गुणा कर जब तक अधिकतम धनराशि रू0 25000.00 न पहुंच जायें तब तक आरोपित किया गया.

2. अपील संख्या 1672– श्री सतीश सेमवाल बनाम 1. अधिशासी अभियन्ता द्वादस मण्डल उत्तराचंल पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली, 2. अधीक्षण अभियन्ता द्वादस मण्डल, उत्तरांचल पेयजल निगम, गोपेश्वर चमोली.

   विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के लिये लोक सूचना अधिकारी को प्रतिदिन रूपये 250 से गुणा कर जब तक अधिकतम धनराशि रू0 25000.00 न पहुंच जाये तब तक आरोपित किया गया.

3. अपील संख्या 80– श्री अर्जुन सिंह बनाम 1. खण्ड विकास अधिकारी कालसी विकास खण्ड देहरादून, 2. मुख्य विकास अधिकारी देहरादून.

   लोक सूचना अधिकारी को विलम्ब से सूचना देने का कारण बताओ नोटिस तथा नोटिस का उत्तर न आने पर रू0 2000.00 अर्थ दण्ड के आदेश दिये गये.

4. अपील संख्या 2597/2006 – श्री भाष्कर चन्द्र बृजवासी, 6–130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड हल्द्वानी बनाम निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, नवाबी रोड, हल्द्वानी, लोक सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय नवाबी रोड हल्द्वानी.

   निदेशक उच्च शिक्षा को सूचना उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब के लिये शासन स्तर से भर्त्सनात्मक प्रविष्टि करने की संस्तुति.

5. अपील संख्या 130/2006 – श्री सूरवीर लाल, मुख्य सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून. बनाम निदेशक विद्यालयी शिक्षा, मयूर विहार देहरादून, 2. अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा मयूर विहार देहरादून.

   निदेशालय, उच्च शिक्षा के पटल सहायक श्री पी.एल.तिवारी को विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदाई कर्मचारी होने के कारण डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मानते हुए रू0 3000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया तथा उनके विरूद्व विभागीय नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही करने की भी संस्तुति की गई.

6. अपील संख्या 117/2006 – श्री टीका प्रसाद डोभाल, अपर देवप्रयाग रोड पौड़ी गढ़वाल बनाम 1. जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, 2. उप जिला अधिकारी बाहस्यू, पौड़ी गढ़वाल.

   उप जिला अधिकारी बारस्यू को सूचना उपलब्ध सूचना को देने में विलम्ब करने तथा आयोग को भ्रामक सूचना देने के लिये दोषी पाया गया और तद्नुसार कारण बताओ नोटिस के क्रम में रू0 3000.00 का आर्थिक दण्ड और प्रस्तावित दण्ड के साथ–साथ दोष के लिये उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ किये जाने की अनुशंसा की गई.

7. अपील संख्या 232/2006 – श्री बृजभूषण अग्रवाल, मैमर्स स्टील शेपर्स मुखानी हल्द्वानी बनाम वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल.

इस अपील में सुनवाई के दौरान जो तथ्य आयोग के सामने प्रस्तुत हुए उनसे यह स्पष्ट है कि पश्चिमी वृत्त के अन्तर्गत इस प्रकरण से संबंधित प्रकरण को व्यवहृत करते समय आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई प्रतीत होती है और इसमें वरिष्ठ स्तर पर पर्यवेक्षण का भी स्पष्ट अभाव परिलक्षित होता है. प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त और प्रमुख वन संरक्षक अपने स्तर से इस प्रकरण में प्रकाश में आये लोक सेवकों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के संबंध में, अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त, अपने स्तर से विभागीय कार्यवाही करने पर विचार करें, क्योंकि यह लोक महत्व का प्रकरण है.

8. शिकायत संख्या 147/2006 – श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 इन्द्रजीत शास्त्री, सोनीपत हरियाणा बनाम जिला अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी देहरादून.

जिला अधिकारी देहरादून तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर हुए विलम्ब के लिये सक्षम स्तर पर विभागीय कार्यवाही करने के लिये आयोग के आदेश को प्रेषित करेंगे.

9. शिकायत संख्या 2311/2006 – श्री सतीश सेमवाल बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर चमोली.

लोक सूचना अधिकारी को कुल रू0 5000.00 की राशि दण्ड के रूप में आरोपित की गई तथा इसके साथ–साथ लोक सूचना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की संस्तुति की गई.

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 1723 / उ.सू.आ. / 2006 दिनांक : 24 / 07 / 2006

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तरांचल सूचना आयोग को अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व भी सौंपा गया हैं. उपरोक्त उत्तरदायित्वों के सफल संचालन के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर उनके कार्यालय के समस्त अभिलेखों का रख–रखाव विद्यमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है।

2. आयोग में विभिन्न अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकांश लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यलय अभिलेखों का रखरखाव तथामहत्वपूर्ण पत्रावलियों के निस्तारण का स्तर पर कार्यालय अभिलेखों का रख–रखाव तथा महत्वपूर्ण पत्रावलियों के निस्तारण का स्तर विद्यमान व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुकूल नहीं है. अत समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रबन्धन की आदेश व्यवस्था तत्काल सुव्यवस्थित की जानी आवश्यक है.

3. प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय के कार्मिकों को कार्यालय अभिलेखों के सृजन, वर्गीकरण एंव रख–रखाव के आवश्यक मार्ग–निदेशन हेतु आयोग–कार्यालय–विशेषज्ञ के रूप में श्री सुरेश चन्द्र पन्त, पूर्व निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एंव प्रबन्ध संस्थान, उत्तर प्रदेश एंव वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी, प्रशासनिक सुधार आयोग, उत्तरांचल को मानदेय के आधार पर अनुबंधित किया जाता है. श्री पन्त का मानदेय प्रति कार्य दिवस के वेतन के समतुल्य होगी. देहरादून से बाहर भ्रमण पर जाने पर उन्हें उक्त मानदेय के अतिरिक्त उनके स्तर के अधिकारियों को देय यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

4. श्री पन्त द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जायेगा।

4.1 लोक महत्व के बड़े–बड़े विभागों को चिन्हित कर प्रत्येक विभाग के लोक सूचना अधिकारियों के लिए कार्य दिग्दर्शिका तैयार करना जिसके आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने संबंधी निर्देश तैयार करना।

4.2 समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण उपरोक्त उद्देश्य से मुख्य सूचना आयुक्त सचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग के अनुमोदन से करना, यह निरीक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार से होंगे–

4.2.1 पूर्व से निर्दिष्ट निरीक्षण, अथवा

4.2.2 आकस्मिक निरीक्षण

5. उक्त पर होने वाला लेखा शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00 अन्य–800–अन्य व्यय–13 सूचना आयोग की स्थापना–मानक मद–7 मानदेय से वहन किया जायेगा।

6. निरीक्षण के उपरान्त श्री पंत द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा इन निरीक्षण रिपोर्टों को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि–

1. श्री सुरेश चन्द्र पन्त, 257 इन्दिरा नगर, देहरादून
2. सचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, जल संस्थान देहरादून
5. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, मयूर विहार, देहरादून
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चन्दर नगर देहरादून
7. उप सचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग
8. सबंधित पत्रावली

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

परिशिष्ट –XXXVI

एम. रामचन्द्रन
मुख्य सचिव

सचिवालय
4 सुभाष रोड, देहरादून – 248001
फोन– 0135–2712100, 2712200

उत्तरांचल शासन

देहरादूनः दिनांक 01 अगस्त, 2006

प्रिय डॉ. टोलिया,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अंतर्गत अनुश्रवण के पर्यवेक्षण की दृष्टि से लोक प्राधिकारी कार्यालयों को अभिलखों के रख–रखाव के लिए सामान्य व आकस्मिक निरीक्षण किये जाने विषयक उत्तरांचल सूचना आयोग के पत्रांक 1723/उ.सू.आ./2006 दिनांक 24 जुलाई, 2006 एवं पत्रांक 1689/उ.सू.आ./2006 दिनांक 22 जुलाई 2006 का कृप्या संदर्भ गृहण करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अभिनव व्यवस्था है। आप सहमत होंग कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के संदर्भ से अत्यन्त तत्परता से कार्य किया जाता है एवं इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने में उत्तरांचल अग्रणी राज्य है।

राज्य सूचना आयोग के गठन के उपरान्त आयोग द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं एवं विभिन्न अवसरों पर आयोग के स्तर से महत्वपूर्ण संस्तुतियां व प्रकाशन किये गये हैं। यहां यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जो भी प्रशासनिक व्यवस्थायें की जानी हैं उनका पूर्ण दायित्व राज्य सरकार का है एवं इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के सीमित मानव एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखना भी आवश्यक है। आप सहमत होंगे कि एक से अधिक स्रोतों से प्रशासनिक आदेशों के निर्गमन से राज्य सरकार की प्रशासनिक इकाईयों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जहां तक कार्यालय अभिलेखों के रख–रखाव या धारा–4 के अंतर्गत विभागीय मैनुअल्स को तैयार किए जाने का प्रश्न है इसके लिए सम्बन्धित लोक प्राधिकारी ही सबसे उत्तम संस्था है एवं राज्य सरकार व आयोग का अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष संस्था होने के कारण यह प्रयास होना चाहिए कि वे राज्य सरकार के लोक प्राधिकारियों को इस प्रकार परामर्श दे सकें कि वे इनक कार्यों को अधिनियम की व्यवस्था एवं भावना के अनुरूप उत्कृष्ट एवं जनोपयोगी ढंग से कर सकें। यह आदेश कदाचित अधिनियम की धारा 25 से आच्छादित भी नहीं है।

अतः आयोग से यह अनुरोध है कि यदि लोक प्राधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों के रख–रखाव या मैनुअल्स को तैयार किए जाने के संदर्भ में आयोग के कोई सुझाव व परामर्श हों तो उन्हें राज्य सरकार की प्रशासकीय इकाईयों को सीधे प्रेषित करने के स्थान पर सूचना के अधिकार के प्रशासनिक विभाग अर्थात् सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों पर शासन स्तर पर विचार हो सके तथा जनोपयोगी एवं उपयुक्त होने की दशा में भी विभागों/लोक प्राधिकारियों में समान रूप से ऐसे मार्ग निर्देश प्रसारित किए जा सकें। इससे राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु और अधिक सहायता प्राप्त होगी।

अतः आयोग से अनुरोध है कि कृपया प्रशासकीय प्रकृति के उपरोक्त पत्राचारों पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

भवदीय

(एम. रामचन्द्रन)

डा. आर.एस. टोलिया
मा.राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
सेक्टर 1 सी–10
डिफेंस कालोनी, देहरादून

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2006 का कार्यवृत्त :

उपस्थितिः

श्री तारकेन्द्र वैष्णव	सचिव
डॉ0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय	उपसचिव

1.0 मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या दिनांक 01.08.2006 के परिप्रेक्ष्य में एक Draft Resolution तैयार किया गया.

1.1 उक्त Resolution का विधिक परीक्षण कराये जाने के निर्देश हुये.

1.2 Draft Resolution का cabinet note का स्वरूप प्रदान करने के निर्देश हुये, जिसमें एक References एवं Legal का उल्लेख पृथक–पृथक रूप से किये जाने के निर्देश हुये.

2.0 आयोग की विधिक प्रास्थिति के संदर्भ में यह विवेचित करने के निर्देश हुये कि क्या सचिव, राज्य सूचना आयोग को माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समतुल्य माना जा सकता है.

3.0 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 के साथ सपठित धारा 4 के विषय में विधिक्षण कर लिया जाय.

4.0 मैनुअलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य एक प्रशासनिक कार्य के रूप में निरूपित किया जाय.

5.0 शिकायतों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि अब तक आयोग को प्राप्त समस्त शिकायतों को प्रभुख भागों में विभक्त कर लिया जाय.

5.1 अधिनियम की धारा 18-1 के अन्तर्गत उन शिकायतों को लिया जाय, जिन्हें प्रशासकीय तौर पर निर्णीत किया जाना चाहिए.

5.2 अधिनियम की धारा 18-2 के अन्तर्गत उन शिकायतों को संकलित किया जाय, जिन्हें विधिक/न्यायिक रूप से विचारित किया जाय.

6.0 अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्तियों के निरूपण को वाद–वार प्रस्तुत किया जाय.

6.1 अधिनियम की धारा 20-2 के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त के द्वारा पारित आदेशों को यदि उच्चतर न्यायालयों द्वारा विधिक्षण किया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जाये.

7.0 Making of business Rules of comission a-la-High Court Rules/Apeal Rules.

आयोग द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही को अन्य न्यायालयों के भांति "Business Rules" के अन्तर्गत अनुरक्षित किया जाय तथा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय.

8.0 अधिनियम 25 के अन्तर्गत प्रशासकीय नीति अपनाते हुए विभागों के अन्दर निरीक्षण कार्य जाने वाले अभिलेखों द्वारा सूचनाओं के संचरण के सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर समय–समय पर विभागों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाय.

9.0 माननीय आयोग द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि विभाग स्वयं अपना Assesment नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मैनुअल के प्रस्तुतीकरण हेतु आयोग द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाय।

10.0 विभागों द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा प्रत्येक माह की जाय। श्री राजेश नैथानी द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आलोच्य बिन्दुओं को समेकित कर समीक्षा बैठक के समय प्रस्तुत किया जाय।

11.0 आगामी दिनों में चयनित विभागों के होने वाले Inspection को उनके द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाय।

12.0 माननीय आयोग द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि किसी विभाग से वॉछित सूचना में कौन सी सूचना गोपनीय होगी इसका निर्धारण आयोग ही तय करेगा।

13.0 जब तक किसी आवेदक को सूचना स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त नहीं की जाती तब तक सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व बना रहेगा।

14.0 जिन विभागों द्वारा अपेक्षित सूचनायें आवेदक को नहीं दी जायेगी उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को सन्दर्भित किया जायेगा।

15.0 यदि किन्हीं कारणों से विभाग सूचनाओं को प्रदान करने में विलम्ब करता है या सूचना नहीं देता है तो संगत धाराओं के अनुरूप शास्ति निर्धारित करते हुए इस व्यवहार को नैतिक अधमता के समतुल्य घोषित किया जाय.

16.0 जिन विभागों द्वारा प्रशंसनीय मैनुअल बनाये गये हैं, उनकी सराहना की जाय, और लिखित रूप से विभाग को प्रशस्ति पत्र भेजा जाय।

17.0 प्रत्येक समीक्षा बैठक में प्रशासकीय विषय, कार्यालय प्रबन्धन, कार्यालय कर्मचारी विषयक तथ्य, विगत बैठक पर लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही, यदि कोई Resolution किया गया है, तो उसका विवरण, अन्य विषय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

17.1 आयोग कार्यालय में प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के Subscription के आदेश दिये गये तथा इन समाचार पत्रों में सूचना के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले समाचारों को संकलित कर सम्बन्धित विभागों से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

17.2 उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रथक पत्रावली बनाते हुए रजिस्टर ऑफ फाइल्स में एक पृथक विषय बनाया जाय। उक्त पत्रावली में प्रकाशित समाचारों एवं अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी पत्राचार अनुरक्षित किये जायें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
उत्तरांचल सूचना आयोग

प्रतिलिपि :– निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. उपसचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग।
2. समीक्षा अधिकारी, उत्तरांचल सूचना आयोग।

सचिव
उत्तरांचल सूचना आयोग